खण्ड-232, अंक-10
शुक्रवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1884
(10 अगस्त, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 232 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार १० अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४११

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अक्षैवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दूल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी,
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन,श्री
उपादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्ण, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणशचन्द काछी, श्री

गणेश प्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादय, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी , श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्रीकाजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवदिया, श्री
दीपनारायसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री

नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम दास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितई राम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेवनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महवीरप्रसाद,श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री

मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
राअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामवन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाथ चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती

विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसंपति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, सिंचाई उप-मंत्री, श्री रामनारायण पांडेय तथा लघु उद्योग उपमंत्री श्री शिव प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थ ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरजू नहर योजना

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि सरजू नहर योजना सरकार द्वारा स्थगित की जा रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी नहीं, योजना को स्थगित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

**२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, इलाहाबाद के मैनेजर के विरुद्ध शिकायत

**३—डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, इलाहाबाद" के दूध में मिलावट के कई नमूने (samples) की जांच करने पर मिलावट (adulteration) पाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त डेयरी के मैनेजर के विरुद्ध अदालती कार्यवाही करने की आज्ञा शासन की ओर से इलाहाबाद नगरमहापालिका को दी जायेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—शिकायत सरकार के पास आयी है, और वह विचाराधीन है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—क्या सहकारिता मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी के द्वारा १२-१०-६०, ३०-११-६०, ५-९-६१ और ४-५-६२ को सरकार के पास यह शिकायत की गयी और यह मांग की गयी कि डेरी के मैनेजर के विरुद्ध अदालत में कार्यवाही करने की आज्ञा शासन प्रदान करे, लेकिन क्या विचार करके शासन ने आज्ञा प्रदान नहीं की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सवाल सरकार के विचाराधीन इस प्रकार रहा कि जो स्टैन्डर्ड पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट के दूध के बारे में है वह भैंस और गाय का अलग-अलग है लेकिन हमारे मिल्क यूनियन्स में मिला हुआ दूध बेचा जाता है, इसलिये कोई स्टैन्डर्ड फिक्स नहीं हुआ है । अतः जो शिकायत नगर अधिकारी की ओर से मिली है उसकी जांच करायी जा रही है, कानूनी सलाह ले रहें हैं कि कौन सी कार्यवाही उसके विरुद्ध की जाय ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह कार्यवाही सरकार की कब तक खत्म हो जायगी और सरकार कब तक उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में निश्चय कर सकेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस पर विचार हो रहा है । शीघ्र ही उस पर कोई फैसला लेने की कोशिश की जायगी ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी कोई निश्चित समय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह निश्चित समय बता सकते तो बता देते । वे कहते हैं कि शीघ्र ही हो जायगा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि इस डेरी के दूध के संबंध में वहां के नगर प्रमुख मंत्री जी से मिले थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुझसे कोई शिकायत नगर प्रमुख ने खुद नहीं की ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि सर्व-प्रथम इस मैनेजर के संबंध में शिकायत कब आयी ?

श्री चुतर्भुज शर्मा—नवम्बर, ६० में ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सहकारिता मंत्री जी को ज्ञात है कि इलाहाबाद की महापालिका ने इस कोआपरेटिव डेरी के लाइसेंस को खत्म कर दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सहकारिता मंत्री जी को इसकी सूचना है कि यह केवल इलाहाबाद की ही मिल्क यूनियन की शिकायत नहीं है बल्कि प्रदेश के और स्थानों की भी शिकायत है और खासतौर पर लखनऊ मिल्क यूनियन के खिलाफ शिकायत मिली है माल एवेन्यू से कि वहां दूध में मक्खी मिली है, तो इसको देखते हुये माननीय मंत्री जी कोई विशेष योजना बनाने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव डेरी फार्म से जो दूध दिया जाता है उसकी जांच करायी जा सके ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल आप अलग से कर सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि इस मिल्क यूनियन के मैनेजर कांग्रेस से संबंधित है, इसीलिये सन् ६० से अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उसके मैनेजर सरकारी आदमी हैं, वे किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे क दूध के मुताल्लिक यह आम शिकायत प्रान्त भर के सहकारी डेरी फार्म्स की है, तो इस सिलसिले में वे कोई जांच कमेटी बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह नया सवाल है, आप अलग से कर लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

चमोली तथा पौड़ी जिलों में मद्य-निषेध योजना लागू करने के लिए सत्याग्रह

*१—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—क्या सरकार को जानकारी है कि चमोली और पौड़ी जिले में मद्य-निषेध योजना लागू करने के लिये सत्याग्रह चल रहा है ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—चमोली और पौड़ी जिले में मद्य निषेध योजना लागू करने के लिये जो सत्याग्रह चल रहा था, लगभग समाप्त हो चुका है ।

*२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि इस सत्याग्रह के फलस्वरूप इन जिलों में देशी शराब की भट्टियां बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और इन स्थानों का निर्णय किस आधार पर किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—सत्याग्रह के फलस्वरूप इन जिलों में देशी शराब की भट्टियां बन्द नहीं की गई हैं। यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्याग्रह किसी संस्था द्वारा संचालित था या कुछ व्यक्तियों के द्वारा, और जिन लोंगों ने सत्याग्रह किया, क्या उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम—इसके संचालक अन्तरिम जिला परिषद् के श्री डोवाल और कुछ सर्वोदय कार्यकर्ता थे।

श्री गंगाधर मैठाणी—श्री डोवाल के अ रिक्त जो सर्वोदय कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ सरकार ने अदालत में कोई केस दायर किया है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी इत्तिला सरकार को नहीं है। सरकार कोई केस दायर नहीं करती, अगर कोई अनियमितता पायी गयी हो ी तो जिलाधीश ने कार्यवाही की होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि सर्वोदय कार्यकर्ता और अन्तरिम जिला परिषद् के चेयरमैन जो कांग्रेस से संबंधित हैं, वे इस बात पर सत्याग्रह कर रहें हैं कि वहां शराब बन्दी की जाय, किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहें हैं कि वहां निकट भविष्य में शराब बन्दी कर दी जाय ? यदि हां, तो वह कब तक हो जायगी ?

डाक्टर सीताराम—अभी प्रश्नोत्तर में बतलाया गया है कि सत्याग्रह फिज़ूल आउट हो गया है। पौड़ी में सिर्फ ६ सत्याग्रही और चमोली में सिर्फ ४ सत्याग्रही सत्याग्रह कर रहे थे। जिलाधीश से जो सूचना शासन को प्राप्त हुई है, उससे यह स्पष्ट है कि सत्याग्रह कोई महत्व नहीं रखता था।

बांसगांव तहसील के कटाव पीड़ितों के पुनर्वासन की प्रार्थना

*३—**श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम वगहा, कोलरवास, जैतपुर, नवलपुर, वरडीहा, नेतवार पट्टी आदि में राप्ती व घाघरा के कटाव पीड़ित व्यक्तियों की दरख्वास्तें सरकार को पुनः बसाने या सहायता प्राप्त करने के लिये जिला गोरखपुर, तहसील बांसगांव से मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—जी हां। कटाव पीड़ित व्यक्तियों की दरख्वास्तें समय-समय पर प्राप्त होती रही हैं। इन लोगों को पुनः बसाने के लिये उत्तर प्रदेशीय सम्पत्ति अधिग्रहण (बाढ़ सहायता) अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत भूमि अर्जन करके बसाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री कल्पनार्थसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि कितने दिन पहले से जिलाधीश को या सरकार के व्यक्तियों की शिकायतों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। जैसा मैंने उत्तर में कहा समय-समय पर आती रही हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन गांवों में कितने व्यक्तियों को जो कटाव पीड़ित हैं उनको सरकार की ओर से अहेतुक सहायता दी गई ?

श्री बृजबिहारी—अहेतुक सहायता के सम्बन्ध में तो प्रश्न है नहीं। प्रश्न यह है कि उनके बसाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ? इसकी सूचना हमारे पास प्रस्तुत है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—मंत्री जी बतायेंगे कि यह बस्तियां कब कटीं ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कौन-कौन से गांव कब से कटने शुरू हुए और इन कटाव पीड़ितों की कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुईं आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, अंग्रेजी में है अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—पढ़ दीजिये ।

श्री बृजबिहारी—

A sum of Rs. 82, 705/— as relief in Land Revenue and a sum of Rs. 2,8९,5९7/— as relief under Rule 205 B of Zamindari Abolition and Land Reforms Rules has been given....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मंत्री जी के नौकर हिन्दी में क्यों नहीं लिखकर भेजते ?

श्री अध्यक्ष—आप बीच में न बोलिये । वह हिन्दी में अनुवाद कर देंगे ।

श्री बृजबिहारी—८५,७०५ रु० रिलीफ के बतौर लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अधीन दिया गया और २,८९,५९७ रु० रिलीफ के तौर पर नियम २०५ (बी) जमींदारी अबालीशन और लैंड रिफार्म्स रुल्स के अधीन दिया गया ।

Besides this a sum of Rs. 1,60,315/— as taqavi under Act XII and a sum of Rs. 10,3850/— as taqavi under Act XIX and a sum of Rs 39,·९0/— as Gratuitous Relief was also distributed.

तकावी १,६०,३१५ रु० दी गई ।

श्री अध्यक्ष—गांवों के नाम बता दीजिये किन-किन गांवों में कटाव हुआ और उन गांवों में क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री बृजबिहारी—गांवों के नाम मैं दिये देता हूं । प्रत्येक गांव को कितनी-कितनी सहायता दी गई इसके लिये नोटिस चाहिये । कुल सहायता कितनी दी गई इसकी सूचना अभी है ।

श्री अध्यक्ष—गांव के नाम बता दीजिये ।

श्री बृजबिहारी—गांवों के नाम ये हैं: नवल किशोर, बगहा, गायघाट (परगना घुरियापार), भरौली, भूलनचक, रसूलपुर मिश्र, नरगड़ाजंगी सिंह, नकौड़ी, लच्छीपुर, जैतुपुर, कोलखास, ज्ञानपुर, मझवलिया, नटवरपट्टी और बेलपुर । यह १५ गांव प्रभावित हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मंत्री जी बतायेंगे कि जिनकी सूची उन्होंने बतायी इन गांवों का कितना कटाव हुआ और लोगों के बसाने के लिये कहां जमीन का प्रबन्ध किया जा रहा है और कब से ?

श्री बृजबिहारी—नवलपुर का जो हिस्सा कटा है उसके लिये नवलपुर में ही लोगों के बसाने का प्रबन्ध किया जा रहा है, बगहा के लोगों का पटना मुस्तकिल में, गयाघाट के लोगों को बेलघाट में, भरौली के लोगों को बेलघाट में, भूलनचक के लोगों को बेलघाट में, रसूलपुर मिश्र के लोगों को बेलघाट में, नरगड़ाजंगी सिंह के लोगों को भी बेलघाट में, नकौड़ी के लोगों को बेलघाट में, लच्छीपुर के लोगों को बेलघाट में, जैतपुर के लोगों को कोहरी में, ज्ञानपुर वालों को तुर्केवालिया में, मझवालिया वालों को मझवालिया में, नटवर पट्टी वालो को नटरवर पट्टी में और बेलपुर वालों को टिकुली बनरसा में बसाने की व्यवस्था हो रही है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---जिन-जिन गांवों के नाम प्रश्न में दिये गये हैं, उन गांवों के डेस्टिट्यूट्स को क्या-क्या सहायता दी गयी हैं ?

श्री बृजबिहारी---मजमुई तौर पर जो सहायता दी गयी है, उसको मैंने बतला दिया है। अलग अलग गांवों को कितनी २ सहायता दी गयी इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इन गांव को बसाने के लिये किसी भी गांव में जिसका सूची में जिक्र है व्यवस्था नहीं की जा रही है ?

श्री बृजबिहारी---इन गांवों के लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। जमीन एक्वायर करनी पड़ती है तो उसके लिये कोई कार्यवाही करनी पड़ती है और वह कार्यवाही हो रही है। जो पूरी हो जायगी तो उन्हें बसाने के लिये जमीन दी जायगी।

श्री मैनेजरसिंह---"फ्लड ऐक्ट" के अन्तर्गत सरकार को या जिलाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वह तत्काल जमीन एक्वायर करे और कटान पीड़ित लोगों को तत्काल बसा दे ?

श्री बृजबिहारी---तत्काल बसाने की ही व्यवस्था हो रही है। लेकिन उसमें भी तो बहुत कुछ समय लग जाता है।

श्री कल्पनार्थसिंह---ये गांव कब से कट रहे हैं अब तक उनको बसाने का इन्तजाम क्यों नहीं हुआ ?

श्री बृजबिहारी---अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया था कई बार समय-समय पर उनके आवेदन-पत्र आये हैं और उसकी व्यवस्था हो रही है। यह तो मैं निश्चित रूप से नहीं बतला सकता कि कब से कटे हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह---मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी पूरी सूचना एकत्रित करके सदन के सामने रखें ?

श्री अध्यक्ष---आप फिर प्रश्न कर लीजियेगा।

लखनऊ में सोशलिस्टों का विधान भवन के सामने प्रदर्शन

*४---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को इस आशय की सूचना मिली है कि दिनांक १ जून, १९६२ को सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में जनतांत्रिक दिवस पर किसानों का एक विराट प्रदर्शन विधान भवन, लखनऊ के समक्ष आरम्भ कर जोतों की मालगुजारी हटाने हेतु हुआ था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ?

श्री बृजबिहारी---जी हां। मांगें इस प्रकार थी:---

(क) बिना मुनाफे की जोत १० बीघा से मालगुजारी खत्म की जाय,

(ख) जीवन की जरूरी चीजें कारखाने में बनी चीजें लागत के ड्योढ़े कीमत के अन्दर बेची जायं,

(ग) खेत मजदूरों की मजदूरी तय की जाय,

(घ) बड़े लोगों की जमीनों का फर्जी बटवारा खतम करके उन्हें छोटे किसानों और मजदूरों में बांटी जाय, और

(ङ) नए बढ़े हुए टैक्सों को रद्द किया जाय और खेती की मालगुजारी भी न बढ़ाई जाय।

*५---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन मांगों की पूर्ति हेतु वे कौन-सी कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बृजबिहारी---प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकार इन मांगों को उचित नहीं समझती।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी पुनः इसको स्पष्ट करेंगे कि यह जो उचित मांग है कि नये बढ़े हुए टैक्सेशन को रिड्यूस किया जाय और खेत की मालगुजारी भी न बढ़ाई जाय तो क्या इस मांग को वह उचित नहीं समझते ?

श्री अध्यक्ष---वह तो कहते हैं कि हम उचित नहीं समझते इन मांगों को।

श्री उग्रसेन---क्या इन कारणों पर वह प्रकाश डालेंगे कि वह उचित क्यों नहीं समझते ? नये बढ़े हुए टैक्सेशन को रिड्यूस किया जाय और मालगुजारी में वृद्धि न की जाय इस मांग को वह उचित क्यों नहीं समझते ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---इसलिये उचित नहीं समझते कि सदन ने एक बड़ी योजना को स्वीकृति प्रदान की है, उसे पूरा करना है और सदन की जो भावनायें रही हैं उनको पूरा करना है।

श्री उग्रसेन---अभी तक सदन ने मालगुजारी बढ़ाने का कोई निश्चय नहीं किया है। तो मुख्य मंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं कि यह मांग उचित नहीं है और वे मालगुजारी बढ़ायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं एक निवेदन कर दूं। किसी बात की सूचना प्राप्त करने के लिये प्रश्न किये जाते हैं। इसलिये नहीं किये जाते कि कोई वाद-विवाद उत्पन्न हो। जो प्रश्न किया गया था उसका एक मोटा जिक्र सरकार की तरफ से कर दिया गया।

श्री उग्रसेन---ठीक है। जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रपट में कहा गया है और माननीय चरण सिंह जी जो इस सदन में इस समय तो नहीं हैं, उन्होंने उस कमेटी के सामने बयान दिया था कि जिसके माननीय राजस्व मंत्री चेयरमैन थे कि सवा ६ एकड़ से नीचे की जोत अलाभकर है। और क्या मंत्री जी का ध्यान केन्द्रीय मंत्री के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अलाभकर खेतों पर टैक्स नहीं होना चाहिये ? तो क्या माननीय मंत्री जी इन बातों को ध्यान में रख कर अलाभ कर खेती से लगान हटायेंगे ?

श्री बृजबिहारी---जिसको माननीय सदस्य अनएकोनामिक होल्डिंग कह रहे हैं ऐसी जोत वाले किसानों की संख्या ८५ फीसदी प्रदेश में है और १७ करोड़ रुपया प्रति वर्ष उनसे हमको मिलता है। यही नहीं, हमको आशंका इस बात की है कि बहुत से लोग जिनकी होल्डिंग आज अनएकोनामिक नहीं है वे भी अपनी जमीन का बटवारा कर के तथा इधर उधर कर के अनएकोनामिक होल्डिंग में आ जायंगे और इसका नतीजा यह होगा कि जो धनराशि हमको मिलती है वह सब समाप्त हो जायगी। इस कारण यह कहना कि अलाभकर जोत की मालगुजारी माफ कर दी जाय उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष---इसमें जो मीमांसा के प्रश्न हो रहे हैं उस सम्बन्ध में एक अविश्वास का प्रस्ताव है। उसमें आप विस्तारपूर्वक कह सकते हैं।

सादीपुर के अग्निपीड़ितों को सहायता

*६---**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं तहसील सहसवान के ग्राम सादीपुर में १८ मई, १९६२ को भीषण अग्निकांड हो गया है ? यदि हां, तो कितनी जन तथा धन की हानि का अनुमान है और सरकार द्वारा ग्रामीणों को क्या सहायता प्रदान की गई है ?

श्री बृजबिहारी—जी हां। इस अग्निकांड में १० मकानों को हानि पहुंची और १ बच्चे की मत्यु हुई। कुल हानि का अनुमान लगभग २,३२२ रु० का है। आपदकालीन तकावी के रुप में ३०० रु० पोड़ितों को बाटा गया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर कि नुकसान २,३२२ रुपये का न होकर लगभग १०,००० रुपये का है यह सहायता की रकम बहुत कम है फिर से जांच करा कर इसको बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—यह अहेतुक सहायता है। इससे उन व्यक्तियों को सहायता दी जाती है जो असहाय हैं, जिनके लिये कोई प्रबन्ध आसानी से नहीं हो सकता है। इसलिये जो सहायता सरकार ने उचित समझी जैसी कि नीचे से रिपोर्ट आयी उसके अनुसार सहायता दी गयी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उन्हीं असहाय व्यक्तियों के लिये अधिक सहायता की बात मैं कह रहा हूं। २,३२२ रुपये के नुकसान की रपट भी गलत है। नुकसान १०,००० रुपये से अधिक का हुआ है। तो इस बात को देखते हुये क्या सरकार और सहायता प्रदान करेगी ?

श्री बृजबिहारी—सरकार की दृष्टि में सहायता पर्याप्त है।

[१० अगस्त, १९६२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

चकबन्दी का कार्य

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में प्रदेश के किन-किन जिलों का नयी-नयी तहसीलों में चकबन्दी का काम शुरु होने वाला है ?

श्री बृजबिहारी—वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में प्रदेश के १२ जिलों की नई तहसीलो में चकबन्दी का कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है।

इन जिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १११९ पर)

श्री रामसुन्दर पांड़ेय—क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि इन तहसीलों में कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री बृजबिहारी—मा० अध्यक्ष जी, जिलेवार सूची है। आज्ञा हो तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—पढ़ दीजिये।

श्री बृजबिहारी—१२ जिले हैं। तहसीलों का भी नाम है। बुलन्दशहर में अनूपशहर, फर्रुखाबाद में कायमगंज, लखनऊ में सदर, उन्नाव में सफीपुर, बदायूं में दातागंज, सीतापुर में मिश्रिख, रायबरेली में सदर, शाहजहांपुर में तिलहर, मैनपुरी में जसराना, आगरा में फीरोजाबाद, बहराइच में कैसरगंज, सहारनपुर में सदर।

श्री रामसुन्दर पांड़ेय—मैने यह पूछा है कि चकबन्दी कब से शुरू होगी, इन तहसीलो में ?

श्री बृजबिहारी—नियम यह है कि जब एक जगह चकबन्दी समाप्त हो जाती है तब दूसरी जगह कार्य प्रारम्भ किया जाता है। जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। जब समाप्त होगा तो दूसरी जगह शुरू होगा। समय नहीं बताया जा सकता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि चकबन्दी में जो रिश्वतसितानी की सख्त शिकायत है, उस को रोकने के लिए वह क्या कदम उठाना चाहते हैं ताकि इन तहसीलों के अन्दर जो चकबन्दी होने वाली है वह भ्रष्टाचार उनमें न हो जो अब तक हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष—आप नया प्रश्न कर सकते हैं। इसमें नहीं उठता।

कमघनवां एवं बनकटा से कुर्क अमीन के विरुद्ध शिकायत

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम कमघनवां एवं बनकटा के किसानों का आवेदन-पत्र क्रमशः १७ मार्च, १९६२ तथा २१ मार्च, १९६२ का भेजा हुआ उन्हें और जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें कुर्क अमीन द्वारा मारने, गाली देने एवं घूस लेने की शिकायत भी पाई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बृजबिहारी—श्री द्वारिका, ग्राम कमघनवां का आवेदन-पत्र दिनांक १७-३-६२ को सरकार को नहीं प्राप्त हुआ परन्तु जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था। श्री बाबू लाल ग्राम बनकटा का आवेदन-पत्र दिनांक २१-३-६२ का सरकार को तथा जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था। इन आवेदन-पत्रों पर जांच कराई गई है तथा कथित आरोप प्रमाणिक नहीं हुए। अतएव कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या प्रार्थियों से भी पूछ-ताछ की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजबिहारी—श्री द्वारिका के प्रार्थना-पत्र की जांच नायब तहसीलदार (कलेक्शन) द्वारा तथा श्री बाबू लाल के पत्र की जांच नायब तहसीलदार (रेगुलर) द्वारा कराई गई। जांच दौरान में प्रार्थियों से भी पूछ-ताछ की गई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि श्री द्वारिका और श्री बाबूलाल का अलग-अलग बयान क्या है ?

श्री बृजबिहारी—इस फाइल में, अध्यक्ष महोदय, बयान नहीं मालूम होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—प्रश्न ३ के उत्तर में कहा गया है कि पूछ-ताछ की गयी।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आप कहते हैं कि उनका बयान क्या था ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या पूछताछ की गयी, यही बता दें ?

श्री बृजबिहारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछताछ के माने यह होते हैं कि उनसे प्रश्न कर लिये गए। कोई जरूरी नहीं कि वह बयान कलमबद्ध किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, हमें बड़ी तकलीफ है, एक श्री बाबू लाल के सम्बन्ध में जो घटना घटी संयोग से उस समय मैं भी वहां मौजूद था, तो मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि इन दोनों दरख्वास्तों की जांच गलत हुई, कोई बयान या गवाही वगैरह नहीं ली गई, और इसके हमें निजी जानकारी है, तो क्या इस को फिर से इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि यदि ऐसी घटना हुई और माननीय सदस्य महोदय के सामने हुई तो उनका फर्ज था कि वह अपना बयान लिखित दिये होते या अधिकारियों का ध्यान इस तरफ दिलाये होते। जहां तक फाइल

का सम्बन्ध है मिसिल से मालूम होता है कि इंक्वायरी की गई और उसका परिणाम मैंने बता दिया।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब उन व्यक्तियों ने दरख्वास्त दी और माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य यह कहते हैं कि वह उस समय यहां मौजूद थे तो उनका भी बयान क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि पूछताछ कोई जरूरी नहीं है कि कलमबद्ध किया जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह—माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि माननीय सदस्य जिनके सामने घटना घटी उनको चाहिए था कि वह शिकायत करते तो मैं जानना चाहता हूं कि मुहकमे ने उस दरख्वास्त पर माननीय सदस्य का बयान हीं क्यों नहीं लिया ?

श्री बृजबिहारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबूलाल का प्रार्थना-पत्र हमारे पास है और उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माननीय सदस्य वहां मौजूद थे। अगर इस आवेदन पत्र में यह लिखा होता....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आर्डर आर्डर।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी फिर से मेहरबानी फरमायेंगे और कृपा करके द्वारका और बाबूलाल से बयान लेंगे कि उन दोनों की दरख्वास्तें जो थीं वह गलत थीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब उनसे पूछताछ एक बार तो हो चुकी है। बार-बार क्या पूछा जाय ?

बलिया जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*४—**श्री मैनेजरसिंह**—कृपया राजस्व मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि मार्च और अप्रैल, सन् १९६२ में बलिया जिले के अन्तर्गत कहां-कहां आग लगी और कितने की क्षति हुई ? अग्निपीड़ित परिवारों को क्या सहायता पहुंचाई गई ?

श्री बृजबिहारी—५६ गांवों में अग्निकांड हुये, जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हैं। इन अग्नि कांडों में १ बालक तथा ७ पशुओ की मृत्यु हुई तथा अनुमानतः १,४८,४८८.२५ न०पै० की सम्पत्ति की हानि हुई। पीड़ित परिवारों में १,३७८ रु० अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११२० पर)

*५—**श्री मैनेजरसिंह**—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में कितने गांव गत बाढ़ से प्रभावित थे और उन गांवों में कितने की क्षति हुई ?

श्री बृजबिहारी—५८७ गांव प्रभावित हुये थे तथा अनुमानतः १,९८,३०० रु० की क्षति हुई।

*६—**श्री मैनेजरसिंह**—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत बाढ़ में पीड़ित जनता के लिये पूर्वी जिलों को कितनी सहायता पृथक्-पृथक् पहुंचाई गई ?

श्री बृजबिहारी—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११२१ पर)

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अग्निकांड ५६ गांवों में हुआ जिसमें सैकड़ों परिवार पीड़ित हुये और अहेतुक सहायता केवल १,३७८ रुपये दी गई जो २४ रुपये साढ़े तिरसठ नया पैसा प्रति गांव हुई। तो क्या इसको वह अपर्याप्त नहीं समझते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सबको नहीं दिया है। जो अकिंचन थे सिर्फ उन्हीं को दिया गया है।

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जितने लोग पीड़ित हुये, उसमें कितने ऐसे परिवार थे जो सहायता के लायक थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस डीटेल के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आग जो लगी इस सम्बन्ध में अग्निपीड़ित गांवों से कितने आदमियों की दरख्वास्तें सहायता के लिये आयीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर मिला है कि ५८७ गांव प्रभावित हुये बाढ़ से और उसमें १,९८,३०० रुपये की क्षति हुई, तो क्या माननीय मंत्री जी देखेंगे कि ३८९ रुपये प्रति गांव की क्षति का जो आंकड़ा है वह गलत नहीं मालूम होता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रति गांव तो हमने कोई बताया नहीं।

श्री मैनेजर सिंह—जो उत्तर है, श्रीमन्, उसमें ५८७ गांव बाढ़ से प्रभावित बतलाये हुये हैं और कुल नुकसान १,९८,३०० पये बताया गया है। तो प्रति गांव के हिसाब से औसत निकालने पर ३८९ रुपये वह होता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह ३८९ रुपया प्रति गांव गलत नहीं मालूम हो रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—औसत नहीं लगाया जाता। किसी में ज्यादा हुआ, किसी में नाम मात्र को हुआ। इस तरह से सबका टोटल बतलाया गया है। उसमें प्रति गांव लगाने से तो हिसाब ठीक नहीं आयेगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस २५ साल के अन्दर कभी उन्होंने कन्धे पर दुपट्टा नहीं डाला, आज इस हाउस के अन्दर उन्होंने कन्धे पर दुपट्टा क्यों डाल रखा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आज तबियत कुछ नासाज है इसलिये दुपट्टा लाया शायद किसी पर डालना पड़े।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतायेंगे कि अधिक से अधिक सहायता एक व्यक्ति को कितनी दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है।

जे० टी० सी० तथा एच० टी० सी० की ट्रेनिंग

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जे०टी०सी० तथा एच०टी०सी० की ट्रेनिंग जो दो साल की होती है वह एक साल हुआ करे ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

लैण्ड एक्वीजीशन कार्यालय, गोरखपुर के दो क्लर्कों का स्थानान्तरण

*८—नरसिंहनारायण पंडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर का लैन्ड इक्वीजीशन कार्यालय कलक्ट्रेट के अंग्रेजी दफ्तर में है तथा इस समय दो क्लर्क काम करते हैं ? यदि हां, तो उनकी कुल नौकरी की अवधि क्या है तथा उन लोगों ने कुल नौकरी की अवधि में कितने समय तक लैन्ड इक्वीजीशन क्लर्क के पद पर काम किया ?

श्री बृजबिहारी—जी हां। दोनों लिपिकों की कार्य करने की अवधि इस प्रकार है:—

	कुल नौकरी	लैन्ड इक्वीजीशन शाखा में
(१) प्रथम लिपिक	२४ वर्ष ६ माह	१ वर्ष ६ माह
(२) दूसरा लिपिक	१६ वर्ष २ माह	१४ वर्ष ६ माह

बीच बीच में दूसरा लिपिक कहीं-कहीं स्थानान्तरित भी हुआ था ।

*९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या यह सत्य है कि कलक्ट्रेट गोरखपुर के लैन्ड इक्वीजीशन क्लर्क्स में से किसी क्लर्क को श्री एस० के सरकार, जिलाधीश, गोरखपुर ने कुई बाजार के काश्तकारों की शिकायत पर कोई चेतावनी फरवरी, सन् १९६० से जून, १९६० के बीच में दी थी तथा इसी सम्बन्ध में श्री काजमी सा०, अतिरिक्त जिलाधीश ने किसी क्लर्क का स्थानान्तरण फरेंदा को कर दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उस चेतावनी पत्र की प्रतिलिपि सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी—जी हां। लेकिन किसी भी लिपिक का स्थानान्तरण कुई बाजार के काश्तकारों की शिकायत पर नहीं किया गया था।

चेतावनी की प्रतिलिपि, जनहित में, सदन की मेज पर नहीं रक्खी जा सकती ।

*१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि श्री दुर्योधन प्रसाद विधायक ने कोई डी० ओ० श्री सत्य प्रकाश, लैन्ड इक्वीजीशन आफिसर, गोरखपुर के नाम १५ अप्रैल, १९६१ को उपरोक्त चेतावनी आदि के विषय में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर जिलाधीश, गोरखपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बृजबिहारी—जी हां। उस पत्र में चेतावनी की प्रतिलिपि मांगी गई थी जिसे श्री दुर्योधन प्रसाद जी को देने में असमर्थता प्रकट की गयी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि श्री एस० के० सरकार, जिलाधीश गोरखपुर ने कुई बाजार के काश्तकारों की शिकायत पर कोई चेतावनी फरवरी, सन् १९६० से जून, १९६० के बीच में दी थी तथा

इसी सम्बन्ध में श्री काजमी सा०, अतिरिक्त जिलाधीश ने किसी क्लर्क का स्थानान्तरण फरेंदा को कर दिया था, इसमें कहा गया है लेकिन किसी भी लिपिक का स्थानान्तरण कुई बाजार के काश्तकारों की शिकायत पर नहीं किया गया, तो यह क्यों किन कारणों से स्थानान्तरण किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---स्थानान्तरण तो किया ही नहीं गया, किया क्या गया ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मंत्री जी इस उत्तर को देखें। उसमें कहा गया है कि जी हां, स्थानान्तरण किया गया है। तो अगर ए०डी०एम० या डी०एम० ने ....

श्री अध्यक्ष---मैं एक बात निवेदन कर दूं कि व्यक्तिगत ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में एक व्यक्ति के स्थानान्तरण के प्रश्न पर नहीं पूछा जा सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे कौन से कारण थे जिनके ऊपर स्थानान्तरण किया गया है अगर उनके ऊपर नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर किया गया है।

इण्टर नेशनल कालेज कादम्बरी, वाराणसी में तीन अध्यापकों को नोटिस

*११---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को पता है कि इंटर नेशनल कालेज कादम्बरी कानन पिंडरा वाराणसी के प्रबंधक ने ३ मई, १९६२ को बिला जिला विद्यालय निरीक्षक की आज्ञा के तीन स्थायी अध्यापकों को सेवा से मुक्त कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्रबंधक के आदेश को रद्द करने का विचार कर रही है ?

श्री अजीज इमाम---जी हां। प्रबंधक ने तीन अध्यापकों को ८ जूलाई, १९६२ से सेवा समाप्ति की नोटिस दी थी जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा आपत्ति की गई। वे अध्यापक अब विद्यालय में कार्य कर रहे हैं।

*१२---**श्री ऊदल**---क्या सरकार को पता है कि विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने १ अप्रैल, १९६२ की बैठक में एक प्रस्ताव पास कर उक्त कालेज से वाणिज्य विभाग तोड़ने के सम्बन्ध में पास किया जो उस दिन के एजेंडा में नहीं था और उसकी स्वीकृति के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को भेजा था ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या जवाब प्रबंधक को दिया ?

श्री अजीज इमाम---जी हां। इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय को सम्मति दी है कि विद्यालय से वाणिज्य वर्ग की पढ़ाई समाप्त न करें। उक्त वर्ग में कक्षायें पूर्ववत् चल रही हैं।

श्री ऊदल---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन तीन अध्यापकों को नोटिस प्रबंधकों ने दिया था क्या वे तीनों स्थायी थे ?

श्री अजीज इमाम---जी हां।

श्री ऊदल---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जब तीनों अध्यापक स्थायी थे और प्रबंधकों ने गैर कानूनी तरीके से नोटिस दी तो प्रबंधकों के खिलाफ सरकार या शिक्षा विभाग ने कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री अजीज इमाम---इस कार्यवाही की जरूरत इसलिये प्रतीत नहीं होती है कि जब उन्होंने उनको निकालने का नोटिस दिया, मास्टरों को तो मास्टरों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को दरख्वास्त दी। उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जो आर्डर दिया उसको उन लोगों ने मान लिया।

माधोपुर के जमींदार द्वारा खलियान की भूमि पर कब्जा

*१३–**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)––क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बीघापुर विकास खंड, जिला उन्नाव, के अन्तर्गत बमगुलाल खेरा गांव पंचायत के माधोपुर गांव के एक पुराने जमींदार ने सार्वजनिक खलियान को तोड़ कर उस पर एक पक्की इमारत और एक कच्चा बंगला बना लिया है ?

श्री बृजबिहारी––जी हां । ऐसी शिकायत हुई है ।

*१४–**श्री देवदत्त मिश्र**––क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त गांव पंचायत के प्रधान द्वारा इस घटना की रिपोर्ट जिलाधीश, उन्नाव और हाकिम परगना, पुरवा को की जाने पर भी अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री बृजबिहारी––जी नहीं ।

श्री देवदत्त मिश्र––क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिकायत उन्हें मिली वह कहां से मिली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––वहां किसी गांव के आदमी की थी । मैं इस वक्त नहीं बतला सकता ।

श्री देवदत्त मिश्र––अध्यक्ष महोदय, १३ और १४ दोनों प्रश्नों का उत्तर परस्पर विरोधी हैं । अगर वह शिकायत मिली है तो दूसरे में 'जी नहीं' का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उस शिकायत में उनसे कार्यवाही करने की अपील की गई है । इसलिये मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित विभाग को लिखें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––इसमें हमें दिक्कत मालूम होती है क्योंकि अगर कोई शख्स सार्वजनिक जमीन पर इंक्रोचमेंट कर लेता है तब तो हमारे विभाग के जरिये से हो सकता है । इसमें जुज हिस्से पर पक्का मकान बना लिया है, उसके खिलाफ कार्यवाही हम एक्जिक्यूटिव ढंग से नहीं कर सकते हैं । उसके लिये सिविल सूट लाना पड़ेगा । किसी वकील से मशविरा कर लिया जाय ।

पति-पत्नी का अध्यापक के रूप में एक स्थान पर रहना

*१५––**श्री सत्यवीर कुंवर** (जिला बिजनौर)––क्या शिक्षा मंत्री इस बात की सूचना देने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में जो पति-पत्नी अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनमें से कितने जी०ओ० नं० ४९८२/१५––१९४–५२, दिनांक ६ अगस्त, १९५२ के अनुसार एक ही स्थान पर नियुक्त हैं ?

श्री अजीज इमाम––प्रश्न में वांछित सूचना एकत्र करने में जो समय या धन लगेगा उसके अनुपात में लाभ होने की आशा नहीं है ।

श्री सत्यवीर कुंवर––मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया है । मैंने यह पूछा था कि क्या शिक्षा मंत्री इस बात की सूचना देने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में जो पति-पत्नी अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनमें से कितने इस जी०ओ० के अनुसार एक ही स्थान पर नियुक्त हैं ?

श्री अध्यक्ष––मतलब उनका यह है कि कोई स्पेसिफिक केस ऐसा हो कि जिसमें उस जी०ओ० का पालन न किया गया हो तो वह देख सकते हैं । आम सवाल के लिये उन्होंने यह कह दिया कि दिक्कततलब है ।

श्री सत्यवीर कुंवर—मेरे पास स्पेसिफिक केस भी है ।

श्री अध्यक्ष—तो उसके बारे में अलग सवाल कर लीजियेगा ।

लखनऊ में गोमती का पाट चौड़ा करना

*१६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में बाढ़ रोकने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल)—जी हां ।

*१७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार के पास कोई पुस्तिका आई है जिसमें उपरोक्त बाढ़ योजना का विरोध किया गया है ? यदि हां, तो उस पुस्तिका में खास-खास कौन-सी बातें हैं ?

श्री गनेशीलाल—जी हां । पुस्तिका में गोमती नदी के पाट को चौड़ा करने के लिये भूमि प्राप्त करने का विरोध किया गया है क्योंकि उसमें कुछ धार्मिक स्थान भी आते हैं ।

*१८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ बाढ़ योजना चालू होने से उसके अन्तर्गत कितने मंदिर, मकबरा तथा धर्मशाला को हटाने का सुझाव है ?

श्री गनेशीलाल—लगभग छोटे बड़े मिलाकर २६ मंदिर, २ मकबरे यानी मजार और एक धर्मशाला, प्राप्त की जाने वाली भूमि में आते हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—यह योजना कितने धन की है और अभी चालू हुई या नहीं ?

श्री गनेशीलाल—यह योजना ४ लाख की है और काम चल रहा है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि २६ मंदिरों और मकबरों के नाम जो लिखे गये हैं उन्हें छोड़ कर यह योजना चालू की जायगी या उनको शामिल किया जायगा ?

श्री गनेशीलाल—यह मंदिर जहां पर हैं उनको वहां से हटा कर फिर बना दिया जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्दर कोई पुरातात्विक महत्व की इमारत भी आ रही है या नहीं ?

श्री गनेशीलाल—इसकी सूचना नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो योजना बनी है वह मास्टर प्लान के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो मास्टर प्लान कितने रुपये का है और यह योजना कितने रुपये की है ?

श्री गनेशीलाल—यह तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड के मातहत है । मास्टर प्लान की बाबत मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय वहां कोई मंदिर तोड़ा गया है इस योजना को पूरा करने में ?

श्री गनेशीलाल—जो मंदिर ७०० फीट पेटे में आयेंगे उनको हटाया जायगा और फिर वह नदी के किनारे बना दिये जायंगे ।

पिंडरा इंटर कालेज, वाराणसी संबंधी शिकायतों की जांच

*१९—श्री ऊदल—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा इंटर कालेज, वाराणसी की शिकायतों के संबंध में प्रश्न कर्त्ता ने एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को २३ अप्रैल व शिक्षा मंत्री को २४ अप्रैल को दिया था, उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार संबंधित अलग-अलग ११ शिकायतों की जांच की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अजीज इमाम—माननीय सदस्य से प्राप्त शिकायतों पर जांच के लिये शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को आदेश दिया है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जायगी।

श्री ऊदल—क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस शिकायत की जांच कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री अजीज इमाम—जल्दी ही उम्मीद की जाती है।

गोरखपुर तथा देवरिया जिले में मादक वस्तुओं की दुकानों का ठेका

*२०—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या आबकारी मंत्री यह बतायेंगे कि गोरखपुर, देवरिया जिलों में गत ५ वर्षों में कौन-कौन सी आबकारी (गांजा, भांग, शराब अलग-अलग) की कितनी दूकानें थीं और उनके प्रतिवर्ष कौन-कौन व्यक्ति ठेकेदार थे तथा उनका ठेका कितने-कितने रुपये की उच्चतम बोली पर था तथा इस वर्ष कौन-कौन लोग कितने-कितने की बोली पर उक्त दूकानों के ठेकेदार हैं ?

डाक्टर सीताराम—अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

*२१—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त जिलों में कितनी दूकानें नयी बढ़ायी गयीं और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कल्पनार्थसिंह—सूचना एकत्र करने में इतनी देरी क्यों लग रही है ?

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हम लोगों को पोस्टपोन कराना चाहिये था, लेकिन यह अन्तरिम उत्तर दिया जा रहा है। उन्होंने जो सूचना मांगी है वह बहुत व्यापक है और उसमें समय लगेगा।

भू-राजस्व की वसूली

*२२—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों की क्या प्रगति भूमि के राजस्व की वसूली की रही है ?

श्री बृजबिहारी—गत पांच वर्षों में भूमि के राजस्व की वसूली संतोषजनक रही है।

श्री गेंदासिंह—यह जिस आधार पर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि संतोषजनक प्रगति है उस आधार को कृपा करके बतलाने का कष्ट करें कि कितनी मालगुजारी वसूल होनी चाहिये और कितनी वसूली हुई। कम से कम यह बतायें।

श्री बृजबिहारी—५ वर्षों की फीगर्स इस प्रकार हैं :—

१३६४ फसली में—१८,२७,१३,२०३ रु० डिमांड थी और इसमें कलेक्शन १७,०२,३१,५८४ रु० हुआ। ९५ परसेंट वसूली हुई है।

१३६५—फसली में—१९,२२,६३,९३७ रु०—डिमांड थी और १७,२५,९९,५८२ रु० की वसूली हुई।

१३६६ फसली में—२१,८०,७३,१९१—डिमांड थी और २०,७५,९६,५१३ वसूली हुई।

१३६७ फसली में—२३,१४,५९,५०९ डिमांड थी और २०,८९,९४,५७५ वसूली हुई।

१३६८ फसली में—२३,२५,३६,०९९ डिमांड थी और २१,३६,४७,७२० वसूली हुई।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, यह पहले वर्षों में जो हम देखते हैं कि १८ करोड़ कुछ लाख (मंत्री जी दुरुस्त कर लेंगे) की वसूली हुई और यह पिछले वर्ष २३ करोड़ २५ लाख रुपये बढ़ कर डिमांड हो गई। यह लगभग ५ करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है वह किस प्रकार हुई ? इससे लोगों को बड़ा असंतोष है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सी० एल० आर०डी० की स्कीम के जरिये से जमीन जोतते थे और मालगुजारी नहीं देते थे। यही सब मदें हो सकती हैं।

श्री गेंदासिंह—माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायें कि यह सी० एल० आर० डी० से कितनी रकम आई और अन्य प्रकार से कितनी रकम आई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना मिलने पर सब बता देंगे। अभी सूचना नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह वसूली न होने की वजह बतलायेगी कि क्या वजह थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अक्सर हमको छूट देनी पड़ती है और बहुत से सदस्यगण आग्रह करते हैं कि ढील कर दीजिये तो करनी पड़ती है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—अभी माननीय मंत्री जी ने १५ मिनट पहले बतलाया कि केवल अलाभकर जोतों से १७ करोड़ रुपये की आमदनी है और अभी उन्होंने १८ करोड़ बतलाई। तो यह सही है या १५ मिनट पहले वाली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दोनों सही हैं।

गांजा तथा भांग

*२३—**श्री विश्वनाथप्रसाद** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतायेगी कि मार्च, १९६२ में समाप्त होने वाले वर्ष में कितना गांजा तथा भांग बेची गयी ?

डाक्टर सीताराम—मार्च, १९६२ में समाप्त होने वाले वर्ष (१९६१-६२) में प्रदेश में १३४ सेर २ छटांक गांजा तथा १,७७,४६६ सेर भांग बेची गयी।

*२४—**श्री विश्वनाथप्रसाद**—इस वर्ष में कितना रुपया कमीशन के रूप में ठेकेदारों को मिला ?

डाक्टर सीताराम—गांजा के लाइसेंसदारों को उपरोक्त वर्ष में २,६८२ रु० ५० न०पै० कमीशन से मिले। भांग की दूकानों से कोई कमीशन नहीं मिलता।

*२५—**श्री विश्वनाथप्रसाद**—क्या सरकार बतायेगी कि ठेकेदारों को यह ठेके कितने रुपये में नीलाम किये गये ?

डाक्टर सीताराम—गांजा की दूकानें अब नीलाम नहीं होतीं। भांग की दूकानों के ठेके वर्ष १९६१-६२ में २४,०७,८६८ रु० में नीलाम किये गये।

श्री विश्वनाथप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरकार की तरफ से किस भाव पर दूकानदारों को भांग दी जाती है और दूकानदार उसे किस भाव पर बेंचते हैं ?

डाक्टर सीताराम—भांग का आक्शन किया जाता है। उस आक्शन में जितने रुपये पर दूकानदर लेता है उसी हिसाब से वह बेचता है। सरकार की तरफ से भांग की कोई प्राइस फिक्स नहीं होती।

श्री विश्वनाथप्रसाद—मेरा सवाल यह है कि किस भाव पर सरकार देती है और वे किस भाव पर बेचते हैं? या जिस हिसाब से वे चाहें बेचें?

डाक्टर सीताराम—शायद माननीय सदस्य को गांजे का भ्रम हो गया है। गांजा जरूर २२० रु०प्रति सेर के हिसाब से उनको जिनके पास लाइसेन्स होता है दिया जाता है और वे उसको २४० रु० प्रति सेर के हिसाब से बेचते हैं। लेकिन भांग का कोई रेट फिक्स नहीं है।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, लखीमपुर का उच्चीकरण तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स का सेलेक्शन

*२६—**श्री तेजनारायण त्रिवेदी** (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंड्री स्कूल व गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल फार गर्ल्स क्रमशः किस समय तक इंटर कालेज व हायर सेकेंड्री स्कूल में परिणत हो जावेंगे?

श्री अजीज इमाम—राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल लखीमपुर खीरी को वर्तमान सत्र से हाई स्कूल में परिणत करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

राजकीय हाई स्कूल को इंटर कालेज में परिणत करने के प्रश्न पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में विचार किया जायगा।

*२७—**श्री तेजनारायण त्रिवेदी**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जबकि डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स का सेलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हो रहा है तो क्या कारण है कि डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित अनुपात के आधार पर डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स का सेलेक्शन नहीं हो रहा है?

श्री अजीज इमाम—डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के सीधे चुनाव में लोक सेवा आयोग को केवल पदों को विज्ञापित करके सीधी भरती करना रहता है। इसलिये सीधी भरती करने में उन्हें देर नहीं लगती। परन्तु विभागीय चुनाव के लिये पहले पत्रादि निदेशक के यहां एकत्रित किये जाते हैं और शासन फिर उनकी जांच करता है। इसके उपरान्त ही आयोग को उपर्युक्त सामग्री चुनाव हेतु भेजी जाती है। इसमें समय लगता है। शिक्षा निदेशक को इस विषय में लिखा जा चुका है, पत्रादि उपलब्ध होने पर आयोग को विभागीय चयन के लिये लिखा जायेगा।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिला इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स का विभागीय चुनाव किस सन् में हुआ था और पत्रादि एकत्र करने में इतनी देरी क्यों हुई?

श्री अजीज इमाम—सब से पहले विभागीय चुनाव सन् १९५४ में शुरू हुआ जिसमें ५० प्रतिशत विभाग से और ५० प्रतिशत पब्लिक सर्विस कमीशन से लिये जाते थे।

*२८-३०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

गंगारामपुर में शराब व भांग का स्टाक

*३१—**श्री जे० पी० मिश्र** (जिला हरदोई)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हरदोई जिले का मल्लावां टाउन नशाबन्दी का क्षेत्र घोषित है? गंगारामपुर में उसी टाउन में आबकारी अधिकारियों ने फर्जी गोदाम की इजाजत देकर बाकायदा शराब, भांग की दूकान

खुलवा रखी है जब कि दूकान का लाइसेंस पुरवायां (Purwayan) ग्राम के नाम से है जो टाउन से ५ मील दूर है ?

डाक्टर सीताराम—हरदोई जिले का मल्लावां टाउन मद्य-निषेध क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है । गंगारामपुर, मल्लावां टाउन जिला हरदोई में कोई फर्जी गोदाम नहीं है, बल्कि वहां पुरवायां दूकान के ठेकेदार को सरकारी गोदाम से लाई हुई सील बन्द शराब व भंग की निकासी के स्टाक के सुरक्षार्थ केवल रखने की आज्ञा जिलाधीश द्वारा दी गई है । वहां बिक्री करने की इजाजत ठेकेदार को नहीं दी गई है ।

*३२—**श्री जे० पी० मिश्र**—क्या सरकार इस फर्जी गोदाम का लाइसेंस फौरन रद्द करके दूकान को पुरवायां भेजवा देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्न नहीं उठता ।

*३३–३५—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६–३७—**श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न १३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सहायक अभियन्ता श्री के० सी० तिवारी से संबंधित प्रार्थना-पत्र

*३९—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर) तथा **श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ मार्च, १९६२ के भेजे हुए पत्र पर उत्तर प्रदेश पी० डब्ल्यू० डी० एम्पलाइज यूनियन की चकिया चन्दोली, वाराणसी के कार्य-समिति के सदस्यों एवं मेठों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ स्थानीय सहायक अभियंता श्री के० सी० तिवारी से संबंधित प्रार्थना-पत्र पर सरकारी अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार उक्त प्रार्थना की आवश्यक जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—मामला सरकार के विचाराधीन है ।

मरदह में नार्मल स्कूल की आवश्यकता

*४०—**श्री झिलमिटराम** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के मरदह ग्राम में नार्मल स्कूल बनवाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

*४१–४२—**श्री लखौसिंह** (जिला मथुरा)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल, राठ, नार्मल स्कूलों के बेसिक ट्रेण्ड प्रधानाध्यापक तथा अतिरिक्त जिला विद्यालय उप-निरीक्षक

*४३—**श्री डूंगरसिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राठ, जिला हमीरपुर में बालिका हाई स्कूल खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह विद्यालय कब से खोला जायेगा और उसकी इमारत बनाने की क्या योजना है ?

आचार्य जुगल किशोर—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६३–६४ में राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल राठ, हमीरपुर को हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण करने की योजना है परन्तु अलग से कोई बालिका हाई स्कूल खोलने की योजना नहीं है । उक्त स्कूल में हाई स्कूल कक्षायें चालू करने के संबंध में अतिरिक्त भवन बनवाने का प्राविधान भी किया गया है ।

*४४—श्री डूंगरसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने नार्मल स्कूल हैं और उनमें कितने बेसिक ट्रेन्ड प्रधानाध्यापक हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—उत्तर प्रदेश में १०० बालकों तथा १८ बालिकाओं के कुल ११८ राजकीय नार्मल स्कूल हैं, इनमें १५ प्रधानाध्यापक एवं ४ प्रधानाध्यापिकाएं बेसिक ट्रेन्ड हैं ।

*४५—श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त जिला विद्यालय उप-निरीक्षक किन-किन जिलों में नियुक्त हो गये हैं और शेष में कब तक हो जायेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—उत्तराखंड मंडल के तीन जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष ५१ जिलों में अतिरिक्त जिला विद्यालय उप-निरीक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं।

अभी यह निश्चित नहीं है कि उत्तराखंड के तीनों जिलों में अतिरिक्त जिला विद्यालय उप-निरीक्षक कब तक नियुक्त हो जायेंगे ।

शिक्षा विभाग के गोपनीय विभाग में अनुसूचित जाति के क्लर्क

*४६—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के गोपनीय विभाग में कितने क्लर्क हैं और उनमें से अछूत वर्ग के कितने क्लर्क हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—माध्यमिक शिक्षा परिषद् के गोपनीय विभाग में इस समय कुल ७० क्लर्क हैं। इनमें एक अनुसूचित जाति का है।

*४८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा बोर्ड में कितनी समितियां हैं और क्या उन समितियों में कोई अछूत-वर्ग का संयोजक भी है ? यदि हां, तो उनके क्या नाम व कौन सी कमेटी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—परिषद् द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों की संख्या ४९ है ।

संयोजक के चुनाव में जाति या वर्ग का कोई आधार नहीं रखा जाता। अतः इस आधार पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

तीसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*४८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडियेट बोर्ड में कितने प्रधान परीक्षक एवं कितने उप-परीक्षक हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने अछूत वर्ग के हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९६२ की बोर्ड की परीक्षाओं में प्रधान एवं उप-प्रधान परीक्षकों की संख्या निम्नवत् रही :

		हाई स्कूल	इन्टर
प्रधान परीक्षक	लिखित	१३४	१८३
	प्रयोगात्मक	२५	२७
उप-प्रधान परीक्षक	.. ..	२४३	१२७

प्रधान व उप-प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति जाति या वर्ग के आधार पर नहीं की जाती। अतः तत्संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

*४९-५०--श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)--[७ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ७२-७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५१--श्री बलवीरसिंह तथा श्री रामसिंह--[८ वें मंगलवार में प्रश्न १०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में सड़क-निर्माण-योजना

*५२--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिला में कौन-कौन सड़कों को पक्की करने की योजना है और वह कितनी मील लम्बी सड़कें होंगी ?

श्री गिरधारीलाल--

(१) छिबरामऊ-फर्रु खाबाद सड़क--१५ मी० १ फ० ४४० फी०।
(२) कन्नौज-बिलग्राम सड़क ३ मी०।

नई योजना

(३) शमशाबाद-मुहम्मदाबाद सड़क १३ मी० ३ फ०।

*५३--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर जिले में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का अवशेष वेतन

*५४--श्री शिवनाथसिंह--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों का वेतन कितने दिनों से बाकी है और उसकी धनराशि क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--केवल जुलाई मास १९६२ का वेतन अवशेष है जिसकी धनराशि करीब १,९५,९८० रु० है। आशा है कि यह धनराशि १५ अगस्त, १९६२ तक वितरित हो जायगी।

बदायूं जिले में सड़कों का निर्माण

*५५--श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री नरोत्तम सिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क बनाये जाने के लिये प्लानिंग कमेटी ने नम्बर १ से नम्बर ५ तक कौन-कौन सी सड़कों को पुख्ता करने के लिये सरकार के पास सिफारिशें भेजी हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

(१) सहसवान-गुन्नौर-बबराला सड़क,
(२) कछला-बिसौली सड़क,
(३) बदायूं-ककराला-अल्लापुर-सियाऊं-उसावां सड़क,
(४) बिसौली-इस्लाम नगर-बहजोई सड़क,
(५) बेलाडांडी-दातागंज-उसेहत-लिलवा सड़क।

*५६--श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री नरोत्तमसिंह--उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर कौन-कौन सी सड़कें तैयार हो गई हैं ?

श्री गिरधारीलाल--उक्त सिफारिश के आधार पर (१) सहसवान, गुन्नौर-बबराला तथा (२) बदायूं-अल्लापुर-उसांवा-सड़कें ली गई थीं, जो बन रही हैं।

*५७-५९—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६०-६१—श्री नवरंगसिंह (जिला बहराइच)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

मड़ियाहूं में गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता

*६२—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में लड़कियों की पढ़ाई के लिये जौनपुर नागर क्षेत्र को छोड़कर कहां-कहां और कितने जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जौनपुर नागर क्षेत्र को छोड़कर इस जिले में कुल ५ बालिका जूनियर हाई स्कूल, जफराबाद, मुंगरा बादशाहपुर, शाहगंज, मछलीशहर और केराकत में चल रहे हैं ।

*६३—श्री जगन्नाथ राव—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मड़ियाहूं टाउन एरिया जौनपुर क्षेत्र में लड़कियों के लिये कोई जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस वर्ष नहीं ।

परीक्षोपयोगी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये प्रतिबंध

*६४—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि परीक्षोपयोगी होने के नाम पर विभिन्न विषयों पर प्रकाशित होने वाली प्रायः पुस्तकें और कुंजियां भाषा और विषय विवेचन की दृष्टि से अशुद्ध, निरर्थक और कभी-कभी बड़ी भ्रामक होती है ? क्या इनकी रोक के लिये कोई व्यवस्था की जा सकती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ८५ के द्वारा इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

पहाड़ी बुजुर्ग ग्राम के सभापति के विरुद्ध शिकायत

*६५—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग परगना मोठ, जिला झांसी के ग्राम सभापति ने सार्वजनिक तालाब (नं० ३२५ रकबा ६/८२) का पट्टा अपने नौकर परसादी के नाम कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सार्वजनिक अहित को दूर करने का क्या प्रयत्न किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस तालाब के लिखे हुये रकबे में से ३ एकड़ प्रधान, गांव सभा द्वारा परसादी के नाम किया गया है । इस विषय में परगनाधीश आवश्यक जांच कर रहे हैं ।

सहायक आबकारी कमिश्नर के कार्यालय—लिपिकों का वेतन

*६६—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक आबकारी कमिश्नरों के प्रधान व द्वितीय लिपिकों का ग्रेड सिविल सर्जन व स्वास्थ्य अधिकारी के समान १९५४ में थे ? यदि हां, तो आबकारी कमिश्नरों के लिपिकों के ग्रेड की वृद्धि स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन के लिपिकों के समान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा उस वृद्धि के संबंध में सरकार का क्या विचार है ?

डाक्टर सीताराम--सहायक आबकारी कमिश्नर के कार्यालय के प्रधान तथा द्वितीय लिपिकों के वेतन ग्रेड ३१ मार्च, १९५४ तक सिविल सर्जन व स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालयों के लिपिकों के ग्रेड के समान ही थे। १ अप्रैल, १९५४ से सिविल सर्जन के कार्यालयों के लिपिकों के ग्रेड में वृद्धि हुई, परन्तु सहायक आबकारी कमिश्नरों के कार्यालयों के लिपिकों के ग्रेड में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई। सरकार ने ऐसा निर्णय इसलिये किया कि सिविल सर्जन तथा सहायक आबकारी कमिश्नर के कार्यालय के कार्यभार में काफी अन्तर है तथा प्रशासनिक एवं आर्थिक कारणों से वेतन वृद्धि की मांग असामयिक एवं अनुचित थी।

सराय आकिल-कौशम्बी सड़क का निर्माण

*६७--**श्री नाथूराम शिक्षक** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछली दो तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद के भीतरी भाग में आने-जाने के लिये कितनी लम्बी पक्की सड़कें बनाई गई हैं? उनके नाम क्या हैं?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम योजना काल में इस तहसील की कोई नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। द्वितीय योजनाकाल में सराय अकिल से कौशम्बी जाने वाली १० मील लम्बी सड़क का निर्माण स्वीकृत हुआ। इस सड़क का ७ मील का भाग मंझनपुर तहसील में पड़ता है।

*६८-७०--**श्री बंशीलाल** (जिला इलाहाबाद)--[हटा दिये गये।]

*७१--**श्री हिम्मतसिंह**--[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*७२--**श्री तेजनारायण त्रिवेदी**--[हटा दिया गया।]

*७३--**श्री सन्तसिंह यूसूफ** (जिला कानपुर)--[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सरकारी कर्मचारी पति-पत्नी को एक स्थान पर रखने की राजाज्ञा

*७४--**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)--क्या सरकार को ज्ञात है कि अगस्त, सन् १९५२ में सरकार की तरफ से कोई ऐसा जी० ओ० निकला है कि यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों जिस में एक शिक्षा विभाग में कार्य करता हो तो दोनों को एक स्थान पर रखने की सुविधा सरकार द्वारा दी जायेगी?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, ऐसा आदेश है कि सुविधा देने का प्रयत्न किया जाय।

*७५--**श्री जगन्नाथ चौधरी**--[९ वें बुधवार के लिये प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)--[हटा दिया गया।]

*७७-७९--**श्री दयाराम शाक्य** (जिला फर्रुखाबाद)--[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रधान ग्राम समाज, सौनपुर के विरुद्ध शिकायत

*८०--**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री दीपनारायण, प्रधान ग्राम सौनपुर, पो० देवपुरा तप्पा मथुरा, तहसील बलरामपुर गोंडा ने ग्राम की परती जमीन को अपने घर के कुछ लोगों के नाम से पट्टा बनवा दिया है? यदि हां, तो क्यों और कब तक इसकी जांच करा कर उचित कार्यवाही उक्त प्रधान पर की जायेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो पट्टे हुये हैं उनमें एक प्रधान के भाई के नाम भी हुआ है। जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

*८१---**श्री सुखदेवप्रसाद**---क्या यह सही है कि ग्राम समाज के जामुन, शीशम आदि के कुछ पेड़ प्रधान ने कटवा कर बेच लिये हैं यह क्यों? उचित दंड शीघ्रातिशीघ्र जांच करवा के देने की सरकार कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

*८२-८३---**श्री भगवानदीन** (जिला रायबरेली)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में आबकारी अपराध

*८४---**कुंवर तेजभान सिंह**---क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ जो कि मादक वस्तु निषेध क्षेत्र घोषित है उसमें सन् १९६१ में कुल कितने आबकारी अपराध हुये हैं?

डाक्टर सीताराम---प्रतापगढ़ के शुष्क जिले में सन् १९६१ में कुल १८५ आबकारी अपराध पकड़े गये हैं।

*८५---**कुंवर तेजभानसिंह**---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि मद्य-निषेध के बावजूद भी जिलों के अधिकांश गांवों में मादक वस्तु आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस का क्या प्रबन्ध है?

डाक्टर सीताराम---यह सही नहीं है कि प्रतापगढ़ जिले के गांवों में मादक वस्तुएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। फिर भी आबकारी अपराध की रोकथाम के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

*८६-८७---**श्री बनवारीलाल विप्र** (जिला आगरा)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की जानकारी

*८८---**श्री सन्तसिंह यूसुफ**---क्या सरकार अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार शीघ्र ही कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है? यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का काम कब आरम्भ किया जाने वाला है?

आचार्य जुगलकिशोर---इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

भूमि अभिलेख दुरुस्ती समिति

*८९---**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष श्री रामचन्द्र विकल, सदस्य, विधान सभा के गैर-सरकारी प्रस्ताव पर भूमि अभिलेखों की दुरुस्ती के लिये जो समिति बनायी गयी थी उस समिति ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---समिति ने अब तक ५ बैठकें कीं, का बिज के इन्दराज के संबंध में एक प्रश्नावली तैयार करके कई सरकारी तथा असरकारी सूत्रों से राय ली, और अब शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है।

*९०-९१---**श्री झारखंडेराय**---[२०वें गुरुवार के लिए प्रश्न १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९२-९३—श्री नाथूराम शिक्षक—[हटा दिये गये ।]

कलेक्शन नायब तहसीलदारों की सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों पर नियुक्ति

*९४—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में १९५६ तक जो कलेक्शन नायब तहसीलदार थे उनमें से कितने सहायक चकबन्दी अधिकारी बना लिये गये

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५६ तक ६३ कलेक्शन नायब तहसीलदार, जो लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं थे, सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों पर नियुक्त किये गये ।

*९५—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कलेक्शन नायब तहसीलदारों की जगह मुस्तकिल होने के बाद उन अधिकारियों का क्या होगा जो इस प्रकार स्थानान्तरित किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपरोक्त कलेक्शन नायब तहसीलदारों का सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों पर स्थानान्तरण नहीं किया गया था, बल्कि उन पदों पर उनकी नियुक्ति नये सिरे से की गई थी और उनका कलेक्शन नायब तहसीलदार के पदों से अब कोई सम्बन्ध नहीं है ।

रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र में मालगुजारी की माफी

*९६—श्री चन्द्रबली—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के देवरिया तहसील के रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ से पूरी खरीफ फसल मारे जाने पर १९६० तक कुल मालगुजारी की आधी माफ होती आई है ? यदि हां, तो सन् १९६१ में बाढ़ से पूरी खरीफ की फसल के मारे जाने पर चौथाई माफ करने का क्या कारण है और यदि गलती हुई है, तो क्या उसका सुधार किया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला देवरिया की सदर तहसील के रुद्रपुर क्षेत्र में सन् १९६० तक कुल मालगुजारी की आधी छूट नहीं वरन् नियमों के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त ग्रामों में जो छूट दी जाती थी, दी गई । सन् १९६१ की बाढ़ से हुई क्षति के कारण उक्त क्षेत्र के क्षतिग्रस्त ग्रामों में खरीफ १३६९ फसली की मालगुजारी को ९०,३१६ रु० १० न० पै० की मांग में से ५२,२४६ रु० ७९ न० पै० की छूट दी गई । इससे स्पष्ट है कि रुद्रपुर क्षेत्र में १९६१ में खरीफ की मांग की चौथाई नहीं वरन् आधे से अधिक की छूट दी हुई है । गलती का होना तथा उसके सुधार का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

*९७—श्री चन्द्रबली—क्या माल मंत्री उस क्षेत्र की खरीफ की फसल का बाढ़ से नुकसान और मालगुजारी माफी के आंकड़े १९५८ से १९६१ तक सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११२२ पर)

*९८-१००—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

प्राइमरी स्कूल

*१०१—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर मिलने वाली शिक्षा के लिये अध्यापक और विद्यार्थी का (Teacher Taught Ratio) अनुपात क्या रखा गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—औसत अनुपात ४० विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का है।

*१०२—**श्री राजनारायण मिश्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंचसाला योजना में वह कोई ऐसी निश्चित व्यवस्था करने जा रही है कि जिसके द्वारा प्रदेश के हर प्राइमरी स्कूल में आवश्यक भवन और अन्य उपकरण उपलब्ध हो जावें ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर—तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके अनुसार जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं के प्रत्येक (नये व पुराने) प्राइमरी स्कूलों के लिए आवश्यक भवन तथा उपकरण का प्रबन्ध होगा।

कोठी–नैपुराघाट मार्ग निर्माण

*१०३—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी से हैदरगढ़ के लिये दो सड़कें हैं, एक नैपुराघाट होकर और एक औसानेश्वर घाट होकर ? यदि हां, तो कोठी से नैपुराघाट तक उपगमन मार्ग बना कर धन का दुरुपयोग क्यों हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। दो सड़कें हैं। कोठी से नैपुराघाट सड़क के निर्माण से दोनों सड़कें नैपुराघाट के पक्के पुल से मिल जावेंगी। इसके निर्माण में कोई धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है।

*१०४—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार इस कोठी से नैपुराघाट तक बनने वाले उपगमन मार्ग को कैंसिल कर इसी लागत से अथवा कुछ और धन के साथ में व्यवस्था कर गोमती नदी के औसानेश्वर घाट या राजघाट (सुबहा) पर नया पुल बना कर जन कष्ट दूर करने पर का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस सड़क निर्माण की लागत से कितने और धन की पुल निर्माण हेतु आवश्यकता होगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। सरकार इस समय इन पुलों के निर्माण की आवश्यकता नहीं समझती।

टेहरी ग्राम में अग्निकाण्ड

*१०५—**श्री उल्फतसिंह**—क्या सरकार को ज्ञात है कि बदायूं जिले के सहसवान तहसील के टेहर नामक ग्राम में अप्रैल या मई मास में भीषण आग लग गई है ? यदि हां, तो अनुमानतः जन तथा धन की कितनी हानि हुई है और सरकार द्वारा ग्रामीणों को क्या सहायता प्रदान की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, ५ मई सन् १९६२ को यह अग्निकांड हुआ था। जिससे अनुमानतः ४७,७०५ रु० की क्षति हुई तथा ४ औरतों और एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। ३०० रु० अहेतुक सहायता तथा ५,००० आपदकालीन तकावी के रूप में पीड़ितों को बांटे गये।

*१०६—**श्री मंगलदेव** (जिला आजमगढ़)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०७—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०८—**श्री राधेश्याम शर्मा**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया]।

एटा-सकीट सड़क

*१०९—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा से सकीट जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की कराने का कब तक विचार है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क को पक्का करने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है ।

कलेक्शन नायब तहसीलदारों की पदोन्नति

*११०—श्री बैजनार्थासिह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रान्त में कितने सुपरवाइजर, कानूनगो या स्थानापन्न नायब तहसीलदार (रेगुलर) स्थायी नायब तहसीलदारों के अभाव के कारण स्थानापन्न तहसीलदारों के स्थानापन्न पद पर १० वर्ष के कार्य का अनुभव रखते हुये स्थायी नायब तहसीलदार (कलेक्शन) क्यों नहीं रक्खे गये जबकि उनकी अपेक्षाकृत शैक्षिक योग्यता तथा ईमानदारी से सरकार भी पूर्णतया अवगत है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—ऐसे सुपरवाइजर कानूनगोयान की वर्तमान संख्या ३४ है । कलेक्शन नायब तहसीलदारों के ३२२ स्थायी पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि उन पदों पर सर्वप्रथम आयोग द्वारा अस्थायी नियुक्ति के लिये स्वीकृत उपयुक्त क्लेक्शन नायब तहसीलदारों को ही नियुक्त किया जायगा । अतः सुपरवाइजर कानूनगो अथवा अन्य किसी वर्ग के कर्मचारी को उन पदों पर स्थायी तौर से नहीं नियुक्त किया गया ।

*१११—श्री बैजनार्थासिह वैद्य—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थायी नायब तहसीलदार (कलेक्शन) की पदोन्नति के लिये उसने क्या मार्ग निर्धारित किया है जबकि गत १० वर्षों से इनके लिये कोई भी कार्य इस दिशा में नहीं किया गया ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—कलेक्शन नायब तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदार (रेगुलर) के कैडर के एकीकरण (mergern) के फलस्वरूप सभी स्थायी कलेक्शन नायब तहसीलदारों को भी पदोन्नति आदि की वही सब सुविधाएं प्राप्त होंगी जो रेगुलर नायब तहसीलदारों को उपलब्ध हैं ।

*११२-११४—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद तथा वाराणसी में शराब की दूकानें

*११५—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला इलाहाबाद)—क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांस्टनगंज इलाहाबाद में अंग्रेजी शराब की दूकान बहुत दिनों से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जांस्टनगंज, इलाहाबाद की अंग्रेजी शराब की दूकान इस समय बन्द नहीं है । दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

*११६—श्री द्विजेन्द्रनारायण—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर में कितनी अंग्रेजी शराब की दूकानें इस समय हैं ?

डाक्टर सीताराम—इस समय इलाहाबाद शहर में कुल १८ दूकानें अंग्रेजी शराब की हैं ।

*११७—श्री द्विजेन्द्रनारायण—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि काशी वाराणसी ऐसे तीर्थ स्थान पर शराब की दूकानें दिन रात खुली रहती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

*११८-११९—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[७वें गुरुवार को प्रश्न ८७-८८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

अन्तरिम जिला परिषद्, खीरी के उम्मीदवार अध्यापकों का वेतन

*१२०—श्री मन्नालाल—क्या यह सत्य है कि अन्तरिम जिला परिषद् खीरी के उम्मीदवार अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के वेतन का रुपया बजट में १२ माह का होता है, परन्तु वेतन ११ माह का दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । मास जून का वेतन नहीं दिया जाता, क्योंकि उम्मीदवार अध्यापकों की सेवाएं ३१ मई को समाप्त कर दी जाती हैं ।

मधुपुरी अग्निकाण्ड

*१२१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे गत सप्ताह (२१ मई से २७ मई, १९६२) ग्राम मधुपुरी, जिला रायबरेली, में आग लगी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । २१ मई, १९६२ को ३ १/२ बजे सायं के लगभग यह अग्निकांड हुआ था ।

*१२२—श्री रतीपाल—क्या यह सच है कि इसकी सूचना फायर स्टेशन, लखनऊ तथा मुख्य मंत्री को दी गई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । जिलाधीश की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञात हुआ है कि ऐसी कोई सूचना फायर स्टेशन, लखनऊ व मुख्य मंत्री जी को नहीं दी गई थी । अतः प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता । वैसे सहायता के रूप में २६० रु० तकावी तथा १०० रु० की अहेतुक सहायता पीड़ितों में बांटी गई और लगभग ६० रु० का चना भी बांटा गया ।

*१२३—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—[१३वें गुरुवार के लिये प्रश्न ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२४—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२५-१२७—श्री रक्षपालसिंह—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

हाटा पुल निर्माणार्थ प्रार्थना

*१२८—श्री रघुवीर—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, तहसील यूसूफपुर मुहम्मदाबाद से हाटा सड़क ढोंढाडिह, बरिमुद्योपुर, ताजपुर, डिहवा होती हुई चितवड़ा गांव जाती है ? यदि हां, तो व्यापारिक दृष्टिकोण तथा यातायात के महत्त्व को देखते हुये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को पक्का कराने की कोई योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं । इस सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

*१२९—श्री रघुवीर—क्या उपयुक्त सड़क में हाटा पुल पड़ता है और कई वर्ष पहले से टूटा पड़ा है ? यदि हां, तो क्या इस पुल को पक्का कराने की कोई योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, परन्तु इस पुल के निर्माण की भी इस समय कोई योजना नहीं है ।

ग्राम समाज औरंगाबाद की निधि

*१३०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज औरंगाबाद, जिला खीरी में गत १० वर्षों से ग्राम समाज की निधि कितनी एकत्रित की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—६,८६१ रु० ५८ न० पैसा।

*१३१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज औरंगाबाद द्वारा निर्माण के कार्य कौन किये गये और उन कार्यों पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१३२-१३३—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

कौराहा के अग्निपीड़ितों को सहायता

*१३४—श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कौराहा पूरे तिवारी, परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में दिनांक १२ मई, १९६२ को आग लगी और समस्त आबादी के घर जल गये ? यदि हां, तो कितनी हानि हुई और कितने व्यक्तियों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त ग्राम में दिनांक १२-५-६२ को तो नहीं पर ५-५-६२ को आग अवश्य लगी थी। कुल २१ में से २० परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए। अनुमानतः ९,४२३ ० की हानि हुई। अहेतुक सहायता के रूप में १५० रु०, १५ दीन व निर्धन परिवारों में १० रु० प्रति परिवार की दर से बांटे गये।

ज्ञानपुर—दुर्गागंज सड़क

*१३५—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की भदोही तहसील में ज्ञानपुर से दुर्गागंज रोड को इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

*१३६—श्री हरिगैनराम—क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि भदोही तहसील की सड़कों में इस सड़क को जिला अन्तरिम परिषद् वाराणसी ने प्राथमिकता देकर भेजा है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

*१३७—श्री हरिगैनराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ज्ञानपुर से पाली तक की सड़क जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की है उसे जनहित और यातायात के महत्त्व की दृष्टि से अति शीघ्र पक्की करायेंगे जैसा कि मंत्री जी ने पाली की सार्वजनिक सभा में गत वर्ष स्थानीय जनता को आश्वासन दिया था ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

आगरे में जमुना पर ओवर ब्रिज की आवश्यकता

*१३८---श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)---क्या निर्माण मंत्री बताने की की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार (रेलवे विभाग) ने ३ लाख रुपया जमुना पर आगरे में (over-bridge) बनाने को तैयार है जबकि प्रदेशीय सरकार ६० हजार रुपया पुल से सम्बन्धित मार्ग बनाने में व्यय कर सके ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

*१३९---श्री छत्रपति अम्बेश---यदि हां, तो प्रान्तीय सरकार आगरा की आवश्यकता को विशेष तथा जमुनापार पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट बन जाने पर अनुभव कर शीघ्र ही योजना शुरू करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न नहीं उठता।

*१४०-१४१---श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---[१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न १५०-१५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मुस्तफाबाद ग्राम से चकबन्दी के विरुद्ध शिकायत

*१४२---श्री भोखालाल---क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के किसानों ने १५ मई, १९६२ ई० को चकबन्दी कमिश्नर उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया है कि उनके गांव की चकबन्दी में रिश्वतखोरी हुई है और आमतौर से गरीब किसानों के चक खराब बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उस मामले में क्या कोई जांच कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के किसानों का दिनांक १५-५-६२ का इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र चकबन्दी आयुक्त के कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ।

प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित दिनांक १७-५-१९६२ का एक पत्र कथित आशय का अवश्य प्राप्त हुआ था। इस पर जांच कराई गई। जांच से एक चकबन्दी लेखपाल के विरुद्ध रिश्वत का आरोप सिद्ध होने पर उसकी सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया। अन्य किसी कर्मचारी के विरुद्ध रिश्वत का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। एक सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक बनाते समय असावधानी के लिये उसकी चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल अंकन (adverse entry) किये जाने का आदेश दिया गया। जिन किसानों की चकों में गड़बड़ियां पाई गईं उन पर चकबन्दी अधिनियम की धारा २१ (६) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

बिसवां—सीतापुर, बिसवां—सिधौली मार्ग तथा बिसवां में सड़कों पर अनधिकृत कब्जा

*१४३---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां-सिधौली मार्ग और बिसवां-सीतापुर मार्ग को कब तक Tarred Road बनाने का विचार है ?

श्री गिरधारीलाल---(क) बिसवां-सिधौली मार्ग को डामर मार्ग (Tarred Road) बनाने का प्रस्ताव इस समय नहीं है।

(ख) बिसवां-सीतापुर मार्ग के १९ से २१ मील को डामर मार्ग (Tarred Road) बनाना स्वीकृत हो गया है और जून, १९६३ तक उसके पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष सड़क पर डामर करने की अभी कोई योजना नहीं है।

*१४४—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बिसवां नगरपालिका के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो सड़कें गुजरती हैं उन पर बहुत से encroachment होते जाते हैं तथा बहुत से लट्ठे पड़े रहते हैं, जिससे कि यातायात में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो encroachments हटवाने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

डिप्टी कमिश्नर, सीतापुर से अनधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने को कह दिया गया है और वह उचित कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं ।

*१४५-१४७—**श्री राजेन्द्रसिंह**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*१४८-१४९—**श्री गंगाप्रसाद**—(जिला गोंडा)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

गोंडा में इण्टर कालेज की स्वीकृति

*१५०—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोंडा को वह इन्टर कालेज बनाने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इन्टर कालेज बनाने का प्रस्ताव इस सत्र से स्वीकृत हो गया है ।

*१५१-१५२—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५३-१५५—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी** (जिला चमोली)—[११ वें गु वार के लिए प्रश्न ९५-९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१५६—**श्री मनसाराम** (जिला मैनपुरी) तथा **श्री गणेशचन्द्र काछी**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

बलिया जिले में हरिजन पंचायत सेक्रेटरी

*१५७—**श्री रघुनाथ** (जिला बलिया)—क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में गत दो साल में कितने लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी और कलेक्टरी में कितने कर्मचारी नियुक्त हुये हैं और उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लेखपाल एक भी नहीं, पंचायत सेक्रेटरी ३५ और कलेक्टरी के कर्मचारी २९, इनमें से केवल ४ पंचायत सेक्रेटरी हरिजन हैं ।

*१५८-१५९—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बांसी तहसील में मालगुजारी वसूली के लिए कार्यवाही

*१६०—**श्री जगदीशप्रसाद** (जिला बस्ती)—बांसी तहसील, जिला बस्ती से वसूली के सिलसिले में मार्च, १९६२ से अब तक कितने वारंट व कुरकी जारी की गयी—हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बांसी तहसील, जिला बस्ती में मार्च, सन् १९६२ से जुलाई सन् १९६२ तक ८३ वारन्ट गिरफ्तारी तथा ४१ कुर्कियां जारी की गयीं ।

बुलन्दशहर जिले में जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता

*१६१—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि १९६० से मार्च, १९६२ तक कितने जूनियर हाई स्कूल के रिकगनीशन के लिये प्रार्थना-पत्र इन्स्पेक्टर (शिक्षा) जिला बुलन्दशहर को प्राप्त हुए, कितनों को स्वीकृति दी गयी और जिनको नहीं दी गई, उनको न देने का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सन् १९६० से मार्च, १९६२ तक केवल दस जूनियर हाई स्कूलों से नवीन मान्यता के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। उनमें से नौ स्कूलों को नवीन मान्यता दे दी गई है। केवल एक स्कूल को जो पछड़ेवरा सिरोरां में है और जिसका प्रार्थना-पत्र ३१-३-६२ को प्राप्त हुआ था, मान्यता अभी प्रदान नहीं की गई है।

इसको मान्यता प्रदान करने के संबंध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

*१६२—१६४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में सड़कें

*१६५—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत भाटपार से रामपुर जाने वाली तथा भटनी से मेंगारी जाने वाली पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें हैं उनको पक्की बनाने का वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में कोई आयोजन है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*१६६—श्री कैलाश—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में जो भाटपार रानी से रामपुर मील तक सड़क सरकार द्वारा बनाई जा रही है, उसका कुछ हिस्सा भाटपार सोहनपार के बीच में छोड़ दिया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—भाटपार रानी से रामपुर मिल तक की सड़क सरकार द्वारा नहीं बनाई जा रही है।

*१६७—श्री कैलाश—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में सलेमपुर पूर्वी विधान सभा क्षेत्र में कितनी पक्की सड़क हैं ?

श्री गिरधारीलाल—३ पक्की सड़कें हैं।

गोरखपुर जिले में रिटायर्ड बांध निर्माण का विरोध

*१६८—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में मलोनी बांध के १५ वें मील से १७ वें मील तक बीच से रिटायर्ड बांध बनाने के विरुद्ध गौर, बरसाइत, छपरा, कुंई, पयासी आदि ग्रामों के निवासियों की ओर से एक आवेदन-पत्र दिनांक ३ मई, १९६२ को सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें लगभग पांच हजार जनता के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। गोरखपुर शहर तथा जिले के एक बड़े क्षेत्र के बचाव के हित में इस Retired Bund का निर्माण आवश्यक समझा गया है।

इन्टर कालेजों के कला अध्यापकों का वेतन

*१६९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि Intermediate को पढ़ाने वाले कला अध्यापकों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र उनके वेतन दरों को निश्चित करने के बारे में इस वर्ष सरकार को मिले हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इन पर क्या विचार किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । वे अभी विचाराधीन हैं ।

*१७०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि इन इंटर के कला अध्यापकों को वही वेतन मिलता है जो दसवीं कक्षा के कला के अध्यापकों को मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । अध्यापकों के वेतन उनकी अर्हताओं के आधार पर निर्धारित है ।

*१७१—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने जी कृपा करेंगे कि जब प्रांत भर में Inter के कला अध्यापकों की संख्या ५० के करीब ही है तो उनके वेतन को बढ़ाने से सरकार का क्या खर्चा बढ़ जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—कला अध्यापकों की संख्या के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है । लेकिन प्रश्न केवल व्यय का ही नहीं है, शिक्षा योग्यता का भी है ।

राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, फर्रुखाबाद से राजनीतिक छात्र-वृत्ति के लिए प्रार्थना-पत्र

*१७२—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार प्रश्न संख्या ७४ दिनांक १ जून, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि किन-किन छात्रों को राजनैतिक छात्रवत्ति प्रदान की गई और जिनको स्वीकृत नहीं की गई उसका कारण क्या था ?

आचार्य जुगलकिशोर—किसी छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई । श्री श्याम प्रकाश तथा श्री श्रीपाल सिंह कक्षा ९ को पुस्तकों-हेतु ७५ रुपया अनावर्तक अनुदान दिया गया । जिनको छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई उन्होंने या तो प्रार्थना-पत्र में प्राप्तांक नहीं लिखे या योजना के अन्तर्गत वे छात्रवृत्ति के अधिकारी न थे ।

मंगलसी क्षेत्र में अग्निकाण्ड

*१७३—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में मंगलसी क्षेत्र में जिन ग्रामों में अग्निकांड द्वारा हाल में क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिये सरकार ने कौन-सी व्यवस्था की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षति-पूर्ति करना सरकार के लिये संभव नहीं है । असहाय पीड़ितों में सहायतार्थ ५०५ रुपया वितरित किया गया ।

*१७४—श्री धूम प्रसाद—क्या सारंगापुर-पारावानी-सरौली-भहुआ-चिरौली-पिछला कारांहपुरे, तिवारीपुर इन ग्रामों में किसानों का खलिहान से घर तक सब राख हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई उचित जांच करेगी कि वास्तव में कितनी क्षति हुई और इन लोगों की क्षति-पूर्ति के लिये और कितनी सहायता दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चिरौली ग्राम में अग्निकांड की कोई सूचना नहीं है। शेष गांवों में कुल ६४ घर जले। इन ग्रामों में कोई खलिहान नहीं जला। प्रत्येक अग्निकांड की घटना-स्थल पर जांच की गई और अनुमानतः २२,१६७ रुपये की संपत्ति की हानि हुई। सरकार के लिये क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है। असहाय परिवारों में ४९० रुपया अहेतुक सहायता के रूप में बांटा जा चुका है।

अहमद हुसैन, अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, मानपुर का वेतन

*१७५--**श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री अहमद हुसेन, अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, मानपुर, जिला मुरादाबाद का कत्ल १९५६ में मुरादाबाद में होने वाले साम्प्रदायिक दंगे में हुआ था और उनकी एक माह से अधिक का वेतन अभी तक उनके वारिसान को नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--वेतन उनके वारिस श्री सफदर हुसेन को प्रधान अध्यापक द्वारा मनीआर्डर से भेजा गया था, परन्तु भुगतान न हो सका, अब पुनः मनीआर्डर द्वारा भेजा गया है।

*१७६--**श्री रियासत हुसैन**--[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

लालगंज गांधी चौरा की भूमि

*१७७--**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में तहसील डलमऊ के अन्तर्गत स्थान लालगंज गांधी चौरा की भूमि किसके नाम पटवारी के कागजात में इन्द्राज है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुछ भाग राजा उदयराज सिंह, शिवगढ़ तथा कुछ भाग श्री ठाकुर जी महाराज जेर इन्तजाम बाबा जय बिहारी दास के नाम।

*१७८--**श्री गुप्तारसिंह**--क्या यह सही है कि इस स्थान पर सन् १९२९ में पूज्य महात्मा गाँधी जी पधारे थे तभी से उसी स्थान पर महात्मा गाँधी चौरा की स्थापना की गयी और श्रीमान् पटेल तथा गाधी जी के नाम पर दो फाटकों की रचना की गई जो आज भी मौजूद हैं और दो पक्के कुयें भी जनता की ओर से बने हुये हैं और इसी स्थान पर सदैव सार्वजनिक सभाएं होती हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हाँ, किन्तु १९५७ से उस स्थान पर कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई।

*१७९--**श्री गुप्तारसिंह**--क्या सरकार को ज्ञात है कि रियासत शिवगढ़ में कुछ आदमियों को मकान बनाने के हेतु इसकी कुछ भूमि बेच दी है ? जबकि यह भूमि सार्वजनिक कार्यों पर इस्तेमाल की जा रही है और जब कि यह टाउन एरिया की सीमा के बाहर है और जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् इस भूमि पर रियासत का कोई हक नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त भमि टाउन एरिया की सीमा के अन्दर है जहाँ अभी जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ ह। राजा उदयराज सिंह, जमींदार ने उक्त भूमि के कुछ भाग पर कुछ लोगों को मकान बनाने की आज्ञा दे दी है, किन्तु प्रांगण का मुख्य भाग सार्वजनिक सभाओं के लिये अब भी सुरक्षित है।

*१८०-१८१--**श्री बृजमोहनलाल गुप्त** (जिला बांदा)--[सचिवालय प्रशासन (एम) विभाग को विभाग निर्धारण के लिये भेजा गया है।]

*१८२-१८३--श्री सियाराम गंगवार (जिला फर्रुखाबाद)--[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८४—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

मैनपुरी-करहल सड़क ऊंची करना

*१८५--श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी से करहल जाने वाली सड़क जो बरसात में पानी से डूब जाती है उसे बचाने के लिये क्या सरकार उसे ऊंचा कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हाँ।

*१८६—श्री बृजेश्वरसहाय-- अगर हाँ, तो ऊंचा करने का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—यह कार्य जनवरी, १९६२ से प्रारम्भ किया गया था ।

*१८७—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक सड़क ऊंची बन कर कितनी तैयार हो गई है और शेष कितने समय में बन कर तैयार हो जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—अब तक यह सड़क १ मील ६ फर्लांग में ऊंची बन कर तैयार हो गई है और शेष दिसम्बर, १९६२ तक बन कर तैयार होने की आशा है।

गोंडा-उतरौला-मनकापुर सड़कों की खराब हालत

*१८८--श्री ईश्वरशरण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में गोंडा-उतरौला सड़क व मनकापुर-उतरौला सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हाँ।

*१८९—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये दोनों सड़कें यहाँ तक खराब हैं कि सरकारी बसें तक चलना हानिकारक समझ कर सड़क पर न चलकर सड़क की पटरियों पर चलना सुविधाजनक प्रतीत करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल--ये दोनों सड़कें कंकड़ की हैं और बैलगाड़ी के अधिक यातायात के कारण जल्दी खराब हो जाती हैं।

*१९०—श्री ईश्वरशरण--क्या सरकार ऐसा कदम उठायेगी कि जिससे सरकारी बसें, इक्के तथा बैलगाड़ियाँ सड़क पर चल सकें ? यदि हाँ, तो अब से कितना समय लगेगा ?

श्री गिरधारीलाल--जी हाँ। दोनों सड़कों पर कंकड़ डालने की व्यवस्था हो रही है, आशा है कि दिसम्बर, १९६४ तक इनकी हालत सुधर जायगी।

*१९१—श्री शिवनाथसिंह--[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी के शरीफ मुहल्ले में शराब की कथित दूकान

*१९२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही नहीं है कि नगरा (झांसी) की मजदूरों की बस्ती में सरकार द्वारा एक नई शराब की दूकान एक वर्ष हुआ शरीफ मुहल्ले में खुलवा दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—नगरा मुहल्ले (झांसी) की मजदूरों की बस्ती में गत वर्ष कोई भी नई शराब की दूकान नहीं खोली गई है ।

*१९३—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि नगरा (झांसी) की जनता द्वारा तुरन्त शराब की दूकान सरकार से बन्द करा देने का कई बार निवेदन किया गया व शरीफ मुहल्ले से तुरन्त ही दूकान हटवाने की प्रार्थना की गई ? वहाँ के लोगों की प्रार्थना पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्न नहीं उठता ।

*१९४—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—[१४वें गुरुवार के लिए प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१९५—श्री नाथूराम शिक्षक—[२४ अगस्त,१९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

नगीना–बढ़ापुर मार्ग पर कोलतार डालने की व्यवस्था

*१९६—श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगीना-बढ़ापुर जिला बिजनौर सड़क पर ५वें मील से ८वें मील तक कूटा हुआ पत्थर, तारकोल के अभाव में उखड़ रहा है और सड़क पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस पर कोलतार डालने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—अभी पत्थर जितना आवश्यक है उतना नहीं पड़ा है । पर्याप्त मात्रा में पत्थर की मोटी तह बन जाने के बाद इस पर कोलतार डालने की व्यवस्था की जायेगी

ऐरा खुर्द से लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*१९७—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा ऐरा खुर्द, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ के प्रधान तथा वहाँ के सदस्यों ने जिलाधीश आजमगढ के पास १६ जनवरी ,१९६२ तथा ७ मार्च, १९६२ को दो प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में दिये थे कि वहाँ के लेखपाल ने किसानों को धोखा देकर लगान वसूल किया और उसे राजकोष में जमा न करके स्वयं गबन कर गया ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हाँ, लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

*१९८—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तथ्यों की जांच के लिये जिलाधीश ने किसी अधिकारी को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो किसे और उसकी रिपोर्ट के सारांश क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां, तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिनकी रिपोर्ट का सारांश यह है कि अनुमानतः लेखपाल द्वारा ४४ रुपये ९० न० पै० का गबन किया जाना पाया जाता है ।

*१९९-२०१—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

निघासन तहसील में आग लगने से हानि

*२०२—श्री मन्नालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले के निघासन तहसील में गत अप्रैल में आग लगने की कितनी घटनाओं की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१६ ग्रामों में ग्रग्निकांड की सूचना सरकार को मिली है।

*२०३—श्री मन्नालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्रामों में कितनी जन ग्रौर धन की हानि हुई ग्रौर क्या सहायता प्रदान की गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१३ पशुग्रों तथा एक व्यक्ति की जलने से मृत्यु हो गई तथा ८७,५१७ रुपये की संपत्ति के नष्ट होने का ग्रनुमान है। पीड़ितों में ३७० रुपये ग्रहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया है तथा २,५०० रुपये तकावी बांटने के लिये दे दिया गया है।

देवरिया तहसील में तकावी के वितरण में गोलमाल

*२०४—श्री कृष्ण (जिला देवरिया)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५४ तक देवरिया तहसील, जिला देवरिया में कुल कितनी तकावी दफा १९ तथा १२ तकावी ऐक्ट के ग्रधीन बंटी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न ग्रनिश्चित होने के कारण इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है।

*२०५—श्री कृष्ण—क्या यह सही है कि १।। लाख की रकम का गोलमाल १९५९ लगायत १९६१ तक की तकावी वितरण में देवरिया तहसील देवरिया में हुग्रा है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर कौन-सी कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। केवल २७,७०० रुपये फर्जी व्यक्तियों के नाम से गलत पहचान होने पर लिया गया है। इस संबंध में भूतपूर्व वा।सिलबाकीनवीस एवं संबंधित क्लर्क निलम्बित किये गये हैं ग्रौर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। ग्रन्य ग्रपराधियों का पता लगाने व उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये यह मामला पुलिस को दे दिया गया है। संबंधित ग्रधिकारियों से जबाब मांगे जा रहे हैं।

प्रसार ग्रध्यापक [illegible]

*२०६—श्री रतीपाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में जो हजारों प्रसार ग्रध्यापक कार्य कर रहे हैं ग्रभी तक उन्हें स्थायी न करने का क्या कारण है?

ग्राचार्य जुगलकिशोर—वह योजना जिसके ग्रन्तर्गत वे कार्य कर रहे हैं ग्रभी ग्रस्थायी रूप से चल रही है।

*२०७—श्री शारदानन्द (जिला मैनपुरी)—[२४ ग्रगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिपिकों का वेतन न बढ़ना

*२०८—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)—क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि शिक्षण संस्थाग्रों का लिपिक तथा निम्न कर्मचारि-वर्ग ग्रत्यन्त शोचनीय स्थिति में है ग्रौर विगत वर्षों में ग्रध्यापकों के वेतन-वृद्धि के साथ उसकी वेतन-वृद्धि नहीं की गई है? यदि हां, तो सरकार क्या इस वर्ग की वेतन-वृद्धि हेतु कोई विचार करेगी?

ग्राचार्य जुगलकिशोर—यह सही है कि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के ग्रध्यापकों की वेतन-वृद्धि के साथ लिपिकों तथा निम्न वर्ग के कमचारियों की वेतन-वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि शासन ने उसकी ग्रावश्यकता नहीं समझी।

*२०९-२११—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—[२४ ग्रगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१२—श्री गोपीनाथ दीक्षित—[१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न १५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

प्रिंसिपल, बरेली कालेज को हटाने का प्रस्ताव

*२१३—श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—(क) क्या सरकार को यह पता है कि २० मई, १९६२ को बरेली कालेज बोर्ड आफ कन्ट्रोल की बैठक कमिश्नर रूहेलखंड की अध्यक्षता में हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि बोर्ड आफ कन्ट्रोल के ४२ सदस्यों में से २७ सदस्यों ने प्रिन्सिपल, बरेली कालेज को हटा देने का प्रस्ताव रखा था ?

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि कमिश्नर महोदय ने उस प्रस्ताव को पेश होने से रोक दिया ?

आचार्य जुगलकिशोर—

(क) जी हां ।
(ख) जी हां ।
(ग) जी हां ।

*२१४—श्री रामकुमार शास्त्री—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी शासन द्वारा कमिश्नर को इस प्रकार का आदेश दिया गया था या कमिश्नर ने अपनी इच्छा से किया था ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कमिश्नर ने किस नियम के आधार पर ऐसा किया ?

आचार्य जुगलकिशोर—शासन ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया था। कमिश्नर ने कालेज के बोर्ड आफ कन्ट्रोल के अध्यक्ष की हैसियत से ऐसा किया ।

(ख) बरेली कालेज के नियमों के नियम १९ के आधार पर ।

बहराइच-करनैलगंज कच्ची सड़क

*२१५—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में बहराइच से करनैलगंज-चाया-हजूरपुर जो सड़क जाती है अभी तक पक्की क्यों नहीं की गई ?

श्री गिरधारीलाल—धनाभाव के कारण ।

*२१६—चौधरी अब्दुल हसीब खां—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुंडासर से पथागपुर जो सड़क गई है उस सड़क पर सिरौला घाट का पुल जो कि लकड़ी का था वह टूट गया है जिससे यातायात में जनता को बड़ी परेशानी है ? क्या इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में उक्त पुल तथा सड़क को पक्का बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

इस पुल तथा सड़क के निर्माण की अभी तक कोई योजना नहीं है ।

कांघला-गंगेरू-ईसापुर सड़क

*२१७—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फर नगर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि कांघला-गंगेरू-ईसापुर सड़क को पक्की बनाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यक बताया गया था ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण अभी तक आरम्भ क्यों नहीं हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल---जिले की नई सड़कों के निर्माण में इसको २१वीं प्राथमिकता दी गई थी । इस नीची प्राथमिकता के कारण तथा धन की कमी के कारण इस का निर्माण अभी तक सम्भव नहीं हो सका ।

*२१८---**श्री विजयपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त क्षेत्र निवासियों के प्रार्थना पत्रों के अनुसार इस सड़क के निर्माण को जिला मुजफ्फरनगर की दूसरी सड़कों से प्राथमिकता दी गई थी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं । इसको २१वीं प्राथमिकता दी गई थी ।

*२१९--**श्री विजयपालसिंह**---क्या सरकार इस सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर ध्यान देकर इसको शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं ।

इस्लामनगर को पक्की सड़क से मिलाने की प्रार्थना

*२२०---**श्री सूरजपालसिंह** (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में कस्बा टाउन एरिया इसलामनगर में थाना व अस्पताल व ब्लाक होते हुये भी किसी शहर व मन्डी या रेलवे स्टेशन से सम्बन्धित अब तक कोई पक्की सड़क वहां नहीं है ? क्या इस चवर्षीय योजना में इस कस्बे से सम्बन्धित कोई उक्त पक्की सड़क बनाने की योजना है या नहीं ? यदि हां, तो कहां से कहां को और कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग---जी हां । कोई पक्की सड़क वहां नहीं है ।

द्वितीय भाग---जी नहीं ।

लखनऊ नगर महापालिका में शिक्षाध्यक्ष, स्त्री विभाग

*२२१---**श्री रियासत हुसैन**---क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ नगरमहापालिका में शिक्षा अध्यक्ष स्त्री, विभाग के स्थान पर बी० ए० पास कार्य कर रही हैं जब कि इस पद के लिये एम० ए०, एल० टी० होना आवश्यक है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां ।

*२२२---**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी)---[हटा दिया गया ।]

ज्ञानपुर की अदालतों से फाइलें गायब होने की शिकायत

*२२३---**श्री गयाप्रसाद**---क्या सरकार को यह पता है कि ज्ञानपुर (वाराणसी) के परगनाधीश तथा तहसीलदार की अदालतों से कई मुकदमों की फाइलें गायब हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं ।

*२२४-२२६---**श्री उमाशंकर**---[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

मैनपुरी-सिरसागंज सड़क

*२२७---**श्री रामसिंह** (मैनपुरी)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी से सिरसागंज सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में निर्माण के लिये किसी वर्ग (अ---ब) में रक्खी गई है या नहीं ? यदि हां, तो उसे कब तक बनाने का विचार है ?

श्री गिरधारी लाल---इस सड़क के बनाने का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है । अतः इसके बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

कन्दौसा ग्राम का अग्निकाण्ड

*२२८---**चौधरी अब्दुल हसीब खां**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला बहराइच, तहसील कैशरगंज, परगना फखरपुर, ग्राम कन्दौसैर में पिछले महीने आग लग गई थी जिसमें आधा गांव जल कर खाक हो गया था ? यदि हां, तो सरकार ने वहां के निवासियों को क्या क्या सहायता प्रदान की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---परगना फखरपुर में इस नाम का कोई गांव नहीं है । हिसानपुर परगने के कन्दौसाग्राम में दिनांक २५ मार्च, १९६२ को आग अवश्य लगी थी जिसके फलस्वरूप १७५ में से केवल २२ मकान क्षतिग्रस्त हुये । गांव समाज द्वारा १४ व्यक्तियों को मकान बनाने का सामान दिया गया । शेष व्यक्तियों को अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण सहायता की आवश्यकता ही नहीं थी ।

मड़हा नदी पर पुल में खराबी

*२२९---**श्री हरिनाथ तिवारी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बारून बाजार, परगना पच्छिम तहसील, बीकापुर, जिला फैजाबाद के समीप मड़हा नदी पर पुल में खराबी होने के कारण जनता को बड़ी तकलीफ है, उसकी कब तक मरम्मत होने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारी लाल---अभी तक इस पुल के विशेष मरम्मत की कोई योजना नहीं है ।

*२३०-२३२---**श्री राम सिंह** (जिला सहारनपुर)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

इकौना-लक्ष्मणपुर सड़क

*२३३---**श्री मंगल** (जिला बहराइच)---क्या सार्वजनिक-निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में जो सड़क इकौना से लक्ष्मणपुर बाजार को जाती है उसको बनवाने की व्यवस्था इस पंचवर्षीय योजना में की गई है ? यदि हां, तो कब तक वह बनेगी ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं ।

*२३४-२३६---**श्री देवेन्द्रसिंह** (जिला नैनीताल)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

यमुना पर चिल्ला का पुल बनाने की आवश्यकता

*२३७---**श्री मतोलासिंह**---क्या सरकार को पता है कि कि अन्तरिम जिला परिषद्, बांदा ने दिनांक १४ नवम्बर, १९६१ ई० को सरकार से अनुरोध किया था कि बांदा-फतेहपुर रोड को मिलाने वाली सड़क पर चिल्ला में यमुना नदी में आवागमन के हेतु पक्का पुल बनाया जाय जो बम्बई, कानपुर, इलाहाबाद आदि को जोड़ता है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सहायता लेने को सोच रही हैं ?

श्री गिरधारी लाल---इस सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद्, बांदा, का दिनांक १५ मार्च, १९६२ का एक पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था । राजकीय मार्गों पर पड़ने वाले पुलों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है ।

हरैया तहसील में घाघरा का कटान

*२३८--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में हरैया तहसील के जनवरी, सन् १९५० से अप्रैल, सन् १९६२ तक घाघरा नदी के कटान से कौन-कौन ग्राम पूरी तौर से कट गये हैं और कौन-कौन ग्राम अंशतः कट गये हैं जिनके किसानों से लगान वसूली के लिये कुरकी की जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश, बस्ती ने कोई पत्र भेजा है कि सरकार लगान माफ कर दे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला बस्ती में तहसील हरैया में जनवरी, १९५०, से अप्रैल १९६२ तक चार ग्राम पूर्णतः तथा २२ ग्राम अंशतः घाघरा नदी के कटान से कटे हैं। उपरोक्त ग्रामों में से केवल तीन ग्रामों में बकाया लगान वसूली के लिये ४ कुर्कियां जारी की गयीं किन्तु अभी तक वह तामील नहीं हुई हैं। जिलाधीश बस्ती ने लगान माफ करने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् को लिखा है तथा यह प्रश्न उनके विचाराधीन है।

*२३९--श्री रणबहादुरसिंह---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कटे ग्रामों की कितनी एकड़ भूमि है और कुल कितना लगान सरकार को कटान के पहले मिलता था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कटान के पूर्व उपरोक्त २६ ग्रामों का क्षेत्र २०९४५ एकड़ था और २०,५४८.५१ न० पै० की धनराशि सरकार को लगान के रूप में मिलती थी।

*२४०--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४१-२४३--श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

राप्ती पर भाकला घाट पुल निर्माणार्थ सर्वेक्षण

*२४४---श्री मुन्नू सिंह (जिला बहराइच)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में बहराइच-भिनगा रोड पर राप्ती के भाकला घाट पर पक्का पुल बनाने के लिये सर्वे सरकारी इंजीनियर द्वारा ४ साल पहिले कराया गया था और उसका ब्लू प्रिंट भी बनकर तैयार हो गया था तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सर्वे पर सरकार को कितना व्यय करना पड़ा था ?

श्री गिरधारी लाल---भाकला घाट पर पीपों के पुल-निर्माण के लिये ही सर्वे किया गया था। सर्वे में ३८० रुपया व्यय हुआ।

*२४५---श्री मुन्नूसिंह---इस सर्वे की रिपोर्ट और ब्लूप्रिंट और अनुमानित व्यय को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में उस पुल के निर्माण पर विचार करेगी?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

राबर्ट्सगंज को जिला बनाने का सुझाव

*२४६---श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर) तथा श्री रामप्यारे---क्या सरकार मिर्जापुर की बढ़ती हुई आबादी तथा क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई देखते हुये वह राबर्ट्सगंज को एक अलग जिला बनाने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---रावर्ट्सगंज को अलग जिला बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

आजमगढ़ जिले में सड़क व पुल निर्माण योजना

*२४७—श्री झारखंडेराय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सड़कें पक्की कराने तथा पुल निर्माण की योजना है?

श्री गिरधारीलाल—घोसी-महमूदाबाद सड़क का निर्माण तथा गोरखपुर-इलाहाबाद सड़क पर स्थित आजमगढ़ में टोन्स नदी के पुल की पूर्ति का कार्य तीसरी योजना में सम्मिलित है।

बढ़ौली के निकट इमारत में नार्मल स्कूल न खुल सकना

*२४८—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के सिसेंडी अथवा निगोहा स्थानों पर जो नार्मल स्कूल चल रहे हैं और उनके वहां से हटाने के लिये सरकार ने लगभग दो लाख रुपया व्यय करके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई है जिसे लगभग दो तीन साल हो गये हैं तथा इसके लिये जमीन परगना मोहना में सीतापुर सड़क पर बढ़ौली ग्राम के निकट ली गई थी परन्तु अब तक उस स्थान पर नार्मल स्कूल न आ सका इसके क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—दीक्षा विद्यालय के लिये भवन बन गया है किन्तु उसमें सिसेंडी अथवा निगोहां के दीक्षा विद्यालय के बजाय इलाहाबाद में स्थित आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

हरदोई-सीतापुर सड़क पर पुलों का टूट जाना

*२४९—श्री परमाई (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई से सीतापुर जाने वाली सड़क के ६ठें मील पर इटौली का पुल टूट गया है ? सरकार उसको कब तक बनाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। नये पुल के निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है और आशा है कि वह मार्च, १९६४ तक तैयार हो जायगा।

*२५०—श्री परमाई—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई से सीतापुर जाने वाली सड़क पर २० वें मील पर जो घाघरा नदी का पुल टूट गया है उसका ठेका किसको दिया गया है, कितने में दिया गया है और उसके कब तक बनने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल—अभी ठेका किसी को नहीं दिया गया है। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

आगरा जिले के लिए निर्माण-कार्य

*२५१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से निर्माण-कार्य होने वाले हैं ?

श्री गिरधारीलाल—आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी अनसूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११२३ पर)

*२५२—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या सार्वजिनक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग नं० २ पर आगरे में, यमुना पर, जो पुल बनने वाला है उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—राष्ट्रीय मार्गों की तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पुल के निर्माण का कार्य केन्द्रीय सरकार ने सम्मिलित नहीं किया है। अतः इसके सम्बन्ध में इस समय कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

*२५३—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा-तांतपुर रोड पर खारी व उटंगन नदी पर पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, इन पुलों के बनाने की योजना है और इनके आगणन (Estimates) बनाये जा रहे हैं।

*२५४—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

इन्टरमीडियेट एजूकेशन अधिनियम का प्रवर्त्तन

*२५५—**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम को स्थानीय निकायों के द्वारा चलाये जाने वाले इन्टर कालेजों पर लागू करने के सम्बन्ध में उसका क्या विचार है और यह कब तक लागू होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम की आवश्यक धाराओं को स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर लागू करने के सम्बन्ध में सक्रिय विचार हो रहा है। निर्णय होने पर ऐक्ट में आवश्यक संशोधन कर दिया जायगा।

अस्थायी सहायक वासिल बाकी नवीस

*२५६—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या माल मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में असिस्टेंट वासिल बाकी नवीस कितने हैं और उनमें से कितने अभी तक अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय प्रदेश में ८६१ असिस्टेंट वासिल बाकी नवीस हैं और ये अभी अस्थायी हैं।

उर्दू साहित्यिकों को सहायता

*२५७—**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार की ओर से कितने उर्दू के कवियों को पेन्शन दी जाती है, उनके नाम तथा कितनी-कितनी मासिक पेन्शनें हैं इसका विवरण?

आचार्य जुगलकिशोर—इस समय उर्दू के ११ साहित्यिकों को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती रही है। साहित्यिकों के मान व प्रतिष्ठा को ठेस न लगे, इसलिये इस प्रकार की सहायता गोपनीय ढंग से दी जाती है। अतः खेद है कि उक्त ११ साहित्यिकों के नाम एवं प्रत्येक को अलग-अलग दी जाने वाली सहायता की राशि बताना सम्भव नहीं है।

*२५८—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार उपरोक्त प्रश्न में पूछी गई पेन्शनों के बारे में यह भी बतावेगी कि इनको दिये जाने का आधार क्या है तथा किन अधिकारियों की संस्तुति की आवश्यकता होती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह सहायता उन साहित्यिकों व कलाकारों को दी जाती है जिनकी साहित्य एवं कला को अपूर्व देन हो व जो विषमावस्था में हों। वैसे नियमों में किसी विशेष अधिकारी की संस्तुति को मंगाने की व्यवस्था नहीं है। विश्वस्त सूत्रों से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी कर ली जाती है।

फतेहपुर-गोही में शराब की भट्ठी पर छापा

*२५९—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतावेगी कि क्या यह सत्य है कि १७ जून, १९६२ के आस-पास कानपुर पुलिस तथा आबकारी के कर्मचारी लोगों ने पाण्डु नदी के तट पर स्थित फतेहपुर-गोही नामक ग्राम में अवैध मदिरा चुवाने का कारखाना पकड़ा है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा कितना सामान बरामद हुआ ?

डाक्टर सीताराम—यह सत्य है कि १६/१७ जून, १९६२ की सुबह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, इन्चार्ज इक्साइज, कानपुर की देख-रेख में पाण्डु नदी के तट पर स्थित फतेपुहर-गोही नामक ग्राम में पुलिस तथा आबकारी कर्मचारियों द्वारा छापा मारा गया। इसमें १४ व्यक्ति पकड़े गये और अवैध शराब की २३३ बोतलें तथा ३ चढ़ी भट्ठी पाई गईं। इन सब अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है ।

*२६०—श्री भीखालाल—[हटा दिया गया।]

*२६१-२६२—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—[१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न १३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१-३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

सफीपुर तहसील में कल्याणी नदी पर पुल की आवश्यकता

४—श्री गोपीनाथ दीक्षित—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह पता है कि उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील में कल्याणी नदी पूरी तहसील को दो भागों में बांटती है और इस क्षेत्र में प्रायः प्रति वर्ष गंगा की बाढ़ आ जाती है किन्तु इस नदी पर कोई पुल न होने से यहां का सम्पूर्ण नागरिक जीवन संकट में रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य के लिये शीघ्र कोई योजना बना रही है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां। इस समय कल्याणी नदी पर पुल बनाने की कोई योजना नहीं है ।

५—श्री गोपीनाथ दीक्षित—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

औरैया तहसील की इमारत

६—**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**—क्या सरकार को यह मालूम है कि औरैया (जनपद, इटावा) की बढ़ती हुई जन-संख्या के कारण तहसील की इमारत चारों ओर से मकानों और बाजारों से घिर गई है जिसके कारण तहसील के चौराहे पर इतनी भीड़ हो जाती है कि यातायात कठिन स्थिति में होने के साथ ही लोक जीवन दुर्घटनाग्रस्त कभी भी हो सकता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, परन्तु अभी तक तहसील के चौराहे पर लोक-जीवन दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तहसील औरैया की इमारत के सामने चौराहे की ओर दीवाल की चहारदीवारी बनी है।

७—**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**—क्या सरकार इस पर विचार करने की स्थिति में है कि उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण तहसील की इमारत कस्बे से बाहर उपयुक्त स्थान पर बनवाई जावे और वर्तमान इमारत एवं उसके कम्पाउन्ड को स्थानीय लोक जीवन के हितों में प्रयोग किया जावे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

रायबरेली जिले में शराब की दुकान

८—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में शराब के कुल कितने ठेके हैं?

डाक्टर सीताराम—जिला रायबरेली में देशी शराब का कोई ठेका नहीं है, परन्तु अंग्रेजी शराब की एक दूकान परमिट होल्डरों को शराब बेचने के लिये है।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

९—**श्री नेकराम शर्मा**—(क) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे कितने कर्मचारी थे जो ५ रु. या इससे भी कम राजकीय महंगाई भत्ता राज्य सरकार द्वारा प्राप्त करते थे?

(ख) ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें उपरोक्त महंगाई भत्ता विद्यालय के महंगाई भत्ता में ही शामिल करके कर्मचारियों को मिला?

(ग) ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें उपरोक्त महंगाई भत्ता विद्यालय के महंगाई भत्ता में शामिल न करके अलग से कर्मचारियों को मिला?

(घ) क्या उपरोक्त महंगाई भत्ता को विद्यालय के महंगाई भत्ता में शामिल करके ही दिये जाने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये गये थे?

(ङ) यदि हाँ, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—'(क) (ख) तथा (ग)' माँगी गई सूचना एकत्र करने में जो श्रम लगेगा और व्यय होगा वह उसके द्वारा लाभ के समतुल्य न होगा।

(घ) शासन द्वारा आदेश दिया गया था कि विद्यालय अपने फंड से (जिसमें महंगाई फीस से होने वाली आमदनी भी शामिल हो) बराबर मात्रा म महंगाई भत्ता अध्यापकों को दे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

१०—श्री नेकराम शर्मा—(क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष १९६१-६२ में १०० रुपये से कम पाने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा ४ रुपया अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने की घोषणा की गई थी ?

(ख) इसके द्वारा कितने कर्मचारी लाभान्वित हुये ?

(ग) क्या उपरोक्त महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों को दिया जा चुका है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—(क) जी हाँ।

(ख) सूचना एकत्रित करने में जो श्रम लगेगा और व्यय होगा वह उसके लाभ के समतुल्य न होगा।

(ग) शासन द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। आशा की जाती है कि महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों को दिया जा चुका है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल की आवश्यकता

११—श्री भगवानदास (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार मिर्जापुर नगर में गंगा नदी पर पक्का पुल बनवाने को सोच रही है ? यदि हाँ, तो कब तक वह पुल बनना प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण-कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना सम्भव न हो सका।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं प्रश्नों के बारे में निवेदन करना चाहता था कि पिछले सदन में भी मैंने देखा है कि जो बहुत ही जरूरी प्रश्न नहीं होता था उस पर ५-६ से ज्यादा सप्लीमेंटरी करने की आज्ञा चेयर से नहीं होती थी।

अगर वही नियम आप भी लागू कर दें तो अधिक प्रश्न हो जाया करेंगे, क्योंकि अब तक २०-२५ ही हो पाते हैं।

श्री अध्यक्ष—जो नेता विभिन्न दलों के हैं वह नोट कर लें, इस वास्ते कि प्रत्येक प्रश्नकर्त्ता यही समझता है कि उसका ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—मेरा सवाल किनारे आकर रह गया। आप दो-दो, तीन-तीन से ज्यादा सप्लीमेंटरी एलाउ न करें तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाय। यहां तो २५-२५ खड़े हो जाते हैं जिनका कोई संबंध नहीं होता। जो संबंधित सदस्य हैं, वही प्रश्न करें।

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर दूं कि नेता विरोधी दलों के हैं वह तय कर लें कि ३ प्रश्नों से अधिक अनुपूरक न पूछे जायं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न दो तरह के होते हैं। अल्पसूचित प्रश्न अधिक महत्व के होते हैं तभी आप स्वीकार करते हैं। ऐसा हो जाता है कि किसी वजह से कोई आदमी देर में पहुंचे तो उसको अवसर नहीं मिलता। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप शार्ट नोटिस क्वैश्चंस को अन्त में ले लें तो अच्छा रहे...

श्री अध्यक्ष—मैं समझ गया, ठीक है। मैं स्वयं उसको सोच रहा था।

विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---विशेषाधिकार की दो सूचनाएं मेरे पास आयी हैं। एक माननीय खाद्य मंत्री, तेग: जी के विरुद्ध है और एक स्वास्थ्य उपमंत्री, धर्मसिंह जी के विरुद्ध है। इनको देख नहीं पाया हूं। जरा देख लूं और बयानात देख लूं, उसके बाद में अपना मत प्रकट करूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---कार्य-स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता और नियम ५२ के अन्तर्गत जो आये थे उन पर आदेश लिख दिया है, कोई स्वीकार नहीं किया गया है। माननीय सदस्य आदेश अपनी सूचनाओं पर देख लें।

जे० के० जूट मिल की श्रमिक विरोधी नीति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम-मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---जे० के० जूट मिल, कानपुर के प्रबन्धकों ने १२ जुलाई, १९६२ को अपने एक बुनकर श्री गोपी को सैकिंगलूम से अन्य हैसियन लूम पर स्थानान्तरित कर दिया। श्रमिक ने इस स्थानान्तरण को अस्वीकार करते हुए अपनी पुरानी मशीन पर काम करने के लिए आग्रह किया। प्रबन्धकों ने उसे सस्पेंड कर दिया, परन्तु वह प्रति दिन मिल में आता रहा और जिस लूम पर वह भेजा गया था उसके अतिरिक्त एक अन्य लूम पर काम करता रहा। उसे आरोप पत्र दिया गया और पता चला कि इस प्रश्न पर बुनकरों ने कुछ झगड़ा भी किया। फलतः प्रबन्धकों ने दो अन्य बुनकरों को भी आरोप पत्र दिये। जांच करने के बाद प्रबन्धकों ने ३१ जुलाई, १९६२ को बुनकर श्री गोपी को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उस दिन शाम को साढ़े चार बजे से मिल के बुनाई विभाग के समस्त श्रमिकों ने काम रोको हड़ताल कर दी। इस पर प्रबन्धकों ने ३१ जुलाई, १९६२ की अर्द्ध रात्रि से मिल के समस्त श्रमिकों की बैठकी कर दी।

प्रादेशिक उप-श्रमायुक्त ने मामला हाथ में लिया और दोनों पक्षों को बुला कर कई बैठकें कीं और १ अगस्त, १९६२ को एक समझौता कराने में सफलता प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप उसी दिन रात्रि को साढ़े दस बजे हड़ताल समाप्त हो गयी। प्रबन्धकों ने श्रमिक श्री गोपी को अन्तिम और पूर्ण रूप से हिसाब करके उसे ९९१ पया की एकमुठ धनराशि देना स्वीकार किया। साथ ही प्रबन्धकों ने अन्य दो श्रमिकों को दिये गये आरोप पत्र वापस लेना स्वीकार किया और इस बात का आश्वासन भी दिया कि कामरोको हड़ताल करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही न की जायगी। इस समय स्थिति शान्तिपूर्ण है।

प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों पर डकैती के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों पर डकैतों द्वारा लूट मार किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर वक्तव्य होगा।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मेरे पास जो सूचना आई है उसके आधार पर वक्तव्य दे दूं। कोई बहुत ज्यादा विवरण नहीं आ सके हैं, फैक्ट्स आ गये हैं और जो स्टेप्स लेने जा रहे हैं, वह आ गये हैं, लेकिन डिटेल्ड स्टेटमेंट नहीं है। अब आप जैसी आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष---यदि आप संतुष्ट हों रिपोर्टों से, तो आप वक्तव्य दे दें। अगर आप स्वयसंतुष्ट नहीं हैं तो फिर माननीय सदस्य भी संतुष्ट नहीं होंगे।

श्री नवलकिशोर—जितने डिटैल्स हम चाहते थे उतने नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष—तो यह स्थगित किया गया। अब आप २० को वक्तव्य दीजियेगा।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों तथा उनकी यूनियन के पदाधिकारियों के हटाये जाने की नोटिस के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब आइटम नं० ८ पर वक्तव्य होगा।

*विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता श्री यादवेन्द्रदत्त और श्री उग्रसेन ने नियम ५२ के अन्तर्गत मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि प्रदेश में कुछ सरकारी कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने के कारण क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया है। यह कहा गया है कि सरकार ने एक गोपनीय पत्र में प्रदेश भर में यह आदेश भेजे हैं कि यूनियन के कार्यकर्ताओं तथा मांग करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया जाय और दण्डित किया जाय। श्री उग्रसेन ने यह भी कहा कि राजकीय अराजपत्रित कर्मचारी संघ के कुछ पदाधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और २८ जिलों में इस संघ के कार्यकर्ताओं को चार्जशीट दी गई है।

यह गलत है कि सरकार ने या मुख्य सचिव ने कोई ऐसे आदेश जिलों में भेजे हों कि सरकारी कर्मचारियों के संघों के कार्यकर्ताओं या मांग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाय। इस प्रकार के आदेश निकलने की न तो कोई वजह है और न सरकार ने ऐसा करने का कभी सोचा। बहुत से ऐसे संघ हैं जिनके नियम बने हैं और जिनके संविधान हैं और जिनको सरकार ने मान्यता रखी है। जब यह संघ अपने नियमों के अनुसार कार्य करते रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। यह सही है कि कानपुर में कुछ अस्थायी कर्मचारियों की सेवायें एक माह का वेतन देने के बाद समाप्त कर दी गई हैं। इनमें उत्तर प्रदेश राजकीय अराजपत्रित संघ नामक संस्था के कार्यकर्ता भी हैं। यह सब कर्मचारी अस्थायी थे और इनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार नियुक्ति अधिकारी इनकी सेवायें एक माह का नोटिस देकर या एक महीने का वेतन देकर समाप्त कर सकते थे। जिन लोगों की सेवायें हाल में कानपुर में समाप्त की गई हैं इनकी सरकार को आवश्यकता नहीं थी और इसलिये उन्हें निकाला गया। हमारे पास यह सूचना नहीं आती है कि किस जिले में किस नियुक्ति अधिकारी ने किस व्यक्ति को नौकरी से निकाला था या किसके खिलाफ चार्जशीट लगाई। श्री उग्रसेन ने यह बताया भी नहीं कि कौन से २८ जिलों में चार्जशीट दी गई है। यह तो मैं कह ही चुका हूं कि सरकार ने जिलों में कोई ऐसे आदेश नहीं भेजे हैं कि किसी कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट लगाई जाय या उसकी सेवायें समाप्त की जायं। यह अवश्य है कि यदि किसी के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है तो उसकी वजह होगी और उस कर्मचारी को पूरा मौका मिलेगा कि वह रूल्स के मुताबिक अपनी सफाई दे। यह गलत है कि कुछ लोगों की सेवायें समाप्त करने से प्रदेश भर में क्षोभ का वातावरण व्याप्त है। अपनी आवश्यकता अनुसार नियुक्ति अधिकारी अक्सर कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करते रहते हैं और इसकी वजह से कोई प्रदेश भर में कभी ऐसा भारी असर नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश राजकीय अराजपत्रित संघ नामक एक संस्था के बारे में पारसाल सूचना मिली थी। इस संघ ने मान्यता प्राप्त करने के लिये भी लिखा था। यू० पी० गवर्नमेंट सर्वेन्ट रिकग्निशन आफ सर्विस एसोसिएशन रूल्स, १९५९ के अनुसार ऐसे संघ को मान्यता दी जा सकती है जिसके सदस्य एक ही वर्ग के कर्मचारी हों और उनका एक ही उभयनिष्ट हित हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजकीय अराजपत्रित संघ में प्रान्त भर के सभी अराजपत्रित कर्मचारी सदस्य बन सकते हैं। यह सब कर्मचारी न तो एक वर्ग के हैं और न इन सब का एक ही उभयनिष्ट हित है। इसके अलावा हर एक सर्विस के अलग-अलग संघ हैं और अधिकतर अराजपत्रित कर्मचारी किसी न किसी संघ के सदस्य हैं। यह उचित नहीं है कि एक कर्मचारी २ संघों का सदस्य हो। सरकार ने अभी कुछ दिन पहले यू० पी० फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रीरियल सर्विसेज एसोसियेशन को भी मान्यता प्रदान कर दी है। इस फेडरेशन में इस समय २८ मिनिस्टीरियल संघ सम्बद्ध हैं। इन संघों के सदस्य अराजपत्रित कर्मचारी ही हैं। जब कि इस प्रकार का एक फेडरेशन भी बन गया है तो यह समझना कठिन है कि एक और संघ बनाने की क्या आवश्यकता है। स फेडरेशन के कुछ प्रतिनिधि मुख्य सचिव से भी मिले थे और अपनी मांगें उनके सामने रखी थीं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान नहीं की और जब उन्होंने दोबारा इस बात पर जोर दिया तब भी इनको मान्यता प्रदान करने से इन्कार किया गया उनको यह भी बता दिया गया था कि यदि कोई कर्मचारी उस संघ का सदस्य एक माह बाद तक रहेगा तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स के नियम ५ (ब) के अन्तर्गत कार्यवाई की जा सकेगी।

अराजपत्रित संघ की अभी तक जो कार्रवाई रही है उससे यह प्रतीत होता है कि इस संघ को अनुशासन तथा जनहित का बिल्कुल ध्यान नहीं है। संघ के कार्यकर्ता तथा सदस्यों ने आदेशों के विरुद्ध मीटिंग्ज कीं और उसमें गवर्नमेण्ट की और अपने अफसरों की आलोचना की तथा बुरी-बुरी बातें कहीं और आपत्तिजनक भाषण दिये। छोटी-छोटी बातों पर उन्होंने जुलूस निकाले और अफसरों को गालियां दीं। कानूनी रास्ता छोड़ कर इन्होंने गैर-कानूनी तरीके अपनाये। पारसाल जब एक कर्मचारी की सेवायें समाप्त की गई थीं तो रूल्स के मुताबिक कार्रवाई न करके इस संघ के कार्यकर्ताओं ने यह ठीक समझा कि जुलूस निकालें और अफसरों के घरों के सामने जाकर गालियां दें और उनको धमकी सुनायें। इस तरह का वातावरण कई बार देखा गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री का ध्यान मार्च-अप्रैल महीने के मुख्य सचिव के उस पत्र की ओर गया है जिसे उन्होंने कानपुर में उद्योग विभाग के निर्देशक को भेजा और यह कहा कि जो लोग अपनी मांग बुलन्द कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें आप १ महीने का नोटिस देकर निकाल दें, और यह कि सभी विभागों को हमने ऐसे आदेश दिये हैं, और उस पत्र को दुबे जी ने सदन में रखा भी था ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मेरा ध्यान नहीं गया है। हमारे अधिकारी बहुत से ऐसे पत्र, शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये, निकालते रहते हैं और सभी की ओर मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---उस पत्र का जिक्र मैंने अपने बजट भाषण में किया थ और माननीय मुख्य मंत्री ने उस समय बड़े साहस के साथ, उस पत्र में जो कुछ लिखा था, उसकी जिम्मेदारी ली थी उस भाषण के उत्तर में। आज उन्होंने कहा कि उसकी जानकारी उन्हें नहीं है, तो इन दोनों बातों में कौन-सी सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दोनों उत्तर सही हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---अस्थायी कर्मचारियों की संस्था कितने दिनों से पास कर रही है और क्या उसने सरकार के पास रिकगनीशन या रजिस्ट्रेशन के लिये कोई आवेदन-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी बताया गया है कि अर्जी स्वीकृत नहीं हुई।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--जिस गोपनीय पत्र का नियम ५२ की सूचना में जिक्र है, वह क्या है ? वह है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि वह पत्र उनके सामने नहीं आया।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---जिन स्थानों से कर्मचारियों को निकाला गया है उन पर फिर से नियुक्तियां की गई हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेरी जानकारी नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी के सामने यह बात आई है कि ३।। लाख अराजपत्रित कर्मचारियों में से जो सारे प्रदेश में हैं, २,८५,००० अस्थायी हैं और उन्हें स्थायी कराने के लिये ये लोग कोशिश कर रहे थे जिसके लिये उन्होंने राज्यपाल और मुख्य मंत्री को आवेदन-पत्र भी दिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि सभी अस्थायी कर्मचारी स्थायी किये जावें तो इकानामी की बात जो यहां समय समय पर कही जाती है, उसके विरोध में बात पड़ जायगी। सरकार को सारी बातों को सामने रख कर काम करना पड़ता है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---साढ़े तीन लाख की नुमाइन्दगी करने वाली संस्था को सरकार ने मान्यता क्यों नहीं दी जब कि इसी प्रकार के रोडवेज के संघ को मान्यता दी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि ये वे कर्मचारी हैं जो अपनी मांग के लिये पर्चे निकालते हैं आपके पास आते हैं और मीटिंग करते हैं, और सिर्फ इसीलिये उन्हें निकाला गया है कि वे मजदूरों की बातें लेकर आपके पास आते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह बात सही नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मुख्य मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जिस आदेश से उन्हें निकाला गया है उसे वापस लेकर उन्हें फिर से नियुक्त किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि ऐसा आदेश निकला है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने अफसरों को गाली दें, जो अपने अधिकारियों के यहां प्रदर्शन करें वे निकाले जावें तो मैं नहीं जानता और यदि नहीं निकला है तो मैं निकलवाने की चेष्टा करूंगा कि ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति न रखे जावें।

श्री अध्यक्ष (श्री गेंदासिंह के खड़े होने पर)---आपका प्रश्न क्या है ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं प्रश्न यह कर रहा था कि इस प्रकार की विज्ञप्ति आज उनको निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर नहीं निकली होगी तो अब निकलवा लेंगे, क्या पुरानी विज्ञप्तियों में इस बात की इजाजत थी कि वे लोग अपने आफीसरों को गाली दें और उनकी बेइज्जती करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कण्डक्ट रूल्स का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। मैंने अभी तक यह तो कहीं स्वीकार किया नहीं है कि इस प्रकार की किसी विज्ञप्ति की ओर मेरा ध्यान आमंत्रित किया गया है लेकिन अगर किसी अधिकारी के विरुद्ध मुझे इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई, तो मैं यही आदेश दूंगा कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी विज्ञप्ति निकाली जाय।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि कानपुर के अधिकारी अपनी कोई यूनियन नहीं बना सकते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है ।

प्रदेश में बाढ़ तथा सूखे से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं विज्ञप्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। उसकी तीनों सूचियां सदन के हर सदस्य की मेज पर वितरित कर दी गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११२५-११३४ पर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। स प्रश्न के ऊपर हम में से बहुत से माननीय सदस्यों का कामरोको प्रस्ताव था और बहुतों ने नियम ५२ के अंतर्गत प्रश्न दिये थे। अब माननीय मंत्री जी जो स्टेटमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं वह ५२ जिलों के बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बहुत बड़े इलाके के सम्बन्ध में हमें सप्लीमेंटरी करने है। मान्यवर, हमारी मेज पर कोई प्रतिलिपि नहीं रखी गयी जिसके ऊपर हम कोई सप्लीमेंटरी कर सकें। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि वह सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष---जरा माननीय सदस्य समझ लें । मुझे जहां तक याद है यह वक्तव्य इसलिये दिलाया था ताकि सब लोगों को उसकी सूचना मिल जाय कि कहां-कहां बाढ़ आयी है, जिससे आप लोग उसके ऊपर सप्लीमेंटरी कर सकें विशेष स्थानों के बारे में । मैंने यह आश्वासन दिया था कि उनका वक्तव्य आप सुन लें और उससे अपने-अपने जिलों के बारे में आपको इनफार्मेशन मिल जायगी, उसके अनुसार जो भी आप प्रश्न करना चाहें, बाद में कर लें । लेकिन आज ५२ जिलों के बारे में यहां जिक्र किया जायगा तो दिन भर इसी में लग जायगा ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---हमने तो तीनों स्टेटमेंट्स टेबिल पर रख दिये हैं । हमारे मित्र कहते हैं कि हमको मिले नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन---मंत्री जी कहते हैं टेबिल पर हैं । साधारणतः कबूतरखाने में रखे जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य वितरित हो गया है ? मुझे यह सूचना मिली है कि माननीय सदस्यों के डाक व दूसरे कागजात वितरित करने की बाहर जो व्यवस्था की गयी है वहीं पर इसे रख दिया गया है । अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ कर सुना दिया जाय । अगर किसी माननीय सदस्य को न मिला हो और वहां भी न हो, तो हमारे दफ्तर से यह मिल सकता है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, सदन को ५ मिनट के लिये स्थगित कर दिया जाय ताकि हमलोग जाकर पिजन होल्स से उसे ले आवें । अब हम लोग क्या करें । जितनी विज्ञप्तियां होती हैं उनको हमारी मेज पर रखना चाहिये लेकिन यहां तो वह है नहीं । अगर आप ५ मिनट के लिये सदन को स्थगित नहीं करेंगे तो हमलोग प्रश्न क्या, करेंगे ? हमारी कठिनाई का भी तो जरा आप ख्याल करें ।

(श्री नेकराम शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---श्री नेकराम जी आप जरा बैठ जायं । जो मैं अर्ज कर रहा हूं पहले उसे आप सुन लीजिये । मैंने अभी निवेदन किया था कि जो सूचनायें प्रत्येक स्थान की हैं वे सदन के सामने माननीय राजस्व मंत्री द्वारा आ जायं और उसके बाद स्पेसिफिक प्रश्न आप यहां सदन में करें, तो उसका उत्तर मैं दिलवा दूं, इस आशय से वक्तव्य के लिये कहा गया था । अब अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि माननीय राजस्व मंत्री सब पढ़ कर सुना दें, तो मैं देख रहा हूं कि यह बड़ी लम्बी सूची है और ये सूचियां भी तीन हैं । अगर आप चाहते हैं तो वे पढ़ कर सुना देंगे लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से आपके तथा सदन के समय का सदुपयोग नहीं होगा । ये सूचियां हाउस के पिजन होल्स में रखी हुई हैं, वहां से आप ले लें । जिन माननीय सदस्यों को न मिलें, उन्हें दिलाने का प्रबंध मैं कर दूंगा, उसके बाद आप प्रश्नों के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । आज यहां प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं उठता ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---श्रीमन्, यह तो केवल बाढ़ के संबंध में वक्तव्य है, सूखे के बारे में भी वक्तव्य देने के लिये कहा गया था लेकिन उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है । तो माननीय राजस्व मंत्री अपने वक्तव्य में उसका भी कुछ जिक्र अवश्य कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष---उसमें है, आपको मिल जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, इस स्टेटमेंट में केवल यह बिखलाया गया है कि प्रदेश भर में कहां पर कितनी वर्षा हुई, जब कि स्टेटमेंट में इसका जिक्र होना चाहिये था कि पूरे सूबे में कहां कहां से कितनी नावों की मांग की गयी और कहां पर कितनी नावें दी गयीं तथा कहां पर कितनी अहेतुक सहायता दी गयी है । इस पूरे स्टेटमेंट में प्रदेश के सारे जिलों में जितनी वर्षा हुई उसके फीगर्स दिये गये हैं, तो इन फीगर्स का हमें क्या करना है, इससे तो कोई मतलब हल होता नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---सूबे भर में कहां कितनी नार्मल रेन हुई और कहां नार्मल से कम रेन हुई यह सब पहले स्टेटमेंट में है । कहां पर सैलाब आया, कहां पर सूखा पड़ा या कहां क्या बात हुई, कहां क्या एलाटमेंट किया गया, कहां कितनी नावों का प्रबन्ध किया गया, यह सब मैं अपने बयान में दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजस्व मंत्री जी अपना बयान पढ़ें ।

श्री बृजबिहारी---सूची नं० १ में जून, जुलाई, १९६२ में होने वाली वर्षा का जिलेवार साप्ताहिक विवरण इंचों में दिया गया है और इसके साथ ही सामान्य वर्षा और वास्तविक औसत का अन्तर भी जो इन महीनों में है वह भी संकलित करके दिया गया है जो इसके साथ ही संलग्न है । विवरण २ में बाढ़ से होने वाली क्षति की जो स्थिति है वह बतलायी गयी है ।

श्री उग्रसेन---माननीय राजस्व मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य पढ़ें ताकि हम लोगों को सवाल करने का मौका तो मिले । वरना ये तो इस तरह से दिन भर इसी में लगा देंगे ।

श्री बृजबिहारी---विवरण-पत्र ३ में बाढ़, अत्यधिक वर्षा, पानी के जमाव के लिये दिये गये अग्रिम अनुदान तथा बाद में दिये गये अनुदानों के जिलेवार आंकड़े दिये गये हैं ।

इन विवरण-पत्रों के पूरक के रूप में साधारण वर्षा, सूखा, तथा बाढ़ की स्थिति और शासन द्वारा लिये गये प्रतिरोधात्मक तथा अन्य सहायता कार्यों की सूचना भी नीचे प्रस्तुत की जा रही है ।

वर्षा

इस वर्ष जून के प्रथम पक्ष से वर्षा प्रारम्भ हुई लेकिन वर्षा साधारणतया अपर्याप्त थी और इसका विवरण भी असमान था ।

जून मास की वर्षा का पूर्ण योग कम रहा और जैसा कि सदस्यों को दिये गये वर्षा की तालिका में दिखाया गया है अधिकतर जिलों में इस मास की वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कहीं कम रही ।

जुलाई का प्रथम सप्ताह लगभग सूखा ही रहा परन्तु जुलाई के द्वितीय सप्ताह में पर्याप्त वर्षा हुई, जिससे साधारणतया स्थिति में सुधार हुआ ।

जैसा कि वर्षा के विवरण-पत्र में दिखलाया गया है जुलाई मास में भी कुछ जिलों में वर्षा सामान्य से कम रही । कुछ जिलों में जल्दी बोई जाने वाली खरीफ फसलों की बुवाई कुछ देर से हुई ।

सभी मंडलों के आयुक्तों से भी कहा गया था कि वे अपने-अपने मंडल में स्थित जिलों में वस्तु-स्थिति का पता लगायें और शासन को भी उससे अवगत करें ।

आयुक्तों तथा जिलाधीशों से प्राप्त विवरणों से पता लगता है कि वर्षा के पहले की कमी बाद की अच्छी वर्षा से पूरी हो गई है और प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में कहीं भी विषम सूखा या अभावग्रस्त क्षेत्र नहीं है ।

प्रदेश में फसलों आदि की स्थिति साधारणतया संतोषजनक है ।

सूखा

मंडलानुसार सूखे की स्थिति का संक्षिप्त सर्वेक्षण निम्न प्रकार है:—

१—मेरठ मंडल—वर्षा होने में एक पखवारे की देर हुई । सहारनपुर जिले में १४,७०० एकड़ भूमि में बुवाई देर से हुई और अपर्याप्त तथा देर से होने वाली वर्षा से फसलों को अनुमानतः १२ प्रतिशत की क्षति पहुंची है। पूर्णतया यदि देखा जाय तो मंडल में कहीं भी सूखे की स्थिति नहीं है ।

२—आगरा मंडल—यद्यपि वर्षा देर से प्रारम्भ हुई तथापि मंडल में सूखे की स्थिति नहीं है । अलीगढ़ जिले में गन्ने बढ़ने में रुकावट पड़ी है । कपास तथा मक्के की फसल पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है । मैनपुरी में मानसून के देर से आने के कारण १६,५७५ एकड़ भूमि में बुवाई देर से हुई । पूर्णतः यदि देखा जाय तो सूखे की स्थिति नहीं है । शाहजहांपुर और पीलीभीत के कुछ भागों में जल्दी बोये जाने वाले धान और खरीफ की फसलें देर से बोई जा सकी ।

४—इलाहाबाद मंडल—वर्षा की देरी के कारण जल्दी बोई जाने वाली खरीफ की फसलों की बुवाई देर से हुई, तथापि उसके कारण अधिक क्षति होने की आशंका नहीं है ।

५—झांसी मंडल—वर्षा देर में आरम्भ होने के कारण खरीफ की फसलों के बोने में एक पक्ष की देर हुई । जुलाई के तृतीय सप्ताह में पर्याप्त वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति नहीं है ।

६—उत्तराखंड मंडल—सूखे की स्थिति नहीं है ।

७—लखनऊ मंडल—वर्षा में एक पक्ष की देर हुई । जल्दी बोये जाने वाले धान और देर से बोई जाने वाली धान की फसल की बुवाई में देर हो जाने के कारण १५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक कम पैदावार होने की संभावना है । मंडल में किसी भी स्थान पर सूखे के लक्षण नहीं हैं ।

८—वाराणसी मंडल—जल्दी बोई जाने वाली खरीफ की फसलों के बोने में देरी हुई, जिसके फलस्वरूप अंकुरण असंतोषजनक रहा ।

९—गोरखपुर मंडल—आजमगढ़ जिले में खरीफ की फसलों का अंकुरण ठीक से नहीं हुआ । बाद में वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति नहीं है ।

[श्री बृजबिहारी]

१०—कुमायूं मंडल—सूखे की स्थिति नहीं है ।

११—फैजाबाद मंडल—वर्षा के देर से एवं असमान रूप से होने के कारण जल्दी बोई जाने वाली खरीफ की फसल, जल्दी बोई जाने वाली धान तथा देर से बोई जाने वाली धान की फसल की बुवाई विलम्ब से हुई । अब सूखे की स्थिति नहीं है ।

१०—वर्षा के रुख पर सरकार, मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा पूर्ण ध्यान दिया गया ।

राज्य के समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि भिन्न भिन्न संग्रह केन्द्रों पर सस्ते गल्ले की दूकानों के लिये खाद्यान्नों के भंडारों का समुचित प्रबन्ध करें । स्थान विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सस्ते गल्ले की और अधिक अतिरिक्त दूकानें भी खोली जायें ।

बाढ़

जुलाई के अंतिम भाग में अत्यधिक वर्षा के कारण कई जिलों में बाढ़ आई ।

गोरखपुर और देवरिया ही ऐसे जिले हैं जिनमें अभी तक बाढ़ के द्वारा अधिक प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

निम्नलिखित जिलों के जिलाधीशों से भी कुछ नदियों और नालों में अल्प समय के लिये साधारण बाढ़ आने की सूचनायें समय समय पर आयीं:—

बस्ती, बाराबंकी, आजमगढ़, गोंडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, एटा, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, सीतापुर और झांसी ।

इस समय फसलों आदि को पहुंचने वाली क्षति का मूल्यांकन करना संभव नहीं है, क्योंकि या तो कहीं बाढ़ की स्थिति अब भी है या संभव है बाढ़ निकट भविष्य में आये ।

बाढ़ों से हुई क्षति तथा उससे पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान जिलाधीशों से अभी तक (९-८-६२) प्राप्त निम्न आंकड़ों से लगाया जा सकता है—

१—प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	.. ..	४,२६,३९३
२—प्रभावित गांवों की संख्या	.. ..	१,८१५
३—प्रभावित जन-संख्या	.. ..	४,८७,६७५
४—मकानों की संख्या जो क्षतिग्रस्त या प्रभावित हुए—	..	३७९
५—जीव हानि—		
(क) मनुष्य—५		
(ख) पशु—		

नदियां जिनमें बाढ़ आई तथा बाढ़ की तिथियां और अवधि, प्रभावित क्षेत्रफल और क्षति का जिलेवार ब्यौरा विवरण-पत्र २ में दिखाया गया है ।

गोरखपुर और देवरिया जिलों की बाढ़ की स्थिति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

१—गोरखपुर—गोरखपुर जिला बाढ़ से दो बार आक्रान्त हुआ है ।

बाढ़ का पहला प्रकोप—जून के अंतिम भाग में नैपाल तराई में अत्यधिक वर्षा होने के कारण तहसील फरेंदा और महराजगंज में बड़ी गण्डक के जलग्रहण करने वाला क्षेत्र (catchment area) २९ जून, १९६२ को बाढ़ग्रस्त हो गया ।

तहसील महराजगंज में छोटी गंडक, रोहिन, चंदन और झरई और कुछ नालों में तथा तहसील फरेंदा में रोहिन, पयास और बसमनियां नदियों में बाढ़ आई ।

यह बाढ़ लगभग १४ दिन तक रही । इससे २४५ गांव, ६७,७०० एकड़ भूमि और ७०,८०० मनुष्य प्रभावित हुए । घोवहा नाले से २२ एकड़ भूमि कट गई ।

८४ नावें बाढ़ सहायता कार्य में लगी थीं । प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थानों पर हटाये गये ।

बाढ़ का द्वितीय प्रकोप—यह जिला पुनः ३ अगस्त, १९६२ से बाढ़ से अक्रान्त हो गया है ।

राप्ती, रोहिन, छोटी गंडक, पयास, चन्दन, झराही, वसमतियां आमी और कुआनों नदियों में तथा नालों में घोवहा, मालोन, चित्री खकेरा और गुर्रा में बाढ़ है ।

जिलाधीश के सद्यप्राप्त रेडियोग्राम से यह ज्ञात हुआ है कि रोहिन नदी तेजी से घट रही है और अन्य नदियां धीरे धीरे घट रही हैं ।

इस बाढ़ में कुल १,५७,७५० एकड़ भूमि, ८२४ गांव तथा २,३६,८०० व्यक्ति प्रभावित हुए हैं ।

निचलौल-सिसवा सड़क और निचलौल-थूथीवाड़ी सड़क टूट गई है तथा गोरखपुर-फरेंदा सड़क पर पानी भरा हुआ था ।

अभी तक बाढ़ संरक्षण कार्यों (protective works) को क्षति होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

डोमरैला, कनैल, तथा मझगवां ग्रामों में राप्ती नदी द्वारा भयंकर कटाव जारी होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

इसके कारण ट्यूबवेल डिवीजन के कनैल, मझगवां बांध को तथा डुमरैला बांध को खतरा हो गया है । आवश्यक निरोधात्मक कार्य किये जा रहे हैं । इन कटानों के कारण नारायणी नहर योजना को बंद कर दिया गया है ।

२०९ ट्यूबवेल में से यांत्रिक दोषों के कारण केवल ६ ट्यूबवेल ही काम के योग्य नहीं हैं ।

बड़ी गंडक ने, जिसे नारायणी भी कहते हैं, अपना मार्ग बदलना प्रारम्भ कर दिया है। पिछले ३–४ वर्षों में इसने अपने बायें किनारे पर लगभग १ १/२ मील का घेरा बढ़ा लिया है। नारायणी नहर के पश्चिम के क्षेत्र में घोवहा नाला में जो कि नेपाल राज्य में गंडक नदी से परसूनी ग्राम के लगभग १ १/२ मील नीचे से पानी लेता है अधिक पानी गिरने से स्थिति अधिक खराब हो गई है । अस्थायी सुविधाओं को देने के लिये ३० आश्रय स्थल उन स्थलों पर बना दिये गये हैं जो अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर हैं और जहाँ तक बाढ़ पहुंचने की आशंका नहीं है ।

बहुहार ग्राम में ६१ नावें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये स्थायी रूप से रख दी गई हैं । इस ग्राम में ५०० रु० की अहेतुक सहायता बाँटी गई है ।

संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिये सभी प्रबंधों पर तथा स्थिति पर विशेष निगरानी रक्खी जा रही है ।

गोरखपुर से छितौनी रेल मार्ग को बड़ी गंडक के कटाव से कुछ खतरे की संभावना थी अतः छितौनीघाट तक जाने वाली रेल गाड़ियाँ अब छितौनी टरमिनस पर रोक दी जाती हैं । जिलाधीश गोरखपुर तथा देवरिया से प्राप्त सूचना के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि रेल मार्ग को अब कोई खतरा नहीं रहा है ।

सहायता संबंधी कार्य—अहेतुक सहायता तथा अन्य प्रकार के बाढ़ संबंधी सहायता कार्यों के लिये इस जिले को ८०,००० रुपये अब तक दिये गये हैं ।

[श्री बृजबिहारी]

सहायता और सुरक्षा कार्यों में इस समय १४७ नावें लगी हुई हैं । जिले में ५५ सरकारी नावें, ५१ ग्राम सभा की नावें और २ मोटर बोट हैं । इस वर्ष और देशी नावों के निर्माण के लिये धनराशि स्वीकृत की गई है । नावों को किराये पर लेने में तथा अन्य प्रकार का कार्य करने के लिये जिलाधीश ने २० हजार रुपया खर्च किये हैं । ३० हजार रु० की अहेतुक सहायता इस समय तक बांटी जा चुकी है ।

देवरिया

बड़ी गण्डक, छोटी गंडक, गर्रा, भटुआ और घाघरा नदियों में बाढ़ आई है ।

बाढ़ से इस समय तक ३५४ ग्राम, ९३,३८२ एकड़ भूमि और १,१६,६४३ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं ।

एक ग्राम में बड़ी गंडक नदी द्वारा कटाव की सूचना प्राप्त हुई और ५० परिवारों को वहाँ से हटा दिया गया है ।

भागलपुर पुल के समीप एक पुलिया पूर्ण रूप से बह गई है और पी० डब्लू० डी० की सड़क पर, दो और कनौल नाले पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गये हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचित कर दिया गया है और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है ।

हाटा तहसील से ३ मनुष्यों की मत्यु की सूचना मिली है । बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है ।

सहायता कार्य के लिये ४५ सरकारी नावें, ५५ देशी नावें और १ मोटर बोट हैं । इस वर्ष ११ और अधिक नावों के निर्माण के लिये धनराशि स्वीकृत की गई है । जिलाधीश को अधिकार है कि वह गैर-सरकारी नावों को किराये पर ले लें अथवा अपने अधिकार में ले लें । सहायता के योग्य व्यक्तियों में अहेतुक सहायता बाँटी जा रही है । सहायता तथा सुरक्षा कार्य के लिये २० हजार रुपये की धनराशि अब तक स्वीकृत की जा चुकी है ।

क्षतिग्रस्त पुलों तथा पुलियों की मरम्मत के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । ट्यूब वेलों की खराबी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

बलिया जिले में बहेड़ा नाला पर एक रेगुलेटर है जिससे समय पर न खोलने के कारण कुछ भूमि जलप्लावित हो गई थी पर अब यह खोल दिया गया है और स्थिति ठीक हो गई है ।

बाढ़ सहायता कार्य

१—अग्रिम प्रदिष्ट धनराशि—मई सन् १९६२ में ही सरकार ने ५,००० रु० की एक धनराशि अहेतुक सहायता वितरण के लिये और ५,००० रु० की दूसरी धनराशि सहायता के अन्य कार्यों तथा आकस्मिक व्यय जैसे नावों, गैस और खेमों आदि को किराये पर लेने के लिये ४१ जिलाधीशों के अधिकार में रखी और शेष १३ जिलाधीशों में से प्रत्येक के अधिकार में १,००० रु० की धनराशि अहेतुक सहायता तथा अन्य कार्य के लिये रखी।

२—जिलाधीशों से माँग आने पर और धन भी स्वीकृत किया जाता है ।

३—बाढ़ आने से पहिले, बाढ़ के समय तथा उसके बाद जो कार्यवाही की जानी चाहिये उसके संबध में विस्तृत आदेश तथा निदेश सभी जिलाधीशों को जारी कर दिये गये हैं ।

४—सभी जिलाधीशों को पहिले ही से भू ो का स्टाक रखने के लिये आदेश दे दिये गये थे। बाढ़ पीड़ित तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में भूसा सस्त दरों पर दिलाने के लिये एक ठेकेदार भी नियक्त किया जाता है। रेल के अधिकारियों से भी वैगनों का अतिशीघ्र प्रबन्ध करने तथा उन्हें रेलवे से सस्ते भाड़े क: दरों पर देने के लिये प्रार्थना की जाती है। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पशुओं की

चराई के लिये रिजर्व बनों को खुला छोड़ने के लिये भी आदेश जारी किये गये। आवश्यक स्थानों पर नावों के प्रबधहेतु गाँव सभाओं द्वारा खरीदी जाने वाली नावों के लिये सरकार कई वर्षों से सहायता देती आ रही है। इसमें कुल व्यय का ६० प्रतिशत शासन को और ४० प्रतिशत गाँव सभाओं को वहन करना पड़ता है। इस प्रकार की १९५ और नाव बनाने के लिये इस वर्ष ९३,६०० रु० की धनराशि निर्धारित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जिलाधीशों के पास इस समय २८ मोटर बोट और इन्सपेक्शन लौंचेज भी हैं और भी मोटर बोट खरीदे जा रहे हैं। बाढ़ कार्यों के सहायतार्थ जिलाधीशों को यह अधिकार भी दे दिये गये हैं कि वे कहीं से भी नावें अपने अधिकार में ले सकते हैं।

५—इस बात पर जोर देते हुए पुनः आदेश जारी कर दिये गये हैं कि धनाभाव के कारण बाढ़ सहायता कार्यों में कोई कमी नहीं आनी चाहिये और ऐसी स्थिति में शीघ्र ही तार व बेतार द्वारा शासन से और अधिक धनराशि की माँग करनी चाहिये, जिसकी स्वीकृति सरकार शीघ्र ही दे देती है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—बिरला बन्धा के टूटने के सिलसिले में मैंने एक सूचना दफा ५२ के अन्तर्गत दी थी। उस समय आपने आदेश दिया था कि माननीय राजस्व मंत्री जी अपने वक्तव्य में उसका जिक्र करेंगे लेकिन उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उस बाँध में एक रेगुलेटर नहीं खुला था जिसकी वजह से वाटर लागिंग हो गयी थी। अब वह खोल दिया गया है।

श्री मैनेजर सिंह—श्रीमन्, दफा ५२ की एक और सूचना बिरला बंधा के टूटने के संबंध में मैंने दी थी। गत वर्ष वह क्षतिग्रस्त हुआ था। उसका कोई जिक्र न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना मैं आपको अपने कमरे में दे दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि धोबहा नाला जिस पर कि साइफन बना हुआ था उसमें नारायणी नदी का पानी बह कर आता था लेकिन उसके टूट जाने के कारण महाराजगंज और फरेंदा तहसील के सारे गाँव प्रभावित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नारायणी का पानी धोबहा नाले में आकर गिरता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—यह धोबहा नाला जो इतना मशहूर नाला है जिस पर सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर के नारायणी के पानी से बस्ती क्षेत्र को बचाने के लिये बनाया था, तो इस पर क्या प्रोटेक्शन कार्य नहीं हुआ जिसकी वजह से वह पानी नहीं कंट्रोल कर पाया और टूट गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत ज्यादा पानी आ गया, उस बोझ को संभाल नहीं सका, यही वजह हो सकती है।

श्री मैनेजर सिंह—बहेरी नाले के देर से खुलने की वजह से जो गाँव डूबे, उनमें कितनी क्षति हुई और जिस अधिकारी की लापरवाही की वजह से देर हुई, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—न अभी किसी की लापरवाही का पता चला, न किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—परसों एक कामरोको प्रस्ताव किया गया था कि गुर्रा नदी में अब भी बाढ़ है लेकिन मंत्री जी की रिपोर्ट में गुर्रा नदी का नामोनिशान तक नहीं है, उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आपने गौर नहीं किया गुर्रा नदी का नाम कई मर्तबा आया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—मैंने मरादाबाद के सूखे के बारे में दफा ५२ की नोटिस दी थी लेकिन सूखे की रिपोर्ट में मंत्री जी ने मुरादाबाद के सूखे का कतई जिक्र नहीं किया । मंत्री जी ने केवल यह कहा कि पहले बारिश न होने की कमी बाद की बारिश होने से पूरी हो गयी । तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि धान की फ ल मुरादाबाद के जिले में १५ जुलाई तक बोई जाती है, बारिश वहाँ ३० जुलाई को हुई, तो जब ३० जुलाई तक धान की फसल वहाँ नहीं बोई गई तो वह कमी कैसे पूरी हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिसको खेती का जरा भी तजरबा है वह जानता है कि जब सूखा होता है तो धान मटिया कर के फेंक दिया जाता है और जब बारिश होती है तब वह उग आता है ।

श्री चन्द्रबली—रुद्रपुर की बाढ़ के सिलसिले में मैंने अर्ज किया था कि ३० जुलाई से ही वहाँ बाढ़ है लेकिन ७ अगस्त तक न नावों का बन्दोबस्त हुआ न दूसरी कोई अहेतुक सहायता पहुंचाई गयी । इसके सिलसिले में अबतक सूचना नहीं मिली कि कितनी नावें उस क्षेत्र में पहुंचायी गई हैं या क्या अहेतुक सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया जिले में तो बहुत सी नावें हैं जैसा कि अभी बयान में पढ़ा गया है ।

श्री नवरंग सिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, उनके दफ्तर में भी मैंने गोंडा की राप्ती नदी की बाढ़ के सिलसिले में जितने गाँव कटे । वे लोग दूसरी जगह जाकर बस गये, यह लिख कर दिया लेकिन यहाँ उसका कोई जिक्र नहीं आया । इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे पास रिपोर्ट नहीं आयी है । अगर हमारे मित्र को कुछ इत्तला हो तो हमें रिपोर्ट दें, हम उसकी जाँच करायेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र—क्या मंत्री जी को मालूम है कि हरदोई जिले में अब तक मक्के की फसल खत्म हो चुकी है और खेतों में धान के चटकने के बाद अब तक पानी नहीं बरसा है यानी वहाँ सूखे की हालत बहुत ही खराब है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहाँ लोगों के सब्ज कदम होंगे वहाँ सूखा होगा । सूखे के लिये हम क्या करेंगे ?

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मथुरा जिले में और खासकर छाते में जो पंजाब से मिलता है वहाँ पहले टिड्डी ने फसल बरबाद कर दी और अब सूखा पड़ गया है ? क्या मंत्री जी ने कोई सूचना मंगाई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूखा का अंदाजा किया जा रहा है और सब जगह से आयेगा ।

राजा अवधेशप्रताप (जिला देवरिया)—श्रीमान्, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था और मैंने अर्ज किया था कि घाघरा के कटाव से सलेमपुर तहसील के ३, ४ गाँव कट रहे हैं । इसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया जिले में घाघरा की वजह से कुल ५ गांवों के कटने का जिक्र वक्तव्य में किया गया है । जिनके घर कट गये हैं उनको सेफर प्लेस में ले जा र हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बारासागर, झांसी में जो बाढ़ से क्षति हुई, उसके लिये सरकार क्या इंतजाम कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अभी तो कोई ऐसी अलार्मिंग खबर नहीं आई है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि विजयपुर के पहाड़ी क्षेत्र में सांवा, कोदों और मक्के की फसल है। उसके होने की कोई आशा नहीं है, क्या इसकी उनको सूचना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो मैंने कहा कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वह अंदाज किया जा रहा है। उसके आने पर कानूनन जो मदद करनी होगी, करेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—श्रीमान्, एटा जिले में जो दिया है किलहरा गाँव में बांध टूट गया। यह गलत है, इसको शुद्ध कर लिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी हम जाँच-पड़ताल कर लेंगे।

श्री चन्द्रबली—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रुद्रपुर क्षेत्र में ३० जुलाई से बाढ़ है और ७ अगस्त तक नाव वगैरा का न कोई बन्दोबस्त है और न कोई अहेतुक सहायता दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने बताया था कि नाव का इंतजाम है, शायद आपने सुनने की कृपा नहीं की।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या माननीय मन्त्री जी वहां पर ज्यादा पानी देने का इन्तजाम करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पानी बरसाना अगर हमारे हाथ में होता तो हम बरसा देते।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—आप कैनाल विभाग को इजाजत दे दें, वे पानी दे देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आप सिंचाई मन्त्री जी से बात कर लें।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्नाव जिले की तीन तहसीलें पुरवा, सफीपुर और उन्नाव जो गतवर्ष बाढ़ से प्रभावित हुईं और जिनमें कई गांव गंगा जी में बह गये तो इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने की बात सरकार सोच रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—पहले इस साल का पूछ लीजिये।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में एम० ए० की कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश न पा सकने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय शिक्षा मन्त्री गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें हमको एक शब्द भी सूचना नहीं मिली है। हमको सूचना दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आप उनके कमरे में पूछ लीजिये।

श्री चन्द्रबली—माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष—आप बैठें।

श्री चन्द्रबली—माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जायं। मैंने शिक्षा मन्त्री को बुला लिया है।

शिक्षा उपमन्त्री (श्री केशभान)—गोरखपुर विश्वविद्यालय....

श्री चन्द्रबली—जिस सम्बन्ध में आपने कहा था कि सूचना मिलेगी, हमको एक शब्द भी सूचना नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। वह समाप्त हो गया है। अब माननीय शिक्षा मन्त्री वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री चन्द्रबली—वह सूचना कब मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—जो सूचना मिलनी थी, वह मिल गयी।

श्री चन्द्रबली—एक शब्द भी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—आप बैठना चाहते हैं या नहीं? आप बैठ जायं या बाहर जायं।

श्री चन्द्रबली—हम बाहर जाते हैं।

(इस समय श्री चन्द्रबली सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री केशभान—गोरखपुर विश्वविद्यालय ने बी० ए० (द्वितीय वर्ष) के परीक्षाफल का अधिकांश १२ जुलाई, १९६२ को ही घोषित कर दिया था। परीक्षाफल का शेष भाग १३ और १४ जुलाई, १९६२ को घोषित किया गया। यह कहना ठीक नहीं है कि विश्वविद्यालय में एम० ए० की कक्षाओं में प्रवेश १४ जुलाई, १९६२ को बन्द कर दिया गया। नियम के अनुसार एम० ए० के ऐडमिशन फार्म्स २५ जुलाई, १९६२ तक वितरित तथा स्वीकृत किये गये और उन कक्षाओं में, जिनमें स्थान अभी तक खाली हैं, विद्यार्थियों का दाखिला अभी तक हो रहा है। दाखिले की अन्तिम तिथि १८ अगस्त, सन् १९६२ है।

यह भी कहना सत्य नहीं है कि एम० ए० की कक्षाओं में सीट्स कम कर दी गयी हैं। वास्तविकता यह है कि सीट्स बढ़ा दी गयी हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके कारण बी० ए० का परीक्षाफल जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक निकलता रहा?

श्री केशभान—सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन—यही तो सूचना मांगी गयी है। जरा वह पढ़ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—गोरखपुर विश्वविद्यालय में बी० ए० (द्वितीय) का परीक्षाफल १४ जुलाई, सन् ६२ को प्रकाशित किया है जबकि एम० ए० कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश बिल्कुल बन्द कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पाना छात्रों एवं अभिभावकों के लिए यह गम्भीर समस्या है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में उक्त कक्षाओं में स्थान बढ़ाने की बात तो दूर रही अभी गत सप्ताह विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने उक्त कक्षाओं में कुछ स्थान कम कर दिये हैं। इससे सैकड़ों छात्र एवं अभिभावकों के लिये एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है और उनका भविष्य अन्धकारमय है।

अब यह पूछिये कि उनके लिये क्या व्यवस्था हुई है।

श्री उग्रसेन——मेरा पहला प्रश्न था कि १४ जुलाई को परीक्षाफल प्रकाशित हुआ है, यह क्यों है ?

श्री अध्यक्ष——यह नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बी० ए० (द्वितीय) का परीक्षाफल १४ जुलाई, सन् ६२ को प्रकाशित किया है जब कि एम० ए० कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश बिल्कुल बन्द कर दिया गया था।

श्री उग्रसेन——यानी लेट क्यों प्रकाशित हुए हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष——ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पाना छात्रों एवं अभिभावकों के लिये एक गम्भीर समस्या हो गई है। तो आप फिर पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें यह नहीं पूछा गया है। और कोई प्रश्न आप कर लें।

श्री उग्रसेन——क्या माननीय मन्त्री जी को गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और कक्षाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में उपकुलपति के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं ?

श्री केशभान——जी नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)——क्या यह सही नहीं है कि वहां के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष और प्राध्यापक बी० ए० में एडमिशन लेने वाले छात्रों को डांट-डपट कर खदेड़ देते हैं और कहते हैं कि चले जाओ यहां से, सीट नहीं है ?

श्री केशभान——ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)——क्या माननीय मन्त्री जी उन विद्यार्थियों को जिनको दाखिला एम० ए० में नहीं मिल पाया है उनके लिये कोई व्यवस्था करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में उन्हें एम० ए० में दाखिला मिल जाय ?

श्री केशभान——जितनी सीट्स रही हैं उनमें मेरिट के आधार पर जो प्रार्थना-पत्र दिये गये थे उनका प्रवेश हुआ है।

श्री उग्रसेन——इस बात को देखते हुए कि माननीय उप-मन्त्री जी उसी जिले से आते हैं जिस जिले में यह विश्वविद्यालय स्थित है, क्या उन्होंने कभी विश्वविद्यालय की कक्षा और परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में स्वयं विश्वविद्यालय के प्रांगण में जा कर जानकारी प्राप्त की है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)——विश्वविद्यालय आटोनामस बाडीज हैं और उनमें मन्त्रिगण या उपमन्त्रिगण जाकर यह तमाम बातें देखें और उनका निरीक्षण करें, ऐसा उन्हें अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष——अब बहुत प्रश्न हो गये। माननीय परिवहन मन्त्री...

श्री उग्रसेन——असली बात तो खुलने ही नहीं पायी...

श्री अध्यक्ष——देखिये, आप तो प्रस्तुतकर्ता थे आपको पहला सवाल वही पूछना चाहिये था।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Motor Vehicles taxation (Sanshodhan) Bill, 1962] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२, [Uttar Pradesh Motor Vehicles taxation (Sanshodhan) Bill, 1962] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गनेशीलाल---मैं उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Mote. Vehicles taxation (Sanshodhan) Bill, 1962] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पष्ठ ११३५-११४१पर।)

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, आप यह बतलाने की कृपा करें कि बोलने का कितना समय मुझे देंगे?

श्री अध्यक्ष---साधारणतया तो जो यहां पद्धति रही है वह यह रही है कि प्रस्तावक को आधा घंटा, नेतागण को २० मिनट और अन्य को १० मिनट। चीफ मिनिस्टर को जब वह उत्तर देंगे उनको ४५ मिनट और अन्य मिनिस्टरों को २० मिनट। शेष सदस्यगण को १०, १० मिनट का समय दिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मन्त्री, राज्य मन्त्री, उप-मन्त्री और सभासचिव सब को २०, २० मिनट का समय दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष---जो व्याख्या हमारे नियमों में है वही यहां पर ली जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को ३० मिनट में पूरी करूं, लेकिन अगर थोड़े समय की और आवश्यकता होगी तो आप देने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, आज समस्त विरोधी दलों की ओर से मन्त्रिमन्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सदन में पेश हुआ है और यह भी हम आप सभी जानते हैं कि सरकार के कार्यकलाप, जिसको ऐक्ट्स आफ ओमिशन और कमीशन कहें, ऐसे हुए हैं और ऐसे हो रहे हैं कि जिनके परिणामस्वरूप प्रान्त भर में लोगों को कठिनाइयां, कष्ट और सभी प्रकार के लोगों के लिये परेशानी अतीव गुरुतर होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष---आप प्रस्ताव पढ़ दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैं अभी पढ़ता हूं। अतएव उस भावना को सदन में प्रतिविम्बित करने के लिये यह प्रस्ताव हम लोग लाये हैं। प्रस्ताव इस प्रकार है :---"यह सदन वर्तमान मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।"

जातिवाद के लिये तो बहुत कुछ उधर से भी कहा जा सकता है और इधर से भी कहा जा सकता है, परन्तु मैं आज अपने मुंह से कोई भी बात नहीं कहूंगा। मैं तो केवल वही बात कहूंगा जो उधर के बैठने वाले, जब उन कुर्सियों पर नहीं थे, उन लोगों ने जो बात कही थी और उन से यह प्रश्न करूंगा कि आपने जो घोष किया था कुर्सियों पर आने से पहले, जो घोषणायें की थीं, उनको आपने पूरा किया या नहीं।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान माननीय आचार्य जुगल किशोर जी के उस वक्तव्य की ओर दिलाऊं जो उन्होंने और उनके साथियों ने, तथा उनके माननीय नेता महोदय जब स्वयं मुख्य मन्त्री नहीं थे उनकी भी सम्मति उस वक्तव्य में थी और उन्होंने उस कांग्रेस दल के मन्त्रिमण्डल पर जो आज भी सत्तारूढ़ हैं, आरोप लगाये थे, मैं उसको आप की आज्ञा से एक मिनट में पढ़ कर सुना दूं। (व्यवधान) मैं तर्क दे सकता हूं, बुद्धि नहीं दे सकता दलील समझने के लिये।

श्रीमन्, वह वक्तव्य इस प्रकार है---"जिस प्रकार शासन चल रहा है वह आम जनता व साधारण कांग्रेसजन को आशाओं के अनुरूप नहीं है। प्रशासन ढीला हो चला है और धीरे-धीरे उसकी क्षमता घटती जा रही है। देश में उसकी वह नेकनामी नहीं है, जो पांच साल पहले थी। व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में उसकी असफलता विशेष रूप से रही है। ग्रामीण जनता में अरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है।

फिजूलखर्ची बढ़ रही है और किफायतशारी के वातावरण का नितट अभाव है। राज-कर्मचारियों की संख्या बढ़ गयी है और वे मनमानी कर रहे हैं, जिसका कारण यह है कि मुख्य मन्त्री को प्रशासन को तफसील से देखने का अवकाश नहीं है। नहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी टेढ़ी भौहें हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और वह प्रशासन की ऐसी शाखाओं अथवा राज कर्मचारियों के ऐसे वर्गों में घुस चुका है जहां पहले उसका अस्तित्व नहीं था।

इस सब के ऊपर राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में मन्त्रिगण चिंतित दिखायी नहीं देते। ग्रामीण जनता तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत कोशिश है वह समाचारपत्रों या विधान सभा में की गयी अपीलों और दिये गये भाषणों तथा राजधानी के अन्दर अन्न उपजाओ आन्दोलन के उद्घाटन तक ही सीमित है।

अब कुछ दिनों से गवर्नमेंट कांग्रेस दल की गवर्नमेंट की हैसियत से काम नहीं कर रही है बल्कि अपने आपको दल के अन्दर एक गुट की गवर्नमेंट मानती है। सरकारी मशीनरी का खुल कर अथवा बिना किसी हिचकिचाहट अपने गुट के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है।"

श्रीमन्, मैं पूछता हूं कि आज तक जो आरोप उन्होंने लगाये थे उनका क्या उत्तर अपने कार्यों में दिया है? सुरक्षा की भावना घटती जा रही है। रोज डकैतियां बढ़ रही हैं। माननीय नवल किशोर जी ने उसके लिये क्या कदम उठाये? मैं जल्दी-जल्दी में माननीय नवल किशोर जी के वह भाषण निकाल कर नहीं ला सका जो उन्होंने एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन होने की हैसियत से दिये थे। किफायतशारी करने के लिये १ करोड़ की बचत करने की घोषणा की गयी थी। मैं नहीं जानता कि माननीय मन्त्री जी ने अधिकृत भाव से घोषणा की थी या केवल समाचार-पत्रों में छपाने के लिये घोषणा की थी कि २० करोड़ की किफायत हो सकती है। कहां चली गयी वह घोषणा? कहां चली गयी वह सारी किफायतशारी? २० करोड़ का जो आज प्रान्त के बजट में घाटा है उसको आप प्रान्त के ऊपर टैक्स लगा करके पूरा करने जा रहे हैं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इसे किफायतशारी नहीं कहा जा सकता। इन सब से किफायतशारी नहीं हो सकती है। यह सब कैसे हुआ, ऐसी परिस्थितियां कहां से आ गयीं? वह आपके पहले वाले विचार सब धुएं की तरह से कहां लोप हो गये?

दूसरी बात श्रीमन्, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक नहीं मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। मैं सुशीला रोहतगी जी के भाषण से कुछ अंश उद्धृत करके आपके समक्ष रखना चाहता हूं उन्होंने जहां तक मेरी याद्दाश्त है कहा था कि पी० डब्ल्यू० डी० में भीषण भ्रष्टाचार है और

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

उसकी जांच कराई जाय। उसके लिये कमेटी बैठाई जाय। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं यह देखता हूं कि यह इस सदन की एक परम्परा सी बन गई है कि जो कुछ हम कहें चाहे वह सही भी कहें तो यही कहा जाता है कि वह गलत है। इसीलिये आज मैं अपनी बात नहीं कहूंगा वरन् उन्हीं की बातें कह रहा हूं।

एक और उदाहरण मैं देता हूं। झांसी में जो मासाटीला की कहानी है उसी की बात कर रहा हूं, जिसका कि पहले ३ करोड़ का इस्टीमेट था, फिर ८ करोड़ का हुआ और फिर १० करोड़ का हुआ और अब वह १८ करोड़ का हो गया है। श्रीमन्, उसके ऊपर एक कमेटी भी बैठी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार से कि आखिर यह पैसा कहां गया? अभी उसी दिन माननीय राममूर्ति जी ही शायद उत्तर दे रहे थे। किसी बांध के बारे में कि एक करोड़ का इस्टीमेट था और फिर वह बढ़ कर बाद में ८ करोड़ हो गया था। यह केवल मिसलीनियस खर्चा है जो मैं बता रहा हूं। आखिर यह क्या तमाशा है? इसको आपने क्यों नहीं रोका है? आपने उसको रोकने के बजाय प्रश्रय दिया है और स्पष्ट रूप से प्रश्रय दिया जा रहा है। आप उसको रोकने में असमर्थ रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो तानाशाही है आपने उसको दबाना चाहा, परन्तु वह आपके ऊपर चढ़ बैठी है। आपके उत्तरों में, आपके भाषणों में केवल उसके ऊपर लीपापोती ही है और कोई दूसरी बात नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जब सरकार आ जाय तो कैसे वह समाज का विश्वास प्राप्त कर सकती है, कैसे वह जनता की विश्वास भाजन रह सकती है? यही कारण है कि आज अविश्वास का दानव मुंह बाये खड़ा हुआ है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उनको स्वयं अपने ऊपर अविश्वास है, उनके अन्दर खुद विश्वास नहीं है।

अभी आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा जो माननीय गुप्ता जी ने भाषण बुलन्दशहर में दिया था कि आप लगान के खिलाफ मत बोलिये। कांग्रेस दल के अन्दर गुटबाजी है। इसका प्रभाव प्रशासन के ऊपर पड़ रहा है। अभी २५ जुलाई को माननीय गुप्ता जी ने प्रान्त के सारे बड़े-बड़े प्रशासकों की एक कान्फ्रेन्स बुलवाई थी, उसमें जो भी बातें हुई हों उनको मैं नहीं जानता परन्तु जो प्रेस हैंड आउट हुआ है उसमें एक वाक्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं—

"The Conference felt that the frequent transfers of Magistrates and Police Officers including Inspectors created a number of administrative problems."

क्या कारण है कि यह ट्रांसफर्स किये गये। मैं किसी की नीयत पर आक्रमण नहीं करता, परन्तु इलेक्शन आता है, उसके पहले आफिसर्स का ट्रांसफर होता है और टेलीफोन से ट्रांसफर कैंसिल कराया जाता है। यह इसलिये कि चलकर इलेक्शन में कनवेसिंग करो और धमकी दो कि तुम्हारा चक बिगाड़ दिया जायगा। यह प्रशासन की हालत है। प्रशासकों की यह शिकायत है कि फ्रिक्वेंट ट्रांसफर के पीछे लिपोटिज्म और फेवरटिज्म की भावनाएं छिपी हैं।

आज आपके अधिकारियों के मन में यह घुसा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन्होंने मुझसे स्वीकार किया है, कि वे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि ठीक तरह से काम क्यों नहीं करते तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि समय काट रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि "पार्सिंग इन बक्स"। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यह बड़े खराब लक्षण हैं। कोई अपने इनीशिएटिव पर काम नहीं करना, कोई अपनी उत्तरदायित्व की भावना को नहीं पहचानता। उन्हीं अधिकारी से मेरी और बातचीत हुई तो कहने लगे कि हम सर्विस में हैं, हमारा प्रोमोशन आज हमारे काम पर निर्भर नहीं है परन्तु हमारी पहुंच पर निर्भर करता है और सत्तारूढ़ दल के प्रसन्न होने पर निर्भर है। जब यह भाव, जब ऐसी भावनायें प्रशासकों के मन में आ गई हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपको प्रशासन में सफलता नहीं मिल सकती।

आज आपके प्रशासन की असफलता का बराबर यह प्रतिबिम्ब है कि आपकी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो रही है। आज प्रशासन वर्ग पथ-भ्रष्ट है। उसको रोकने के लिये, उसको सुधारने के लिये, उसको कान्फीडेन्स में लाने के लिये सरकार ने क्या किया? आप सेक्रेटरिएट को ही देख लें। कितने ही लोग ऐसे मिलेंगे जो वर्षों से यहीं बैठे हुये हैं और उनसे काबिल काबिल लोग जो इस सरकार के कोप-भाजन हो गये हैं दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिये गये हैं। मैं लोगों का नाम तो नहीं लूंगा किन्तु कितने ही आज ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में सहकार्य किया और सभी प्रकार के कार्य किये हैं और जिन्होंने उनकी मदद की है उन्हें प्रमोट किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को जानते हैं। इस बात को प्रशासक वर्ग के कितने ही लोगों ने मुझसे कहा है और स्वीकार किया है। जब वह घटना हमारे सामने आती है तो सर लज्जा से झुक जाता है। क्यों आप उनको प्रश्रय देते जा रहे हैं? जब तक आप इस चीज को प्रश्रय देंगे आपका प्रशासन चल नहीं सकता। प्रशासन में ढिलाई के सैकड़ों उदाहरण हैं। जो सैकड़ों जुर्म आज बढ़ रहे हैं वह सभी आपके प्रशासन की ढिलाई के ही कारण बढ़ रहे हैं। आपके पुलिस विभाग में जो कुत्ते पाले गये हैं उनकी परफार्मेन्स को आप देखें और आप अपने ट्रेन्ड पुलिस कर्मचारियों की परफार्मेन्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि कुत्तों ने ७१ प्रतिशत चोरों को पकड़ने में सहायता की है जब कि आपके अधिकारियों ने क्या परफार्मेन्स की है उसको आप देखें। दोनों के आंकड़े आपको देखने चाहिये। उससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रशासन में कितनी ढिलाई है।

श्रीमन्, योजना का बड़ा हल्ला मचाया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी आये दिन योजना का नारा देते हैं और उस दिन टैक्स के बारे में कुछ कहते हुये बड़े जोश के साथ कह गये कि योजना के लिये टैक्स दो। टैक्स देने में किसी को एतराज नहीं है परन्तु किस योजना के लिये हम टैक्स दें? मेरे पास इसी योजना की एक जुलाई, १९६० की किताब है उसमें साफ स्वीकार किया गया है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के क्रम में उत्तर प्रदेश की आय कम हुई है। आप योजना बनाते हैं किसके लिये, किस काम के लिये? उसमें लिखा है कि १९५०–५१ में उत्तर प्रदेश की आय जो १८·४ प्रति सैकड़ा थी यह गत दो वर्षों में १६.० प्रति सैकड़ा से कम हो गयी जिसके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—इसका अर्थ समझ लीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैंने हिन्दी में पढ़ा है अगर आप हिन्दी न जानते हों तो मैं इसका दूसरी भाषा में अर्थ कर दूं। इसमें लिखा है कि १९५०–५१ से १९५८–५९ के बीच उत्तर प्रदेश की आय और जनसंख्या में वृद्धि समान गति से रही। दूसरी बात यह कही गयी है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय १९५०–५१ में २५८·२६ और १९५८–५९ में २५९.० रुपये के बीच समान रही। इसी में यह भी लिखा है कि जब कि प्रथम आयोजना के आरम्भ में प्रति व्यक्ति अखिल भारतीय आय ४.९ प्रतिशत अधिक रही, १९५८–५९ में हमारे यहां की आय १२ प्रतिशत कम हो गयी। जब आपका प्लान आरम्भ हुआ तब आल इन्डिया लेविल पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा रही यह खुशी की बात है। प्लान बनी, खुशहाली की योजना बनी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वरदान दिया कि १२ परसेंट आय घट गयी। यह आपकी खुशहाली की योजना का वरदान है। यह अभिशाप है इस प्रान्त के लिये। आप पावर्टी लेविल के आंकड़े ले लें। जिनकी ५० रुपये आमदनी है उस लेविल के आंकड़े इस प्रदेश के ४१० हैं और हमारा निकट प्रतिद्वन्दी राजस्थान है जिसके आंकड़े ४०५ हैं। वहां बालू है, अत्यधिक बैकवर्ड एरिया है और वह भी हमारे उत्तर प्रदेश से पावर्टी में थोड़ा ही आगे है। यानी हमारे यहां पुअरर संख्या ज्यादा है। उसके बाद जिनकी आय १०० रुपया है उनका आंकड़ा राजस्थान में १२१ और उत्तर प्रदेश में १२० है। जिनकी आय १५० रुपया है उसके आंकड़े राजस्थान में १२४ और यहां १२० हैं। जिनकी आय ३०० से ऊपर है उसमें हमारी पोजीशन ९४ और राजस्थान की ९१ है। आश्चर्यजनक इनका विकास है और आश्चर्यजनक इनकी योजनाएं हैं। यह सारा किस

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

लिए? क्योंकि इनकी योजना गलत है। योजना के ऊपर पैसा अंधाधुंध फूंका गया है और उसके पीछे न तो कोई कोहेशन है, न थाट है, न एग्जिक्यूशन है।

श्रीमन्, इन्हीं के बजट में देखिये। जो योजना हमारे प्रदेश में फेल हुई है उसका मैं कारण देता हूं। प्लान्ड इकोनामी का मतलब यह है कि टैक्सेशन का अत्यधिक पैसा प्रोडक्टिव कार्य में खर्च हो जिससे प्रोडक्शन बढ़े। क्योंकि उत्पादन की वृद्धि होगी तो बेकारी न रहे और उत्तर प्रदेश में क्या है? इनका सब से अधिक खर्चा सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर २,२३५·८५ रुपये है जबकि यह सब से कम इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रदेश है, सब से गरीब प्रदेश है और उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा अनप्रोडक्टिव होता है और सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में ८०० है जबकि बम्बई उसके अन्दर आता है। वेस्ट बंगाल में ६५८, गुजरात में ४३८। तो श्रीमन्, यह गरीब क्यों न होंगे। इनका सारा टैक्स का पैसा गरीबों की कमाई का पैसा सिविल प्रशासन पर खर्च हो जाता है। यह आंकड़े इन्हीं के देता हूं। आखिर हम विकास के लिये पैसा देते हैं। मुख्य मंत्री जो विकास का नारा लगाते हैं और एक स्वर्णिम चित्र और स्वर्णिम कल्पना खड़ी की जाती है कि आज भूखे मरो, कल आसमान में जाकर खाना।

इंजीनियरिंग एक जीती-जागती मिसाल है। किसी देश के बनाने में, उसके उद्योग के विकास में इंजीनियरिंग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं कि जब ३० मार्च को अंधा-धुंध पैसा फूंका जाता है सदन से बराबर आवाज उठ चुकी है कि अगर यह ३० मार्च को खर्चे वाला हिसाब रोका नहीं गया तो बड़ी हानि होगी फिर भी ३७ प्रतिशत बचत हुई ५७-५८ में।

समाज कल्याण विभाग क्या समाज का कल्याण कर रहा है, मैं नहीं समझ पाया। केवल कुछ भाषण देने वाले रख देते हैं और जैसा कि गेंदासिंह जी ने एक बार कहा था समाज कल्याण के वर्कर्स ऐसे लोग रखे गये जिनके लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी गयी और जो घोर अशिक्षित लोग हैं वह उसमें चल सकें। केवल पार्टी निपोटिज्म है और कुछ नहीं। ६४ प्रतिशत बचत हुई पैसा खर्च नहीं हुआ या लैप्स हो गया।

आप औद्योगिक विकास को लें। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने और जहां तक मुझे याद है भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषणों में कहा था कि अगर यू० पी० का इन्डस्ट्रियलाइ-जेशन नहीं हुआ तो यू० पी० मर जायगा। उसी विभाग में क्या तमाशा है? जितना पैसा स्वीकार किया गया उसमें ९१ परसेन्ट की बचत हुई। माननीय शर्मा जी ने उस दिन कोआपरेटिव विभाग के सम्बन्ध में कहा था कि ६ करोड़ बच गया सैंक्शंड एमाउन्ट में से। आप मजदूरों के विकास को भी देखें। कांग्रेस सरकार कहती है कि वह किसान मजदूरों की बड़ी संरक्षक है। और "राजा" शब्द से तो माननीय राजस्व मंत्री ऐसा भड़कते हैं कि पेट ही खोलकर दिखाते हैं। ५८–५९ में जितना पैसा मजदूरों के लिये रखा गया उस में २७·७ प्रतिशत की बचत हुई। सिंचाई के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री जी कहते हैं कि गांव का विकास करते हैं, साधन जुटाते हैं, लेकिन क्या समय पर वह साधन मिलता है? क्या वह साधन इतना सस्ता है कि सबको पर्याप्त मात्रा में मिल सके? नहीं मिलता है। इस मद में भी २९·८ प्रतिशत की बचत हुई। माननीय चरणसिंह जी के कृषि विभाग में ३७ प्रतिशत की बचत हुई। इसके विपरीत खर्चा किसमें ज्यादा हुआ? अत्यधिक खर्चा हुआ पुलिस विभाग में जोकि डंडा विभाग है, जिसके बल पर ये शासन-सूत्र चलाते हैं। उसमें सैंक्शन्ड एमाउन्ट से ज्यादा खर्चा कर दिया। यह इस बात का द्योतक है कि यह सब केवल एक राजनीतिक प्रोपेगंडा का साधन मात्र है। इनका सारा प्लान का दृष्टिकोण टैक्सेशन का है। इनकी पालिसी यह है कि इतना अधिक टैक्सेशन लगावें कि जनता की कमर टूट जाय और उसका ध्यान ही इनकी ओर न जाय और ये जो चाहें सो करते रहें। उसी पालिसी से प्रेरित होकर यह सरकार सारा कार्य कर रही है।

मैं नहीं जानता कि सरकार लगान में क्या वृद्धि करने जा रही है, लेकिन जो मेरी सूचना है वह रखना चाहता हूं, अगर मेरी सूचना गलत होगी तो माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि गलत

है। लगान के ऊपर इनका जो प्रस्तावित विधेयक आ रहा है उसमें देखें कि क्या तमाशा है। लगान की जो व्यवस्था है वह यह है कि भूमिधरों के ऊपर कैपिटल वैल्यू फिफ्टी टाइम्स आफ रेन्ट करके उसमें रेमिशन भी देंगे। उसमें लिखा हुआ है नाट मोर दैन थ्री टाइम्स, अगर आप हिसाब लगायें तो आपको मालूम होगा कि वह कितना आता है। अगर किसी का लैन्ड रेंट १०० रुपया है तो उसकी कैपिटिलाइज्ड वेल्यू हुई ५ हजार रुपया। इस पर ढाई प्रतिशत लैन्ड रेवेन्यू बढ़ा वह हो गया १२५ रुपया। कुल मिला कर वह हुआ २२५ रुपया। इस पर आप रेमिशन देते हैं ७५ रुपया। यानी उसका लगान हो गया १५० रुपया। यह लगान भूमिधरों का है जिनमें अधिकतर एक्स-जमींदार हैं। इसके अलावा उनमें वह लोग भी हैं जिनसे आपने १० गुना लगान लेकर उनसे यह वायदा किया है कि ४० वर्ष तक उनके ऊपर कोई लगान नहीं बढ़ाया जायगा। कहा जाता है कि राज्य सरकार की साख उसके बचनों से होती है, लेकिन ये अपना बचन भी तोड़ने जा रहे हैं। और सीरदारों के साथ आप क्या कर रहे हैं? उनके रेंट की ३० गुनी कैपिटेलाइज्ड वेल्यू हुई ३ हजार रुपया जिस पर ढाई प्रतिशत हुआ ७५ रुपया ....

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने टेक्सेशन के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया है तो हमारे विरोधी दल के नेता किस आधार पर उसका जिक्र कर रहे हैं?

श्री यादवेन्द्रदत्त---यह मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूं। अगर गलत हो तो माननीय मुख्य मंत्री कह दें कि वह गलत है।

मैं यह कह रहा था कि ३ हजार का ढाई प्रतिशत हुआ ७५ रुपया अब उसका रेंट हो गया १७५ रुपया, इसमें से उसको २५ रुपया रेमीशन मिल गया। यानी उसको भी १५० रुपया देना होगा। हमारे प्रदेश के ७० प्रतिशत किसान सीरदार हैं और जिनकी होल्डिंग अधिकतर अनएकोनामिक होल्डिंग्स हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के डाक्टर बलजीतसिंह की एक पुस्तिका है अखबारों के आधार पर कहता हूं कदाचित् उनको यह सरकार प्लानिंग कमीशन में भी नियुक्त कर रही है। उन्होंने लिखा है---

"Forty-five per cent of the total village population subsists on a family expenditure of less than Rs. 50 per month. They may be regarded as living below the poverty line. Another half of the total population has roughly a monthly expenditure of Rs. 50 to 150 and these may be able to meet their needs at the minimum human subsistence standards and may be regarded to be living with certain modicum of comforts."

यानी जो चपरासी की तनख्वाह है उसके बराबर सीरदार की आमदनी है। ५० रुपये से लेकर १२ सौ तक का जो सीरदार है उसके पास १ एकड़ से लेकर २ और ३ एकड़ तक जमीन है। उसको आप २५ रुपया रेमीशन दे रहे हैं और भूमिधर को आप रेमीशन दे रहे हैं ७५ रुपया जिनमें अधिकतर एक्स-जमींदार लोग हैं।

श्री देवदत्त मिश्र---श्रीमन्, आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष---उनको कुछ सूचना मिली है उसी के आधार पर वे कह रहे हैं। टैक्सेशन हो रहा है यह तो माना ही जाता है। वे कह रहे हैं कि यह उनकी सूचना है।

एक सदस्य---श्रीमन्, उनका समय समाप्त हो गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैं देखता हूं कि मेरे कुछ मित्रों को बुरा लग रहा है। यहां सरकार की ओर से किसानों का नारा लगाया जाता है, उनकी भलाई की दुहाई दी जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष में उनके ऊपर कर लगा कर उनके गले को काटा जा रहा है।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि जब कि हमारे प्रदेश की जनता की आमदनी गिर रही है, हमारी गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसके ऊपर अगर आप टैक्स लगाते हैं तो हमें मजबूर होकर उसका विरोध करना पड़ेगा और विरोध करने के लिये जो कुछ हमें करना पड़ेगा वह हम करेंगे ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे १० मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष—५ मिनट आप और ले लें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मुझे दो बातें और कहनी हैं इसलिये १० मिनट और देने की कृपा करें।

श्रीमन्, मैं यह भी जानता हूं कि उधर के बैठने वालों में भी बहुत से ऐसे हैं जिनके हृदय में किसानों के हित का वास्तव में खयाल है, केवल जबान से नहीं है। पार्टी अनुशासन की वजह से आज उनकी जबान बन्द है, लेकिन मैं जानता हूं कि समय आने पर वे किसानों के हित के लिये बराबर पार्टी से बाहर आकर लड़ेंगे। यह सब इसलिये हो रहा है कि हम प्लान को फाइनेन्स करें।

श्रीमन्, इकोनामी की बात बहुत कही जाती है। अभी कमिश्नरों, कलेक्टरों और प्रशासकों की जो कान्फ्रेंस हुई थी उसमें उनकी तरफ से सुझाव आया कि आपके बजट में ५ करोड़ रुपये की इकोनामी हो सकती है और इस तरह से १३ करोड़ के घाटे में उतनी कमी हो सकती है, क्या आपने आज तक अपने बजट में ५ करोड़ रुपये की इकोनामी की ? बात तो आप इकोनामी की बहुत करते हैं ताकि जनता के अन्दर आपके प्रति रोष न पैदा हो और इसीलिये आपने लगान में भी रेमिशन की बात रखी है ताकि आपकी बातों से जनता गुमराह हो जाय। इसकी क्या गारन्टी है कि जैसे आपने सिंचाई के रेमिशन को वापस ले लिया वैसे ही लगान के भी रेमिशन को वापस नहीं ले लेंगे ? यदि आप लगान के रेमिशन को वापस ले लेंगे तो इस तरह से लगान १२५ परसेंट बढ़ जायगा।

श्रीमन्, मैं दूर जाने की बात छोड़ता हूं। सरकार का टैक्स ही इतना बाकी है कि अगर वह अपने टैक्स को ईमानदारी से वसूल कर ले और तमाम उसके अधिकारी इसमें मदद करें तो ५ करोड़ बजट में बचत हो जाय, उसका ४ करोड़ रुपया टैक्स का वसूल हो जाय और ६ करोड़ रुपया शुगर सेस का वसूल हो जाय तो उससे प्रदेश का घाटा पूरा हो जाय और उसे कोई घाटा ही न हो। लेकिन ऐसा न करके विकास के नाम पर किसानों की टांग तोड़ना अनुचित है।

एक बात मुझे और कहनी है। इस प्रदेश में हरिजनों के लिये मुख्य मंत्री ने बहुत कुछ किया है ऐसा नारा लगता है, परन्तु वास्तव में हरिजनों के साथ उन्होंने क्या किया है ? सर्विसेज में जो १८ परसेंट देना चाहिये वह भी आज तक उन्होंने नहीं दिया। उनके पास जो उद्योग थे, जिस पर उनका जीवन निर्भर करता था उसे भी आप उनको नहीं दे रहे हैं। आप उनको पराश्रित न बना कर उनको आगे बढ़ने का अवसर दीजिये। ऐसा न हो कि भिखमंगों की तरह से वे पराश्रित हो जायं। मैं आपको यह भी बतला दूं कि कहा तो यह जाता है कि यह प्लान किसानों के हित के लिये है, लेकिन जिस समय प्लान नहीं था उस समय भी यहां किसानों की स्थिति अच्छी थी। माननीय मुख्य मंत्री ने ईस्टर्न य० पी० की चर्चा की थी। मुझे बड़ा दुख है कि मुख्य मंत्री जी के लिये जसे पूरब है वैसे ही पश्चिम होना चाहिये। पूरब और पश्चिम की बात खड़ी करके इस तरह का कोई झगड़ा उन्हें नहीं खड़ा करना चाहिये।

श्रीमन्, १९०१ में गोरखपुर जिले में ६२.३ परसेंट पापुलेशन कृषि पर निर्भर थी जबकि कोई प्लान नहीं था और ५० वर्ष के बाद सन् १९५१ में जब कि आपका शासन था कृषि पर निर्भर लोग ८५.७ हो गये। श्रीमन्, किसी भी देश का जब पतन होता है उसका साइन यही है कि अधिक

से अधिक लोग वहां के कृषि पर निर्भर होते चले जाते हैं। इस तरह से सारे उद्योग नष्ट हो जाते हैं। कृषि आगे बढ़ नहीं सकती और लोग बेकार होते जाते हैं। फ्रैगमेंटेशन होता गया और कृषि नष्ट होती गयी। सारे पूर्वी जिलों के आंकड़े लिये जायं गोरखपुर से लेकर बाराबंकी तक सब जगह यही दिखलायी देता है कि जीवन निर्वाह के अन्यान्य साधन नष्ट होते गये और लोग कृषि में जाते गये। इसका फल यह हुआ कि योजना बनाते वक्त जहां बेकारों की संख्या कम थी वहां योजना समाप्त होते-होते बेकारों की संख्या और बढ़ जायेगी यह आपने स्वयं माना है। तो कैसे हम अपनी योजना को सही मानें ? आज जब कि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गयी है, लोगों के पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है जिससे वे आधे पेट रह कर अपना जीवन निर्वाह करते ? फिर आप कहें कि किसानों की आमदनी बढ़ गयी है क्योंकि गल्ला महंगा हो गया है इसलिये उनसे अधिक टैक्स लेना चाहिये उचित नहीं है। एक बात आप भूल जाते हैं कि ८० परसेंट किसान ऐसे हैं जिनके पास मार्केटेबिल सरप्लस नहीं है और उनको इस महंगाई से कोई लाभ नहीं होता। मैं समझता हूं कि एक तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ी और दूसरी तरफ उसे कपड़े के लिये ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। जीवन की हर आवश्यक सामग्री के लिये अधिक दाम देने पड़ते हैं। आज हमारे प्रशासन के अकौशल्य के कारण और इनके प्रशासन न करने की पात्रता के कारण आज प्रदेश ऐसी स्थिति में है कि हमारी दरिद्रता और दुख बढ़ते जा रहे हैं और उस पर यह टैक्स लगायेंगे उस विकास के लिये जो मिथ्या है जिसके करने में यह असफल रहे, योजना गलत रही और प्रदेश की और दुर्दशा करें और हमारी स्थिति पर टैक्स लगायेंगे सारा डेफिसिट इनफ्लेशन बढ़ाकर, महंगाई बढ़ा कर हमारी स्थिति च्यांगकाई शेक की सी न हो जाय जिसमें आर्थिक और महंगाई के ढांचे के नीचे हम पिस जायं और हमारा सारा आर्थिक ढांचा नष्ट हो जाय।

मुझे क्रामवेल के वह शब्द याद आते हैं जो उसने लांग पार्लियामेन्ट के लिये कहे थे--

"You have sat too long for any good that you might have been doing. Depart I say and let's be done with you. Go for God sake go."

इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है। इस दृष्टि से मैंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है और विश्वास है कि उधर के लोग जो वास्तव में प्रदेश का हित दिल में रखते हैं वे इस प्रस्ताव पर पार्टीगत भावनाओं से ऊपर उठ कर विचार करेंगे और अपनी सहमति देंगे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में मुझे आपके सामने कुछ निवेदन करना है और यह आशा करता हूं कि माननीय सदस्य उस पर विचार करेंगे।

(इस समय १ बजकर ५० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

एक प्रमुख बात इस अविश्वास के प्रस्ताव में कही गई जो योजना के सम्बन्ध में है। जितनी बातें इस प्रस्ताव में कही गई हैं उन पर इस सदन में काफी विचार हो चुका है, बजट सेशन से लेकर अब तक। कल एक बात सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने कही थी वह मुझे याद है कि इस प्रस्ताव को जल्दी इस सदन में आना चाहिये क्योंकि उनको यह सरकार बदलनी है जो उनके सामने बैठी हुई है। इस सम्बन्ध में मुझे आपके माध्यम से यह कहना है कि कांग्रेस की सरकार, जिसने देश में नियोजन के नाम पर गरीबी,भुखमरी, अशिक्षा और बेकारी को दूर करने का बराबर प्रयत्न किया है जिस सरकार ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में देश की इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल किया है, जिस सरकार ने इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज, समुद्री जहाज का निर्माण किया है, जिस सरकार ने इस देश में भाखरा-नांगल ऐसे विद्युतीकरण बड़े-बड़े साधनों का प्रबन्ध किया है, जिसने देश की गरीबी को दूर करने के लिये ४० करोड़ इंसानों को रोटी देने के सवाल को हल करने का प्रबन्ध किया है, अगर वह सरकार आज अविश्वास की पात्र है तो आप बनायेंगे कौन-सी सरकार ? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं

[श्री जे० पी० मिश्र]

आती कि ६, ६ पार्टियों का यह संगठन जिसमें राजे-रजवाड़े, ताल्लुकेदार, सोशलिस्ट, प्रजासोशलिस्ट, कम्युनिस्ट कहलाने वाले तमाम साथी सम्मिलित हैं यह कैसे सरकार बनायेंगे ? स्वतंत्र पार्टी जो योजना में विश्वास नहीं करती, जनसंघ की योजना अभी नेता विरोधी दल ने कही, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी यह संस्थायें योजना का ऊपर से चोला पहने हुए हैं लेकिन अन्दर योजना को सेबोटाज करने का कार्यक्रम है। हर वक्त मजदूरी की मांग, आधे लगान की मांग, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी, निम्न श्रेणी की मांग करते हैं। दूसरी तरफ खर्चा बढ़ाने की बात करते हैं और जो करोड़ों रुपया योजना में लगा हुआ है उसका विरोध करते हैं।

राजे, रजवाड़े तो नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी कोठियां तो अभी पुरानी भरी हुई हैं उनमें कुछ थोड़ी कमियां हो गई हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथी अगर यह न समझ सकें तो मुझे अफसोस होगा।

एक बात मुझे कहना है कि प्रगतिशील इंसानों, और कांग्रेस की प्रगतिशील सरकार को बदलने के बाद आप क्या करने वाले हैं और आप में से कौन मुख्य मंत्री बनने वाला है। क्या मुख्य मंत्री उस किस्म के लोगों को बनाना है जिन्होंने किसानों के खून को चूस कर इलाके बनाये ? इस प्रगतिशील कांग्रेस की सरकार ने जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों को बेदखल किया। भय, आतंक और धर्म के नाम पर चुने हुये इंसान आज अगर यह दावा करें कि इन प्रगतिशील इंसानों के मुकाबले में जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई, जिन्होंने देश का नवनिर्माण करने के लिये कार्यक्रम बनाया, जिन्होंने देश की गरीबी, भुखमरी दूर करने के लिये आर्थिक योजना पेश की और कुछ कर दिखायेंगे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार प्रकट किये हैं योजना के बारे में, यह नियोजित योजना बनाई किसने है ? इस योजना में भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के वर्तमान नेताओं ने, जो दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठे थे, इस योजना का निर्माण किया है और उसके समर्थन में अपने वोट दिये हैं। मुझे अफसोस है कि उनके बड़ों ने जो योजना बनाई और देश के सामने रखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान् पुरुष के नेतृत्व में देश के आर्थिक एक्सपर्ट्स ने, अनुसंधान करने वाली संस्थाओं ने और बहुत से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनायें देश के सामने प्रस्तुत कीं। आज जब कि तीसरी योजना का एक साल गुजर गया है उस योजना के सम्बन्ध में इस प्रदेश की असेम्बली में यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है तो यह उन एल्डर्स पर अविश्वास है जिनको चुनकर आपने वहां भेजा है, उनके फैसले के खिलाफ आप बगावत करना चाहते हैं। असलियत में आप के इस प्रस्ताव के पीछे कुछ मकसद छिपा हुआ है और वह मकसद यह है कि आप इस योजना को सेबोटेज करना चाहते हैं।

मैं विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों को यह भी बतला देना चाहता हूं कि जमींदारों, ताल्लुकेदारों तथा उनके मुख्तारों के आतंक, भय और ताकत के डर से ये कुर्सियां खाली होने वाली नहीं हैं न आप खाली करवा पायेंगे। यह स्वप्न है आपका। पूंजीवादी होने का इल्जाम, पैसा खाने का इल्जाम, जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का इल्जाम—सारे इल्जाम इस तरफ हैं और आप सब कोरे हैं। [× × ×]

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—इस सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो प्रश्न अदालत में विचाराधीन हो क्या उसका जिक्र यहां माननीय सदस्य कर सकते हैं ?

[× × ×] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री जे० पी० मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना मैंने अखबार में पढ़ा है उतना कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी उन्होंने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में कोई बात नहीं कही ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ आर्डर । माननीय मिश्रजी ने जो कहा वह यह कहा कि माननीय जयपुरिया की पेटीशन पढ़िये, उसमें इस बेंच पर बैठने वालों के विरुद्ध हजारों रुपये लेने का चार्ज है । मैं समझता हूं कि यह चार्ज आज जज के अधीन है । यह हो सकता है कि वह चार्ज बिल्कुल झूठा साबित हो । इसलिये यह बिलकुल अनुचित है कि इस प्रकार की चर्चा इस सदन में की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—अगर ये शब्द उन्होंने कहे हैं तो वह निकाल दिये जायेंगे ।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—श्रीमन्, मेरा भी एक प्वाइंट आफ आर्डर है । माननीय गेंदासिंह जी ने जो कुछ फरमाया, मिश्र जी ने अपना कोई कमेन्ट इस बात पर नहीं किया कि जयपुरिया जी ने सही किया या गलत किया । उन्होंने तो खाली इस बात का जिक्र किया कि जयपुरिया जी ने एक पेटीशन दायर किया है जिसमें यह लिखा हुआ है । उन्होंने पेटीशन को मेरिट्स और डिमेरिट्स पर कोई कमेन्ट नहीं किया ।

श्री कल्पनार्थासिंह—यह भी एक प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—पहले उनको कहने दीजिये ।

श्री राममूर्ति—जो भी आपका फैसला हो उससे हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन जरा यह सोचिये कि जब उन्होंने कोई कमेन्ट नहीं किया, खाली पढ़ कर सुनाया, यह कोई खिलाफ बात नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने थोड़ा-सा कुछ ऐसा कहा था जिसको मैं समझता हूं निकाल देना ही ठीक है । उसके बारे में अब ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है ।

श्री जे० पी० मिश्र—मैं यह कह रहा था कि यह अविश्वास का प्रस्ताव जो इस विरोधी दल की तरफ से आया है बिल्कुल थोथा है, उसके पीछे कोई दलील नहीं है, कोई मजबूती नहीं है, अपने-अपने मकसद की पूर्ति के लिये प्रस्ताव लाया गया है ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् । अभी-अभी मिश्र जी के भाषण के बारे में जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय गेंदासिंह जी ने उठाया और कहा कि मिश्र जी ने यह कहा उसी पर माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी प्वाइंट आफ आर्डर उठाया और कहा कि मिश्र जी ने वैसा कुछ नहीं कहा । तो इससे मालूम होता है कि जो यहां रिपोर्ट लिखी जाती है उस पर कोई विश्वास नहीं है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—मैंने यह कह दिया कि वह निकाल दिया जायगा । अब आप बिराजिये ।

श्री जे० पी० मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जितना समय इन्होंने खराब किया है उतना आप देने की मेहरबानी करेंगे । मुझे यह कहना है कि स्वतंत्र पार्टी, जिसके नेता आपके सामने तोंद फुलाये बैठे हैं, वह योजना पर विश्वास नहीं करती । वह चाहते हैं कि देश में गरीबी बनी रहे ताकि उनको मजदूर सस्ता मिले, उनको बेगार करने लिये हलवाहा मिले । हजार एकड़ जमीन से भी उनका पेट नहीं भरता, और चाहिये । उनका तो योजना और कांग्रेस के खिलाफ होना स्वाभाविक है ।

[श्री जे० पी० मिश्र]

दूसरी बात । माननीय नेता विरोधी दल जिस जमात से आये हैं, हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तानी का नारा लगा कर, इनके हाथ अगर शासन सुपुर्द कर दिया गया तो देश में अराजकता और अशान्ति का बोलबाला हो जायगा, क्योंकि इन्होंने तो धर्म के नाम पर ठेका लिखाया है । धमकी और भय दिखा कर बड़े-बड़े ताल्लुकेदार, राजा, रजवाड़े और इनके कारिन्दे, सब इकट्ठा हो गये। पूरी फौज ले कर आये हैं । यह हिन्दुस्तान के हिटलर की फौज खड़ी है ।

अब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सुनिये । इनके पास कोई सिद्धान्त नहीं है । इनका सिद्धान्त केवल इतना है कि कांग्रेस जो कहे उसके खिलाफ ये बोलेंगे । सोशलिस्ट पार्टी एक तरफ मुर्दाबाद, जिन्दाबाद के नारे लगाती है और कहीं हिन्दी लाओ और अंग्रेजी हटाओ का आन्दोलन करती है । इन कामों के सिवाय इसका और कोई प्रोग्राम नहीं है । कम्युनिस्ट पार्टी, आप भी सुन लीजिये अगर चीन हमला करे हिन्दुस्तान पर तो आप खामोश रहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके देश की सम्पत्ति को चीन ले जाय ? आपका स्वतंत्र दल के नेता के साथ गठबंधन है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आंकड़े का जवाब तो सरकार देगी । मैं तो बिना आंकड़े का जवाब दे रहा हूं । इस प्रस्ताव के पीछे कोई ठोस दलील नहीं है । आपके पास थोथी दलीलें हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं है । आप जनता के साथ जो अविश्वास कर रहे हैं उसको मैं सामने लाना चाहता था, लेकिन लाऊंगा नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

***श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के समक्ष उपस्थित है वह मिश्र जी की चुटकलेबाजी से हटाया नहीं जा सकता है । यह बड़ा अहम प्रस्ताव है और हमें इस बात पर विचार करना है कि यह सरकार आया जनता के हित में कार्य करने वाली है या जनहित के विरुद्ध कार्य करने वाली है । श्रीमन्, मैं भी आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि मैंने माननीय पंडित जवाहर लाल जी की किताब १९३६ में पढ़ी थी । पंडित जी ने लिखा है कि जो सरकार जनता का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण करती हो उस सरकार को फेंक देना चाहिये । आप और हम दोनों प्रतिज्ञा करते थे कि जो सरकार जनता का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण करे उसे हटा देना चाहिये, गिरा देना चाहिये, भगा देना चाहिये ।

अब आप विचारें कि जब से कांग्रेस राज्य देश में आया है तबसे इस देश की हालत क्या हो गई है । योजनायें बहुत बनती हैं इस सरकार की नेहरू और गुप्ता जी की सरकार की और यदि आप इसको गिरा नहीं देंगे तो इसी तरह से बनती रहेंगी । आज जो पहले अपने बच्चे को दो जूते पहनाते थे क्या वे आज एक चप्पल भी पहना पाते हैं ? आज हमारे राज्य में हमारी मातायें, बहिनें, दूध की बात छोड़िये, दवा की छोड़िये, आज गोरखपुर जिले में गेठिया जैसी चीज के लिये तरस कर मरती हैं । वहां पर छोटे-छोटे जानवर भी नहीं मिलते हैं जिसे खाकर अपना पेट पालें । गुप्ता जी के राज्य में हमने ४९७ करोड़ दिया । क्या इसी लिये दिया कि हमारी मातायें और बहिनें भूखी रहें, हमारी आमदनी २१५ रुपये से घटकर १९३ रुपये पर आ जाय, आज हम दाने-दाने के लिये मोहताज हैं । माताओं को इतना वस्त्र अंग ढकने के लिये नहीं है कि पास-पड़ोस में जा सकें ।

बेकारी का आलम क्या हो रहा है । ८६ लाख बेकार हैं इस प्रदेश में । आप ८६ हजार को भी योजना में काम नहीं दे सकते हैं ? आप कहते हैं कि समाजवादी कौन-सी योजना चाहते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी योजना के बारे में क्या कहती है । समाजवादी दल पंचवर्षीय योजना के आधार को आमूल बदलना चाहता है । यह खपत के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नवीकरण को स्थगित रखेगा और पैदावार के नवीकरण में भी भरसक छोटी मशीन और छोटे उद्योगों का प्रयोग करेगा। छोटे आदमियों के हितों की ओर दल योजना को अभिमुख करेगा। अन्न सेना, साक्षरता सेना, सारे देश में साफ पेय के बम्बे इत्यादि इसके उदाहरण हैं। समाजवादी दल चाहता है कि कर और खर्च नीति में ऐसे परिवर्तन हों जो जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम छोटे आदमियों के लायक बनायें। योजना केवल चीजों के संगठन और विकास की न हो, जैसी आज, बल्कि मानव हित की भी हो। ये मानव हित गैरक्रान्तिकारी सेवक, विकास और उद्धार समाजों से नहीं सधते। समाजवादी दल यह भी मानता है कि निजी पूंजी को समस्या का हल किये बिना और कम से कम बड़े उद्योगों से इसका नाश किये बिना और अन्यत्र भी इसकी आमदनी नियन्त्रित किये बिना भारत का उद्योगीकरण असम्भव है। मगर आज हो क्यों नहीं रहा है। इसलिये नहीं हो रहा है क्योंकि आज एक कमी हो गयी है। इसीलिये उसका फल यह है कि गुप्ता जी की सरकार एक तरफ जुल्म करती है, और दूसरी तरफ विदेशी हमला भी हो रहा है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ना भूल गये। महात्मा गांधी ने हम को जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया था। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ो और हम से कहा कि करो या मरो। आज हम यह भूल गये। आज हम अन्याय के खिलाफ लड़ना भूल गये। जहां छोटे कर्मचारियों ने लड़ना शुरू किया, कानपुर के रेयान के मजदूरों ने लड़ना शुरू किया, जे० के० मिल के मजदूरों ने लड़ना शुरू किया, तो माननीय गुप्ता जी का डंडा बरसने लगता है। माननीय मुख्य मंत्री जी पंखे के नीचे बैठ कर पानदरीबा में मौज ले रहे हैं। मुझको एक उर्दू का शेर याद आ गया ––"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।"

मैं प्रदेश की जनता से कहता हूं कि जो कत्ल करते हैं उनके अन्याय का डट कर मुकाबला करे। जितनी जल्दी प्रदेश की जनता इस सरकार को हटायेगी, उतनी जल्दी हमारे प्रदेश का कल्याण हो सकता है क्योंकि इससे गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती बढ़ेगी। सिंचाई मंत्री बगल में बैठे हैं। "हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता, कौन-कौन गुन बरनों झबरो तोर।" मंत्रिमंडल में तो ५० तक बढ़ा लिये हैं। और सुनते हैं कि पांच और होने वाले हैं। ५५ हो जायेंगे। मगर आपने कभी यह सोचा कि जिनको आपने एक महीने की नोटिस दे दी उनके बच्चे क्या खायेंगे? आपको लगता है कि नीचे का कर्मचारी बड़ा भ्रष्टाचारी है। ठीक है, किसी निम्न कर्मचारी का वेतन उन्होंने नहीं बढ़ाया। मैं पूछता हूं कि किस कानून के अन्दर मुख्य सचिव का वेतन तीन हजार से ३५ सौ कर दिया? अब कहा जाता है कि बोर्ड के मेम्बर बन जायेंगे। आबकारी सचिव, सार्वजनिक निर्माण सचिव, वित्त सचिव––सबको कमिश्नर बना कर उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। यह हैं आपकी योजनाएं। आप इसका जवाब दें। उच्चाधिकारियों की यह वेतनवृद्धि हो रही है और इसी सचिवालय का चपरासी रोकर चला जाता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वह कौन योजना है जिसमें फी व्यक्ति को कम से कम सौ रुपया न मिले? वह योजना कौन जिसमें ऊंची तनख्वाहें इतनी बढ़े? कोई मंत्री जी बता सकता है कि आज उस पर ५ हजार रुपया महीना खर्च नहीं होता है? ५ हजार रुपया बड़े मंत्रियों पर खर्च होता है और ४ हजार रुपया छोटे मंत्रियों पर। इसी तरह अफसरों पर खर्च होता है। एयर कंडीशन लगा हुआ है। फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते हैं। यह योजना है। जहां पर कुनबापरस्ती और जातिवाद का प्रश्न है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। [× × ×]

यही योजना है। मैं आज पूछना चाहता हूं .....

श्री बनारसी दास––एक प्वाइंट आफ आर्डर में पेश करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २८६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री उग्रसेन––श्रीमन्, मेरे समय का खयाल रखें।

[× × ×] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री बनारसी दास—माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत आक्षेप किया है। जो सदस्यों के लिये आचरण संबंधी नियम है उसमें यह ह कि कोई अपने भाषण में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर सकता और उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप एक माननीय मंत्री के विरुद्ध जो किया है मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह ब्रोच आफ प्रिविलेज है। (व्यवधान) मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं नियम २८६ की ओर, जिसमें यह है कि किसी सदस्य के बोलते समय कोई सदस्य अशान्ति या डिस्टरबेंन्स नहीं पैदा करेगा। माननीय उग्रसेन जी बराबर नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं और डिस्टरबेंस कर रहे हैं। मैंने आपका ध्यान व्यवस्था के प्रश्न की ओर आकर्षित किया है। जब तक आप व्यवस्था न दें, नियम के अनुसार माननीय उग्रसेन जी को शोर मचाने का और अशान्ति उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि आप अपनी व्यवस्था दें प्वाइंट आफ आर्डर पर मैं जरा एक निवेदन कर दूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह अगर दस आदमी एक साथ बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस नियम का हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें सदस्य की बात कही गयी है। माननीय उग्रसेन जी ने जो बात कही है वह मंत्री जी के लिए कही है और व्यक्तिगत आक्षेप का प्रश्न इसमें नहीं आया है। आप उस धारा को देखें उसमें साफ लिखा हुआ है कि मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों का हवाला तो दिया जा सकता है लेकिन श्रीमन्, किसी व्यक्ति के ऊपर किसी माननीय सदस्य के व्यक्तिगत आचरण पर, उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर लांछन नहीं लगाया जा सकता।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, हम इसका ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—तो जो आपको आक्षेप लगाया गया है, वह ठीक नहीं था। इसलिए आइन्दा से कोई ऐसी बात न हो।

श्री बनारसीदास—यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायं और माननीय उग्रसेन जी क्षमा मांगें।

श्री उपाध्यक्ष—यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, आपने व्यवस्था दे दी। उसके बाद अब कार्यवाही से निकालने और क्षमा मांगने का कोई प्रश्न नहीं उठता। नियम के अन्तर्गत जब यह कमेन्ट्स किये जा सकते हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है तो उसके बाद.....

श्री उपाध्यक्ष—देखिए, मिनिस्टर भी एक सदस्य है और सदस्य के खिलाफ परसनल कोई जिक्र नहीं किया जा सकता। आप गवर्नमेंट के मामले में कितना ही जिक्र करें वह दूसरी चीज होती है। इसलिए जो बिलकुल परसनल बातें हैं वह निकाल दी जायेंगी।

श्री राममूर्ति—उपाध्यक्ष जी, मेरी आदत कभी बीच में बोलने की नहीं है, न मैं कभी किसी को डिस्टर्ब करता हूं और ऐसी बातों से मैं भड़कता भी नहीं हूं। लेकिन माननीय उग्रसेन जी मेरे बहुत पुराने साथी है। उनकी इत्तला के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एक बेमकान आदमी हूं। मेरे पास अपना बनवाया हुआ कोई मकान नहीं है। बुजुर्गों का बनवाया हुआ मकान है जिसमें मैंने एक ईंट भी नहीं लगवायी है। (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं लेना चाहता हूं। पार्लियामेंट में वारेन हेस्टिंग्ज का जब इम्पीचमेंट हुआ था उस समय जिस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की गई थी उस प्रकार की शब्दावली माननीय उग्रसेन जी के मुख से निकले तो वह संसदीय माननी चाहिए, उसके बाहर जाने पर वह असंसदीय माननी चाहिए।

श्री उग्रसेन——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राममूर्त्ति जी से पूछना चाहता हूं कि के० सी० मित्र को इंजीनियर इन चीफ क्यों बनाया गया ? सभी प्रदेशों में चाहे वह मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो किसी भी प्रदेश में सिर्फ एक चीफ इंजीनियर होता है। कहीं पर भी इंजीनियर इन चीफ नहीं है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में के० सी० मित्रा को इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है जिनके विरुद्ध इसी सदन में बहुत सी बातें पेश की गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं की उतना काम क्यों नहीं बढ़ाया गया ? यदि इसी तरह से काम को भी बढ़ाया जाता और जनता को लाभ पहुंचाया होता तो हम समझते कि लाभ हो रहा है मगर इस प्रकार से प्रदेश का पैसा अपव्यय करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

इसी तरह से मैं पूछना चाहता हूं कि नेपाल बांध क्यों नही बनाया गया ? उसको सिंचाई मंत्री ने बनने नहीं दिया। ५० हजार लोग देवरिया और गोरखपुर में आज तबाह हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को आशीर्वाद दूंगा अगर वह इस काम को आगे बढायें क्योंकि उनके सिर पर इसकी जिम्मेदारी आती है। अगर इस सरकार ने अपने कन्धों पर शासन की जिम्मेदारी ली है तो आपको खाना देना चाहिये। किसी आदमी को भूखों नहीं मरना चाहिये कोई आदमी बिना कपड़े के नहीं रहना चाहिये। किसी आदमी को प्रदेश की बाढ़ से नहीं बहना चाहिये क्योंकि आज शासन की जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर है।

अब मैं पी० डब्लू० डी० विभाग की बात कहना चाहता हूं। जाने दीजिये आंकड़ों को और जाने दीजिये इस बात को कि आपने अपने मंत्रिमंडल में कितने आदमियों को लिया, मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपने को हरिजनों का बहुत पृष्ठपोषक कहती है। अब जरा २, ३ आंकड़ों को देख लीजिये जो इस सरकार ने हरिजनों के लिये किया है, वह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आंकड़े पी० डब्लू० डी० की रपट से प्राप्त हुए हैं वह मैं आपके सामने रखता हूं और देखिये इस सरकार ने अब तक हरिजनों के लिये क्या किया है और कितने आदमियों को इस विभाग में रखा है। इस विभाग में ओवरसियर कुल १,२२६ हैं और उनमें हरिजन केवल २१ हैं। मिनिस्टरियल स्टाफ के कुल आदमी १,४३८ हैं लेकिन उनमें हरिजन केवल ७१ हैं। चौथी क्लास के कर्मचारी १,०४५ हैं जिनमें हरिजन केवल ३० ही हैं। अब यह भी देखिये कि इस विभाग में सन् १९५७ में ६० आदमियों को हटाया गया जिसमें ४० हरिजन थे। इतनी संख्या में केवल हरिजनों को ही इस विभाग से निकाला गया। दूसरी जाति के लोगों को नहीं निकाला गया।

अब जरा मुलाहिजा फरमाइये कि इस सरकार ने हरिजनों के लिये और क्या किया। परिवहन मंत्री जी का भी प्रेम हरिजनों के लिये देखिये कि वे क्या कर रहे हैं। इस विभाग में टेक्नीकल इन्सपेक्टर कुल ४ हैं जिनमें हरिजन शून्य हैं। रीजनल इन्सपेक्टर कुल १० हैं और जिनमें हरिजन शून्य हैं। असिस्टेंट इन्सपेक्टर कुल १० हैं जिनमें हरिजन शून्य हैं। पब्लिक प्रासिक्यूटर कुल ६ हैं, हरिजन इनमें भी शून्य हैं। ट्रेफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट २९ हैं लेकिन उनमें भी कोई हरिजन नहीं है। यह परिवहन मंत्री का प्रेम हरिजनों के लिये है।

अब सिंचाई विभाग का हरिजनों के लिये क्या प्रेम है वह भी जरा मुलाहिजा फरमाइये। मुख्य मंत्री जी भी हरिजनों के लिये बहुत बातें कहते हैं कि यह कर रहे हैं और वह कर रहे हैं और बड़े-बड़े अफसरों के कैरेक्टर रोल को वह बढ़िया बना देते हैं और गरीबों के कैरेक्टर रोल ठीक कर देते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज कल मुख्य मंत्री जी स्वयं एन्ट्री करते हैं इसके लिये बाद को जरूरत होगी तो बतलाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं सिंचाई मंत्री का प्रेम दिखलाना चाहता हूं कि वह हरिजनों के लिये अपने दिल में क्या रखते हैं। इनके विभाग में ओवरसीयर ८९३ हैं जिनमें हरिजन सिर्फ १ है। जिलेदार सिंचाई विभाग में ३४४ हैं जिनमें हरिजन शून्य। अमीन इनके विभाग में १,२११ हैं जिनमें कोई भी हरिजन नहीं हैं। यह सिंचाई मंत्री का हरिजरों के लिये प्रेम है।

[श्री उग्रसेन]

मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप नैपाल बांध को बन्द न कीजिये। आप मेहरबानी करके मेरे साथ चलिये मैं महाराजा से आपकी बात कराता हूं और मैं आपको अनुमति दिलाता हूं। उन तबाह लोगों को बचाइये और उनके लिये कुछ कीजिये। आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा सब गर्की के कारण डूब गये हैं और वहां की जनता तबाह हो रही है। यह हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर जितनी ताकत है वह उस ताकत से इस सरकार का विरोध करेगी। हम प्रदेश की जनता का आवाह्न करते हैं कि इस सरकार को हटाने के लिये प्रदेश के अन्दर बगावत करें। जिस सरकार से जनता का कोई लाभ नहीं उस सरकार को हटा देना चाहिये और उस सरकार के विरुद्ध बगावत करने का अधिकार है हम हम किसी हथियार से बगावत करने की बात नहीं करते हैं। हम तो सब पार्टियों को दावत देते हैं कि वह यहां से इस सरकार को हटाने के लिये जनता को यहां लाये और इस सेक्रेटरियटको घेरकर बैठ जाय और जब तक यह सरकार यहां से न हटे तब तक यहां पर बैठी रहे।

माननीय मुख्य मंत्री ने इस प्रदेश में क्या कार्यकलाप किया है वह भी मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। जब से यह मुख्य मंत्री इस प्रदेश में पधारे हैं उनकी इस प्रदेश को क्या देन है वह भी मैं सदन के सामने पेश करता हूं। पहला तो यह है कि ३०० यात्री बदरीनाथ की यात्रा पर मर गये। दूसरा यह है कि ३६ हजार आदमी हैजे से प्रदेश में मर गये। तीसरा यह है कि गोरखपुर में राप्ती का पुल टूट गया। चौथी बात यह है कि दर्जा तीन से अंग्रेजी फिर चल गई है। विडम्बना यह है कि अभी थोड़े दिन पहले उपकुलपतियों को सम्बोधित करते हुये मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में हिन्दी का माध्यम होना चाहिये और वहां हम हिन्दी चलाना चाहते हैं। कैसा विरोधाभास है। समझ में नहीं आता है।

आप यूनिवर्सिटियों का माध्यम तो हिन्दी कराने के लिये प्रयत्नशील हैं और उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन दर्जा तीन में भाषा का माध्यम आपने अंग्रेजी बना दिया। यह आप की भाषा नीति है। विभागीय अफसर आर्डर देते हैं कि हिन्दी का टाइपराइटर मंगाया जाय, लिखा पढ़ी हिन्दी के टाइपराइटर के लिये होती है, लेकिन आता है अंग्रेजी का टाइप राइटर। तो जरा इसकी जांच होनी चाहिये। त्रिभाषा फारमूला आ गया, लेकिन उसके लिये कुछ निश्चित समय नहीं रखा गया।

शराब की बिक्री बढ़ गयी। हमारे डाक्टर सीताराम के कथन के मुताबिक लखनऊ में ठर्रे की बिक्री बढ़ी और बनारस में विलायती शराब की बिक्री बढ़ गयी। उसके बाद आप देखिये। जातिवाद को बढ़ावा मिला। पहले तो ५० आदमियों का मंत्रिमंडल बनाया गया जिस पर प्रति मंत्री ५ हजार का खर्च बढ़ा और उसके बाद जो मंत्री चुने गये उसमें मुख्य मंत्री की जाति के ही ११ लोग हैं और लोगों और बड़े अधिकारियों की बात अलग जाने दीजिये। यह ठीक है कि उसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन यह बातें तो हवा के जरिये चलती हैं। इसके बाद देखिये, गन्ने का दाम रिकवरी की बेसिस पर तय कर दिया गया। अब गेंदासिंह जी सुनें, वे माने या न मानें, हमारे गुप्ता जी ने गन्ने का दाम रिकवरी की बेसिस पर करवा ही दिया। यह बात आन्ध्र और महाराष्ट्र की सरकार नहीं मानती, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मान गयी। उसका क्या नुकसान है? नुकसान तो उस गरीब काश्तकार का है जो अपना खून पसीना करके गन्ना पैदा करता है।

यह भी एक नयी बात देखने में आयी कि इधर ही नारायणी की धारा बदली और लाखों लोग उसमें बर्बाद हो गये। इसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया और अधिकारियों ने वोट दिया। नये कर १३ करोड़ ३० लाख के लगाये गये। डाक्टर संपूर्णानन्द के जमाने में इतने कर कभी नहीं लगाये गये थे, जितने अब गुप्ता जी के जमाने में लगाये जा रहे हैं। इसके बाद आपने सरकारी अधिकारियों को वोट देने का अधिकार दिया। ३८५ में से १०० अधिकारी

होंगे वोटर तो फिर कांग्रेस के अलावा और कौन हो सकता है ? जनता राज की जगह गुप्ता राज कायम करने की बात सोची जा रही है। अभी-अभी भारत के प्रधान मंत्री महोदय यहां आये थे दो दिन के लिये २८ तारीख को। उनके लिये २ लाख ६४ हजार रुपया खर्च हुआ दो दिन के लिये।

रेलवे स्टेशन लुट रहे हैं और घर के चारों तरफ लुटाई हो रही है। यह क्या जनतंत्र है ? यह तो सीधी सीधी तानाशाही दिखायी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां सौभाग्य से मौजूद हैं। मालूम हुआ कि प्रदेश के ४०० अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। अभी मैं बरमा गया था। बहुत ज्यादा तो बाहर घूमा नहीं, और दूसरे देशों की बात भी मुझे ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन वहां पढ़ने में कहीं नहीं आया कि ऐसा भी कोई अस्पताल है कि जहां डाक्टर नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जहां डाक्टर न हो उस जगह का नाम अस्पताल होना नहीं चाहिये।

इसके बाद आप भारी उद्योग विभाग को देखें। इसमें १७ क्लर्क हैं। एक डिप्टी डाइरेक्टर है और ४ बड़े अफसर हैं। उसको अस्थायी रखा गया है और उस विभाग में महीने में ३१ चिट्ठियां आती हैं जब कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी अलग से बनी, रिहन्द बांध अलग से बना। इसके बाद आप देखिये कि हमारे गुप्ता जी के राज्य में रिहन्द की बिजली लुट गयी। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी कुछ बागडोर सम्हाले थे, रोके थे, लेकिन आपने उसे लुटवा दिया। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी कहते थे कि रिहन्द में ली गयी जमीन का मुआविजा बराबर से दिया जाना चाहिये, सब को एक रेट से मिले। लेकिन गुप्ता जी ने कहा कि नहीं, उनको हम ज्यादा देंगे और अपने लोगों को कम। हमारे मुख्य मंत्री जी का कहना है कि त्याग करो। श्रमदान करो, धन दान करो, जीवनदान करो। और इसके साथ ही अब तो हमारे मुख्य मंत्री जी धमकी भी देते हैं। कोई और दूसरा मुख्य मंत्री धमकी नहीं देता। जब सम्पूर्णानन्द जी थे तो झांसी की म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन पर कोई कार्यवाही होती थी, अब वह मस्त बैठे हैं। यहां तो वही बात है कि यहां की ईंट वहां का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यह भाई भतीजों को जोड़ कर किसी प्रकार अपना राज्य चला रहे हैं। ऐसी सरकार के रहने का क्या औचित्य है ? मैं प्रदेश की जनता से और पत्रकारों से कह देना चाहता हूं कि इस सरकार से सावधान हो जाना चाहिये।

हमारी मांग है कि बिना मुनाफे की जोत जो १० बीघा से कम की है उससे मालगुजारी न ली जाय, जो जमीन की जरूरी चीजें हैं उनके दाम लागत के डयोढ़े से ज्यादा न हों, खेत मजदूरों को मजदूरी दी जाय, अपव्यय को रोक कर टैक्सों को रद्द किया जाय, अलाभकर जोत पर मालगुजारी न बढ़ायी जाय। क्या हमारी इन मांगों का सरकार जवाब देती है कि इन मांगों को सरकार उचित नहीं समझती ? मिश्र जी, आप बड़े योग्य हैं, लेकिन आप इतने अहम प्रश्नों को उचित नहीं समझते। मैं समझता हूं कि जो सरकार इन मांगों को उचित नहीं समझती उसे एक मिनट, एक सैकिंड, एक पल भी यहां नहीं रहना चाहिये।

प्रश्न यह होता है कि अगर यह सरकार चली जाय तो यहां राज्य कौन चलायेगा। श्रीमन्, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय मैं बम्बई में था। वहां बड़ा सवाल उठा कि अब क्या होगा। अब काम कैसे चलेगा। जब देश आजाद हुआ उस समय वहां नेवी के अफसर कहते थे कि हम चले जायंगे तो यहां का काम कैसे चलेगा ? लेकिन वह चले गये, और कोई काम बन्द नहीं हुआ। सारा काम चलता रहा। उसके बाद सवाल आया कि पंडित नेहरू के बाद क्या होगा ? इसी तरह से है कि अगर माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार उलट गयी तो क्या होगा ? मैं कहता हूं कि एक किसान रहेगा। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों से कि तुम किसी प्रकार चले जाओ, तुम्हारे बाद अगर हमारे मुल्क में ,अराजकता भी फैल जाय तो वह अच्छी है। मैं कहता हूं कि जिस तरह से भाई भतीजावाद प्रदेश में पनप रहा है और जो कुछ गुप्ता जी कर रहे हैं, उसके बाद प्रदेश में जो कुछ भी होगा उसे हम देख लेंगे। अगर डंडे खाने पड़ेंगे तो खायेंगे, १५ दिन उपवास कर लेंगे, लेकिन इतनी अराष्ट्रीय सरकार को सहन नहीं करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमा में क्या हो रहा है। पूर्वी जिलों को

[श्री उग्रसेन]

देखिये, कई हजार एकड़ भूमि बिहार में कट कर चली जा रही है, लेकिन उन्हें इसका कोई पता नहीं। आज तक क्या चन्दूलाल त्रिवेदी कमीशन की कोई बैठक हुई ? जहां भाषा का सवाल आता है अंग्रेजी ही राजभाषा मानी जाती है और यह सरकार तो १९६५ के बाद भी अंग्रेजी लाद रही है। इसलिये मैं प्रदेश की जनता से प्रार्थना करूंगा कि वह चन्द्रभानु गुप्त जी की सरकार को अविलम्ब हटाये।

यदि आप बाढ़ को रोकना चाहते हैं और लोगों का जीवन चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इस सरकार को हटायें।

मजदूरों के बारे में भी आपकी नीति बड़ी असन्तोषजनक है। आप पूंजीपतियों का पोषण करना चाहते हैं और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। आप यह देखते हैं कि किसी बात में भी पद्मपति सिंहानिया का नुकसान न हो। यह मत करो और वह मत करो। इसलिये मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करता हूं कि इस अनियोजित और असंसदीय सरकार को यहां एक पल के लिए भी नहीं खड़े होने देना चाहिये।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत है और कदाचित् माननीय नेता विरोधी दल ने यह सोचा होगा कि आज इस प्रस्ताव को पास करके वह दूसरी सरकार बनायेंगे और इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी अवश्य सोचा होगा कि इधर के बैठने वालों में से कुछ न कुछ सदस्यों का हृदय भी वह अवश्य परिवर्तित कर लेंगे। बिना हृदय परिवर्तित किए हुए वह वोट आफ नो कान्फीडेंस नहीं पास करा सकते। परन्तु जो मेरी निष्ठा थी जो मेरी दृष्टि में उनका आदर था वह माननीय नेताओं के भाषण से उनके तर्क से समाप्त हो गया। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उनके व्याख्यान को सुनकर मुझे इस बात का बड़ा दुःख हुआ कि ऐसा वह जान बूझ कर कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि वे वोट आफ सेन्शर किस के विरुद्ध पास करने जा रहे हैं ? मैंने जो व्याख्यान सुना उसमें श्री जवाहरलाल जी से लेकर कांग्रेस कमेटी और गांधी जी तक की शिकायत की जा रही थी। उसमें प्रांविशियल गवर्नमेंट और जो पिछली गवर्नमेंट थी, केवल यही नहीं १९०१ से लेकर जो अंग्रेजी शासन था उससे लेकर १९५४ तक की सरकार को कह डाला गया। मेरी तो यह समझ में नहीं आता। यह किस तरह की बहस है, यह किस प्रकार की लाजिक है। इस सदन में जो बहस हुई, उसमें तार्किक दृष्टिकोण का आभास है। उसमें बहुत ही हर इर्रलीवेन्सी है। यदि आप को अविश्वास का प्रस्ताव लेना है तो आप इस सरकार के सिद्धान्तों को, इसकी प्लानिंग को ही सेन्सर कीजिए।

यदि आप इससे पहले की सरकार को सेन्सर करते हैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट को सेन्सर करते हैं या कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल को तो उसका तो उत्तर ही नहीं दिया जा सकता। यह तो तर्क के खिलाफ चीज है। इसके पहले जो सरकार थी उसको छोड़िए वह जा चुकी है। "दैट गवर्नमेंट इज डेड ऐन्ड गान।" उस सरकार से और इस सरकार में बड़ा अन्तर है। उसके कम्पोजीशन और कान्सट्रक्शन में और इस सरकार के कान्सट्रक्शन में बड़ा अन्तर है। यह बिल्कुल अलग है। हर सरकार अपने लिए जिम्मेदार है। इस सरकार ने क्या-क्या किया है इस पर आपको फिर से गौर करना पड़ेगा। मैं तो सुन कर दंग रह गया विरोधी दलों के तर्कों को। जब आपने इस सरकार की रखी हुई प्लानिंग को स्वीकार कर लिया, इसके बजट को स्वीकार कर लिया, जो बजेटरी प्रिन्सपिल्स थे उनको जब इस सदन में आपने स्वीकार कर लिया तो अब क्या रह गया है ?

मर्यादा यह है कि सदन जिस चीज को पास कर दे उस पर आप सेन्सर न लायें। माननीय सदस्य किस चीज पर सेन्सर ला सकते हैं ? जो प्लानिंग है, जो बजेटरी प्रन्सिपिल्स हैं, उनके एक्जीक्यूशन के खिलाफ सेन्सर ला सकते हैं। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने अभी जून के महीने में तो बजट पास किया, उसके एक्जीक्यूशन के लिये आपने कितना समय

दिया इस सरकार को ? आप एक प्रधान के लिये, उसके निकालने के लिये, एक वर्ष का समय देते हैं जिसको आपने कल ही स्वीकार किया है, नगरपालिका के चेयरमैन को निकालने के लिये एक वर्ष का समय देते हैं, अन्तरिम जिला परिषद तथा टाउन एरिया के चेयरमैन को अपने कार्य के एक्जीक्यूशन के लिये एक वर्ष का समय देते हैं, तो इसी तरह से आप को इस सरकार को कुछ तो समय देना चाहिये। अगर आपने कुछ समय दिया होता और उस समय में उसने उन बजेटरी प्रिन्सिपल्स के अनुसार काम न किया होता, तब आप सेन्सर ला सकते थे। माननीय विरोधी दलके नेता इतने भी उदार नहीं हुये कि हमको एक महीने का ही समय देते। हमें कार्य करने के लिये समय भी नहीं दिया और सेन्सर लाकर खड़ा कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो उदाहरण इस सरकार की उदारता के आपके सामने रखना चाहता हूं। एक उदाहरण तो यह देखिये कि टैक्सेशन का मामला यहां आया। माननीय अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। इस पर सरकार को खामोश रहना चाहिये था, लेकिन नहीं, सरकार ने कहा कि अगर विपक्ष के लोग चाहते हैं कि डिस्कशन हो तो उनको मौका मिलना चाहिये। इस पर माननीय अध्यक्ष ने उस असंगत बात के होते हुये भी संगत करके बहस करने का मौका दिया। क्या यह इस सरकार की उदारता नहीं है ?

दूसरा उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। कल का ही वाकया है। विरोधी दल के नेताओं ने जोर दिया कि २० तारीख के बाद बहस हो। विरोधी दल के माननीय नेता यह भूल गये कि २० तारीख के बाद अगर यह रखा जाता तो फिर ६ महीने तक यह नहीं आ पाता या १० दिन के बाद फिर इस प्रस्ताव को लाना पड़ता। हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, हम इसके लिये कल का दिन देते हैं और आज का दिन देते हैं। क्या यह हमारी उदारता नहीं है ? उपाध्यक्ष जी, यह इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार सदैव उन लोगों के साथ उदारता का व्यवहार करती है और उस तरफ से हमेशा वही होता है जो अनफेयर, है, अनजस्ट है।

उपाध्यक्ष जी, टैक्सेशन के सम्बन्ध में मैं यह रेस्पेक्टफुल सब्मिशन करना चाहता हूं कि टैक्सेशन हर गवर्नमेंट करती है। जितने भी प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, जितने भी बढ़िया डेमोक्रेटिक देश हैं, उनके यहां ७६ परसेंट तक टैक्सेशन है। उसके साथ-साथ एक नियंत्रण भी है और वह यह कि वहां जितनी भी प्रोग्रेसिव पार्टियां होती हैं वे टैक्सेशन का विरोध नहीं करतीं। आप अगर उसके लिये विरोध कर सकते हैं तो यही कि टैक्स गरीबों पर नहीं लगना चाहिये, अमीरों पर लगना चाहिये या जो दे सकते हैं उन पर लगना चाहिये। उपाध्यक्ष जी, किसी भी चीज को कन्डेम करने से पहले हमें उसकी रूपरेखा देखनी चाहिये। उसके पहले कन्डेम नहीं करना चाहिये। टैक्जेशन प्रोपोजल्स नहीं आने पाते, स्कीम नहीं आने पाती और हमने उसको कंडेम कर दिया, यह अत्यन्त ही लाजिक के विरुद्ध है, इसका जिक्र नहीं होना चाहिए था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो टैक्जेशन के बारे में सवाल अभी उपस्थित किया है तो एक लाख से ऊपर के जो टैक्स देने वाले हैं हमारे सूबे में उन पर एक करोड़, १२ लाख रुपये बकाया हैं...

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री ऊदल—इस पर अपने भाषण में वह अपनी राय जरा जाहिर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह से बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए।

श्री नौरंगलाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का टाइम और मिलना चाहिए। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सारे यू० पी० में शोर है कि गुप्ता जी ने ४५ मिनिस्टर कर दिये। लेकिन मैं अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहा था "हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड",

[श्री नौरंगलाल]

रेमजे मेयर की लिखी हुई, उसमें था कि ब्रिटेन में मिनिस्टर्स और ज्यादा हों जिससे स्थायी सरकार पर पोलिटिकल सरकार का नियंत्रण रह सके। वहां तो ४५ मिनिस्टर निकाल दिये गये, उसके बाद जाने और कितने होंगे। तो देखना यह चाहिए कि जितने मिनिस्टर्स हों उनके जोन बांट दीजिये प्लानिंग के काम के सिलसिले में। वह यह देखें कि जो रुपया खर्च होता है उसका व्यय ठीक हो रहा है ब्योरोक्रेसी में। व्यय ठीक हो, करप्शन न हो, शोषण न हो। इन सब का नियंत्रण करना है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता। केवल यह कहूंगा कि दुनियां की सबसे बड़ी नियामत फ्रीडम आफ स्पीच है। किसी गवर्नमेंट का सेंसर या तारीफ इस बात पर निर्भर है कि उसमें बोलने और विचारों को रखने की कितनी स्वतंत्रता है। जहां तक मौजूदा सरकार का ताल्लुक है, यह कभी कंडेम नहीं की जा सकती, क्योंकि जितनी आजादी विचारों की इस सरकार में है उतनी शायद किसी सरकार ने नहीं दी है और न कोई दे सकती है। मुझे एक टैगोर की कविता याद आ गयी, वह पढ़ना चाहता हूं—

"Where the mind is without fear and where the head is head high,
And where the words come from deep depth of truth,
Into that Heaven Father, let my country awake.!'

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

***श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विरोधी दल ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में किसी सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव लाने में, खास कर मेरे जैसे आदमी को खुशी नहीं होती। मैं जानता हूं कि जो सरकार बनी है, कांग्रेस का राज्य स्थापित हुआ है हमारे देश में, इसमें हम लोगों का भी बड़ा भारी हाथ रहा। मुल्क में आजादी हुई, स्वतन्त्रता संग्राम हुआ। मैं भी एक अदना सिपाही की हैसियत में रह चुका हूं। जिस समय अंग्रेजी राज्य था, देश संकट में था, मैं भी कल्पना करता था कि जो नेता हमारे अग्रगामी हैं, मैं उनके पीछे चलकर अपने कर्तव्य का पालन करूं और उनको इस आसन पर बैठा कर अपना राज्य कायम करूं। माननीय चन्द्रभानु गुप्त और कुछ उनके साथी हमारे नेता रह चुके हैं। आज आचार्य जुगल किशोर हैं, अलगू राय शास्त्री हैं मन्त्रिमन्डल में जिनके नेतृत्व में मैं काम कर चुका हूं। मुझे आशा थी कि जब इन लोगों के हाथ में बागडोर आयेगी तो वास्तव में हमारे देश में खुशहाली होगी, जनता को आराम पहुंचेगा और हमारी कल्पनायें पूरी होंगी। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक नहीं अनेक वर्ष बीत गये, लेकिन हमारी अभिलाषाओं पर पानी फिरता चला गया और यह नौबत आई कि मौजूदा मन्त्रिमन्डल पर अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा, हमने बहुत सोच-समझ कर उसपर हस्ताक्षर किये थे।

किसी राज्य का सम्पन्न होना इस बात से साबित होता है कि वहां की जनता, खासकर गरीब देहात की जनता उन्नति कर रही है या नहीं। मैं आपके द्वारा ग्रामीण जनता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मिश्र जी ने बहुत नाज के साथ तकरीर कर दी, लेकिन उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं जो कि विरोधी दल के नेता या सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने उनपर आरोप लगाये। उनके पास कोई जवाब है नहीं। यहां पर दो योजनायें चलीं और समाप्त हुयीं, लेकिन देहातों की दशा वहीं की वहीं पर रही। की ग्रामीण जनता की प्रति व्यक्ति आमदनी ज्यों की त्यों है, बेकारी जहां की तहां है। माननीय चरण सिंह जी को मैं स्वीकार करता हूं कि वे ग्रामीण जनता के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने देहात की जनता के हल के काफी सुझाव दिये, उनका कहना था कि जब तक देहात के लोग खेती पेशा से हटकर दूसरे पेशे में नहीं जायंगे तबतक खुशहाली नहीं आ सकती। मैं जानना चाहता हूं कि जो अनुपात खेती पर निर्भर करता था क्या वही अनुपात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब भी वहीं है या बढ़ा है ? मैं कहता हूं कि लोग धीरे-धीरे भिक्षुक होते चले जा रहे हैं, अनएकनोमिक होल्डिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं, बेकारी बढ़ रही है। यह बड़े अफसोस की बात है कि १० वर्ष का योजना काल बीतने के बाद भी देहात के किसान की ९ आना प्रति दिन की औसत आमदनी है। क्या इसको देश की खुशहाली का चिन्ह समझा जाय ? क्या मैं समझूं कि इसी रास्ते पर चलकर योजनायें बनाई गई थीं कि चन्द आदमियों के हाथों में धन एकत्रित होता रहे और जो गरीब हैं वह और गरीब हो जायं ? इन सब बातों को देखते हुए क्या अन्दाजा लगाया जा सकता है।

माननीय मिश्र जी ने बड़े गर्व से कहा था कि हमें इन कुर्सियों पर से कोई हटा नहीं सकता है। इसको मैं मानता हूं कि हम लोग नहीं खाली करा सकते, लेकिन सरकार के कारनामे उसको खाली करायेंगे और जनता खाली करायेगी अगर यही रवैया सरकार का रहा। आज सरकार सरकारी अधिकारियों की बदौलत हुकूमत करना चाहती है। आज प्रशासन इसलिये नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है कि देश समृद्ध हो, बल्कि इसलिये इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरह से एक दल विशेष सत्तारूढ़ बना रहे। इसका ज्वलन्त उदाहरण गोंडा जिला है। वहां पर कोई प्रशासन नहीं है। सत्तारूढ़ दल के लोगों की हुकूमत ही वहां पर चल रही है। वहां का अधिकारीवर्ग परेशान है। और जिलों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन गोंडा में यह स्थिति है। मन्त्रिमन्डल के सदस्य जो उस जिले के या आस-पास के हैं उनका वहां पर हर काम में दखल होता है। वहां पर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि किस तरह से सत्तारूढ़ दल को मजबूत रखा जाय। सारा प्रशासन इस कार्य के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है।

अभी हाल में पंचायती अदालतों का चुनाव हुआ। हमारी मन्त्राणी जी बैठी हुई हैं। मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां से राजकीय आदेश गया कि जिस गांव सभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव आता है, मांग की जाती है, कि हम इन लोगों को चाहते हैं, तो उसे माना जायगा। मन्त्राणी जी गोंडा जिले की लिस्ट मंगा लें और अगर वह हुक्म दें तो २, ४ पंचायती अदालतों के मैं नाम भी ले सकता हूं। वहां पर प्रस्ताव पास हुए हैं और सर्वसम्मति से गांव सभा ने मांग की है, मगर यहां से प्रतिनिधि भेजे गये। कलेक्टर साहब ने मुझसे वायदा किया कि सरकारी आदेश का पालन किया जायगा, मगर यहां से सेक्रेटैरियट से फोन होता है वहां के सम्बन्धित अधिकारी के पास कि वह बात न मानी जाय, बल्कि फलां को नियुक्त किया जाय और वह नियुक्त हुए हैं।...

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेताकृपालानी)—आप मुझे केस बतलाइये कि मैंने कौन से आर्डर भेजे हैं। वरना मैं इस तरह की बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—हां, कहिये।

श्री नेकराम शर्मा—जब तक जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं, वह अपना स्थान ग्रहण न करें, क्या और कोई माननीय सदस्य खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—नेकराम जी शर्मा, आप इसके दोषी ज्यादा ठहराये जावेंगे अगर इस बात को माना जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—यह मेरे ऊपर लांछन है, मैं प्रोटेस्ट करता हूं।

[× × × ×]

[××××] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह---मुझे अफसोस है कि मन्त्राणी जी यह कहें कि वह मेरी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। मगर मुझे बहुत अदब से कहना पड़ता है कि यह जगह ऐसी है कि मुझे एक शेर याद आ गया "वह दीगर जगह है, जहां तुम बन्द करते हो जबां मेरी, मेहशर है कि यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी।"

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इसका हिन्दी में ट्रान्सलेशन कर दें तो मैं समझ लूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह--- आज के शासन में इतना हस्तक्षेप हो रहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा प्रबन्ध का स्तर गिरता जा रहा है। अगर किसी अधिकारी से एक नाजायज काम कराया जाता है तो स्वाभाविक है कि वह अपने स्वार्थ के भी १० काम करा लेता है।

[× × ×]

श्री बनारसीदास---प्रक्रिया नियमावली के २८९ (२) में लिखा है कि कोई भी सदस्य न्यायालय के विचाराधीन विषय पर विचार प्रकट न करेगा और न उस पर कोई कमेंट किया जा सकता है। माननीय राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी जिस चुनाव की बात कह रहे हैं, उसके बारे में इलेक्शन पेटीशन पेंडिंग है, इसलिये वह उस पर रोशनी नहीं डाल सकते।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---मैं तो उस आर्डर के बारे में कह रहा हूं जिसका फैसला हो चुका है और वह किसी अदालत में नहीं है।

श्री बनारसीदास---उस पार्लियामेंटरी सीट का, जिसका वह जिक्र कर रहे थे, पेटीशन दायर है, ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया जा चुका है, अवकाश प्राप्त जज हाई कोर्ट के इलाहाबाद में मुकर्रर किये जा चुके हैं। इसलिये यह मामला अन्डर जुडशरी है और इस पर कोई जिक्र नहीं किया जा सकता।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कह रहा हूं जिसके ऊपर परामर्श हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष---ये सब फैक्ट्स उसी के बारे में हैं, आप आगे बढ़िये।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---यह पेटीशन में जांच का कोई ईश्यू नहीं है।

श्री बनारसीदास---यदि सेक्रेटेरियट में कोई विचार-विमर्श हुआ है तो वह ट्रिब्यूनल के सामने लाया जा सकता है। उस पर यहां इस समय किसी प्रकार की चर्चा करना अवैध है।

श्री उपाध्यक्ष---देखिये, उस पिटीशन के बारे में आप कोई चर्चा न करें, उससे सम्बन्धित विषय की भी चर्चा न करें।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि उसका उस पिटीशन से कोई वास्ता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---यह चीज पिटीशन में खींचतान कर लाई जा सकती है, उसको आप न लीजिये। जो बातें इसमें आयी भी हैं वे निकाल दी जायेंगी।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---अभी हाल में एक वाकया और हुआ। इन्हीं कलेक्टर साहब के जमाने में जिनका मैंने जिक्र किया। वहां एक जंगल है लुथेना में। उसके बारे में श्री के० के० नायर साहब ने दावा दायर किया। यह जंगल जमींदारी एबालीशन के समय में

[×××] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

सरकार में वैस्ट हो चुका था और फारेस्ट विभाग ने उस पर अपना कब्जा भी कर लिया था और अपने प्रबन्ध में ले लिया था। मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन के सिलसिले में न जाने क्या बात हुई और उसी के बाद उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि यह जंगल हमको मिल जाय क्योंकि उसका पट्टा हमारे नाम है। यह पट्टा १६० एकड़ का था लेकिन अदालत ने उसकी डिग्री दे दी ८०० एकड़ की जिसका मूल्य ३० लाख रुपया होता है। बदकिस्मती कहिये या खुशकिस्मती कहिये इस समय वही कलेक्टर साहब वहां थे जिनको तरक्की दे दी गयी है और कमिश्नर बना दिया गया है। इस तरह से इस सरकार के अन्दर धांधलेबाजी होती है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—यह नायर साहब कौन हैं। क्या वह तो नहीं हैं जिनकी धर्मपत्नी इस सदन की सदस्या हैं ?

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—तो इस तरह से अंधेर इस राज्य में हो रहा है। आज गोंडा जिले में कोई व्यवस्था नहीं है। जो कांग्रेसमैन चाहते हैं वही न्याय हो रहा है। आज चन्द्रभानु गुप्त जी के राज्य में चन्द्र और भानु दोनों गुप्त हो गये हैं और गुप्त रूप से दूसरा गुप्ता राज्य कर रहा है इस उत्तर प्रदेश में।

श्रीमन्, मुझे इस मन्त्रिमन्डल से बहुत आशाएं थीं। यह सरकार एक बहुत ही गलत पद्धति को डाल रही है। वह सरकारी अधिकारियों और पुलिस के द्वारा हुकूमत को चला रही है। उसका एक मात्र यही ध्येय है कि हमारा दल मजबूत रहे और विरोधी दलों की मुखालिफत की जाय। आज इलेक्शन के लालच में पूंजीपतियों के हाथों में यह सरकार खेल रही है। हम लोग अभी अविश्वास का प्रस्ताव न लाते लेकिन टैक्सेज लगाने की चर्चा इनकी ओर से हुई जिसका जिक्र माननीय यादवेन्द्र दत्त जी ने किया। उन्होंने तो उसके फिगर्स भी दिये कि कितना बढ़ रहा है लेकिन मेरे हिसाब से जिनका लगान १० रुपया है उनका २२ रुपया किया जा रहा है। भला जिन किसानों की बदौलत यह सरकार यहां आयी, हालांकि उसने केवल ३५ प्रतिशत वोट्स ही प्राप्त किये, उन्हीं के ऊपर यह सरकार इतना टैक्स लगा रही है। जो होल्डिंग्स अनएकोनामिक हैं, उनके ऊपर ११० प्रतिशत लगान बढ़ाया जा रहा है। यह कौन सा इन्साफ है ?

(इस समय ३ बज कर ४ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, एक उर्दू का शेर और याद आ रहा है —

सख्तियां लाखों सहीं जुल्मोसितम जिसके लिये।
वाह री किस्मत वही कातिल बने खंजर लिये।

जिनके वास्ते किसान ने इतनी सख्तियां सहीं, आज वे ही खंजर लेकर कातिल बने हुए हैं और इसीलिये हम लोग मजबूर हो रहे हैं।

हमारे मिश्र जी ने राजा महाराजाओं का नाम लिया लेकिन आज उत्तर प्रदेश से पार्लियामेंट में कांग्रेस टिकट पर ही ज्यादा राजा महाराजा लोग गये हैं और मैं दावा करता हूं कि जिस जमाने में स्वतन्त्रता संग्राम चल रहा था, उस समय भी हम लोगों ने जितनी कुर्बानी की वह किसी से कम नहीं है। इन शब्दों के साथ, मेरी प्रार्थना है कि आप पूंजीपतियों के साथ पक्षपात करना छोड़ दें, उनके साये में चलना छोड़ दें तो मेरा विश्वास है कि आपके तमाम बाकी सेल्स टैक्स वसूल हो जायं, तमाम इलेक्ट्रिसिटी टैक्स वसूल हो जायं, तमाम इंडस्ट्रियल लोन्स वसूल हो जायं और फिर आपको टैक्स लगाने की कोई जरूरत ही न पड़े, लेकिन आज तो आप जनता पर टैक्स लगा कर और फिर उनमें उनकी छूट देकर उनको परेशान करना चाहते हैं तथा स्वयं ऐशोआराम के साथ हुकूमत करना चाहते हैं। आप जिन किसानों के वोट लेकर यहां आये हैं उनको न भूलें और आप इस पर भी विचार करें कि जब एक गया गुजरा राजा उनकी मदद करने के लिये तैयार है तो आप जो किसानों के विशेष हमदर्द बनने का दावा करते हैं, छोटे-छोटे किसानों की मदद अवश्य करनी चाहिये। हमने पहले भी किसानो की मदद की है और आज भी मुल्क के लिये कुबार्नी करने के लिये तैयार हैं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि आज इस सदन में अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय जो विवाद उपस्थित किया जा रहा है, वह एक बहुत ही असंसदीय प्रणाली की स्थापना कर रहा है। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय हमारे सदन के विरोधी दल के नेता थे लेकिन इस प्रस्ताव की दलील में जो बातें उन्होंने कहीं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रतिवर्ष बजट पर जो सामान्य विवाद होता है उसमें वे भाग ले रहे हैं। उन्होंने नियोजन के बारे में अपव्यय की भी कुछ चर्चा की लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि आज से दो दिन पूर्व जब इसी सदन के नेता ने उनको आमन्त्रित किया था कि आप नियोजन पर विवाद करें तो उन्होंने कहा था कि ऐसे आंकड़े उनके पास अभी तैयार नहीं हैं इसलिये वे नियोजन पर विवाद नहीं करना चाहते। तो उस समय का उपयोग न करके इस अविश्वास प्रस्ताव से उन्होंने उस दलील का प्रयोग किया। आज के समाचारपत्रों में पढ़ने को मिला कि वे प्रदेश की आर्थिक समिति के भी सदस्य हैं और उसमें नियोजन अपव्यय के आंकड़े पर भी विचार तो होगा ही, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि अविश्वास के प्रस्ताव में इसको लाना कहां तक उचित था ?

आज समस्त विरोधी दल ने एक मत होकर इस अविश्वास के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने इस सदन के समस्त विरोधी दल को एक हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है क्योंकि उन्होंने इस बात को सदन के सामने नहीं रखा कि उनकी कौन सी विकल्प नीति होगी जिसके अनुसार वे सरकार को चलाना चाहते हैं। आज प्रदेश की जनता की आंखें कांग्रेस सरकार की तरफ लगी हुई हैं जिसे उसने ६ महीने पूर्व ही यहां ५ वर्ष तक शासन करने के लिये भेजा है। विरोधी दल ने जब सदन के सामने अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो उसके विकल्प में जो सरकार बनेगी उसकी क्या नीति होगी यह बतलाना चाहिये था। लेकिन विरोधी दल के नेताओं की तरफ से, जितनी भी स्पीचें हुयीं, उनमें किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इससे एक बात स्पष्ट है कि विरोधी दल के नेता भी अगर यह कह कर भागना चाहें कि योजना में अपव्यय है और उसके बारे में कोई सुझाव न भी दें, लेकिन उनको सदन के इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि उनको योजना में विश्वास है या नहीं। यह चाहे कर की बातें करें, चाहे किसी की बात करें, लेकिन आज प्रदेश के सामने एक समस्या है। हमारे देश में योजना के माध्यम से जो विकास हो रहा है तथा जिससे जनता पर भार पड़ना अनिवार्य है उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में, इसको विरोधी दल की सभी पार्टियां स्पष्ट रूप से बतावें कि जो योजना चल रही है उसमें एक मत हैं कि नहीं ? मैं कहना चाहता हूं जहां कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य विरोधी दल योजना की बातें करते हैं वहां जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के लोग योजनाबद्ध विकास के विरुद्ध हैं। लेकिन जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो सब एक मत हो जाते हैं। लेकिन अगर विकल्प देना पड़े तो एक मत न होंगे। वह बतायें कि विकल्प में उनकी क्या नीति होगी ? मेरा विश्वास है कि उस विकल्प पर विरोधी दल कभी एक मत नहीं हो सकते। सहकारिता नीति को ले लें। क्या उस पर माननीय जेड० ए० अहमद साहब और स्वतन्त्र पार्टी के नेता एक मत हो सकते हैं ? हरगिज नहीं। जहां तक योजनाबद्ध विकास का प्रश्न है, कारखानों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है विरोधी दल आपस में कभी एक मत नहीं हैं। अब जब कोई मौलिक नीति सब मिल कर नहीं रख सकते, तो यह अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दलों को हास्यास्पद स्थिति में डाल देता है और प्रस्ताव स्वयं हास्यास्पद हो जाता है।

आज से एक वर्ष पूर्व, इसी सदन में, तृतीय योजना के प्रारूप पर वाद विवाद हुआ था जिसमें सभी वर्ग के लोग थे और उनको याद होगा, उन्होंने लगभग ७५० करोड़ रुपये की योजना प्रदेश के लिये स्वीकार की थी क्योंकि इनका दावा था कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सारे देश से ठीक नहीं है इसलिये ७५० करोड़ रुपये की योजना स्वीकार करके केन्द्रीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार से इस बात की सिफारिश की गई थी कि उत्तर प्रदेश के लिये वह योजना स्वीकार की जाय। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने यह अनुभव किया कि शायद प्रदेश की जनता, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न हो, इतना बड़ा भार वहन न कर सके, इसलिये ४९७ करोड़ ही की योजना स्वीकार करके भेजी। आज तो एक रचनात्मक व्यू यह होना चाहिये था कि विरोधी दलों के समस्त नेता स्वागत करते कि हमने ७५० करोड़ की योजना स्वीकार करके भेजी थी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने सोचा, जनता पर बहुत बड़ा भार लादेंगे, यह ठीक नहीं है और केवल ४९७ करोड़ की योजना भेजी है, इसका इनको स्वागत करना चाहिये था। उस ४९७ करोड़ में से साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार देने के लिये तैयार हुई और १४७ करोड़ का भार इस प्रदेश को वहन करना पड़ा। इस १४७ करोड़ रुपये में से ४०–४५ करोड़ रुपया तो हमको प्राप्त हो जाता है, केवल १०० करोड़ रुपये का प्रश्न रह जाता है जिसके लिये यदि विरोधी दल के नेताओं में ईमानदारी होती तो आज इस अविश्वास के प्रस्ताव के साथ वे खुले आम सुझाव देते कि इस १०० करोड़ रुपये का भार किस प्रकार से वहन किया जाय। यदि वे स्पष्ट यह कहें कि योजना के द्वारा जो प्रदेश का आर्थिक विकास होना चाहिये उसके वे विपरीत हैं तो मैं बहुत ही स्वागत करता और उनके अविश्वास के प्रस्ताव पर जनता भी गंभीरतापूर्वक सोचेगी।

आज यह बहुत अंश में सही है कि समारे प्रदेश का आर्थिक स्तर देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले नीचे है। लेकिन उसका दूसरा विकल्प यही हो सकता है कि अधिक रुपया खर्च करके उत्तर प्रदेश के लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ाया जाय। हमारे विरोधी दल के नेता आँकड़ों में बहुत विश्वास करते हैं लेकिन हमारे प्रदेश में दूसरी योजना में प्रतिव्यक्ति केवल ५३ रुपया इन्वेस्ट किया गया था जब कि और प्रदेशों में औसत ८८ रुपये के लगभग था। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। आज हमारे लिये एक ऐतिहासिक आवश्यकता पैदा हो गयी है। हमें इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिये कि हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इस प्रश्न को विरोधी दल के नेता लोग गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करते और साधारण प्रश्नों पर चले जाया करते हैं कि योजना में अपव्यय हो रहा है। कहीं पर यदि आपको कमजोरी मालूम हो रही है तो योजना पर विचार करने के लिये सदन में भी और अनेक रचनात्मक कमेटियों में भी आपको मौका दिया जाता है। आप वहाँ यह प्रश्न लायें। मैं गंभीरतापूर्वक इस प्रस्ताव पर विचार सोचने को तैयार होता यदि वह कहते कि इन योजनाओं से प्रदेश को कोई लाभ नहीं हो रहा है।

मैं ज्यादा समय न लेकर यह नम्र निवेदन कर रहा हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुआ करता, जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता, श्री उग्रसेन जीने भाषण करते हुये कहा था। जिस नीचे स्तर का विवाद माननीय उग्रसेन जी ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुये किया उस स्तर का विवाद तो आम सभाओं में भी नहीं किया जाता। आज प्रदेश की जनता यह सोचती थी कि वह विकल्प प्रस्तुत करते। ऐसा न कर के सदन का दो दिन का समय उन्होंने बरबाद किया और एक असंसदीय प्रणाली की स्थापना की।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहाँपुर)---अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस दल के एक सदस्य माननीय नौरंगलाल जी ने एक बात कही कि हमको अभी तक कोई मौका नहीं मिला कि हम अपने कारनामे आपको दिखा सकें और बिला हमारी जाँच किये हुये आप हमारे ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव ले आये। मैं आज इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन, जो उन्होंने सुझाव दिया है, उसी के आधार पर करना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि पंचवर्षीय योजना कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि भ्रष्टाचार मिटाया नहीं जायगा क्योंकि जिन आदमियों के हाथ में पंचवर्षीय का इम्प्लीमेंटेशन आप देंगे अगर वे भ्रष्ट हैं तो तय बात है कि जो रुपया आप पंचवर्षीय योजना के किसी भी प्रोजेक्ट पर खर्च करेंगे उसका दुरुपयोग होगा। इस मामले में मैं किसी सरकारी अफसर को नहीं लेना चाहता बल्कि इस दृष्टिकोण से मैं सरकार की नीति को देखना चाहता हूं कि सरकार की नीति ईमानदारी की है या नहीं है।

[श्री भगवानसहाय]

सरकार की सबसे पहली ईमानदारी की बात तो यह है कि मंत्रिमंडल में इतना बड़ा इजाफा किया। अगर यह इजाफा प्रांत की भलाई के लिये होता तो मैं पहला आदमी होता उनको मुबारकबाद देता और अगर इस बड़े मंत्रिमंडल में से २५–३० आदमी और कुछ न करते तो कम से कम दो-दो, तीन-तीन जिले हर एक के चार्ज में दे कर करप्शन को मिटाते तो वह बधाई के पात्र होते। लेकिन यह इजाफा तो कांग्रेस की गुटबन्दी को संतुष्ट करने के लिये किया गया पार्टी को ताकत में बनाये रखने के लिये और कोई असंतुष्ट ग्रुप उनके अन्दर हुआ तो उसको भी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीशिप या डिप्टी मिनिस्टरशिप दे दी गयी ताकि उसका मुंह बन्द हो जाय।

इसके अलावा जब यह सरकार आयी तो बहुत सी घोषणायें कीं। इसने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज, जो ५८ साल की की गयी थी, उसको सरकार गलत समझती हैं, सरकारी कर्मचारी को ५५ वर्ष की उम्र पर रिटायर हो जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ ऐतराज नहीं है कि Retiring age ५५ हो। लेकिन इसका इम्पलीमेंटेशन क्या है? आज भी आप के मंत्रालय में बहुत से लोग ५८ वर्ष की उम्र में काम कर रहे हैं इसलिये हम कैसे मान लें कि जो बात आप जनता के सामने रखते हैं उसमें आपकी ईमानदारी है और आप ईमानदारी बरतना चाहते हैं, यह मेरी समझ में बात नहीं आती है। दूसरा सवाल यह है कि आपने सचिवालय में १०–१५ साल से बहुत से आफिसर्स को रख छोड़ा है। इसलिये इनको रख छोड़ा है कि ये लोग आपकी जाती मदद करते हैं और आपको फायदा पहुंचाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं उनको आप रखते हैं। इसलिये आप उनको १०–१५ साल से नहीं रखे हुये हैं कि वे कोई बहुत ही होशियार हैं और उनके बिना काम नहीं चल सकता है। अगर ऐसी बात होती तो सभी अफसर मंत्रालय में १० या १५ साल की अवधि के होते और इसके मुताल्लिक कोई कानून या कायदा बन सकता था। इसी तरीके से आपने उनकी तनख्वाह के बारे में भी अपनी नीति का खण्डन किया है। जो अफसर आपका निजी काम करते हैं उनके लिये आपने एक और नया तरीका निकाल लिया है। वह तरीका यह है कि रिटायर होने के पहले वे चार महीने की छुट्टी के लिये एप्लाई कर देते हैं और वह छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है और वे जब रिटायर होते हैं तो उनका चार महीने तक पूरी तनख्वाह दी जाती है। इस तरह से आप अपने आफिसर्स को फेवर करते हैं जो आपका काम करते हैं। यानी जो आफिसर दो हजार रुपया माहवार वेतन पाता होता है उसको बराबर चार महीने तक दो हजार के हिसाब से वेतन रिटायरमेंट के बाद मिलता है। यह कोई उसूल नहीं है और हर अफसर के लिये यह चीज लागू नहीं है बल्कि जिनको आप अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिये इस्तेमाल करते हैं उनको आप यह फेवर देते हैं।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बात कहना चाहता हूं। मैंने एक अफसर को मेडीकल विभाग में देखा है, उनके बीसों खून माफ हैं और बीस साल से वे यहां हैं। यह सब बातें फेवर करने के लिये की जाती हैं। उनके नीचे कोई उसूल नहीं है जरायम की हालत देखिये। नौरंग लाल जी चले गये। अभी हाल में एन० ई० आर० रेलवे के दो स्टेशन लूट लिये गये। आज इस प्रांत में जनता की जान की हिफाजत नहीं है और वह चैन की नींद सो नहीं सकती है। देहात के रहने वाले बेचारे चोरी डकैती से परेशान हो गये हैं और अपनी जिन्दगी से आजिज आ गये हैं। कम से कम मेरे जिले में यह हालत है कि देहात के रहने वाले बाजारों को जाते समय दिन दहाड़े लूट लिये जाते हैं। ८ बजे से लेकर दिन के चार बजे तक लूटे जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है बल्कि मैं अगर यह कहूं कि उसके इशारे से और उसके जेर हिफाजत यह जरायम किये जाते हैं तो यह बात गलत होगी। सरकार भले ही इस बात को न माने लेकिन शाहजहाँपुर का हर आदमी इस को मानेगा कि जो मैं कहता हूं वह सही है।

शिक्षा के मामले में देखिये कि जनता के बच्चे दर-दर मारे मारे फिरते हैं और उनको कहीं एडमीशन नहीं मिलता है। उनकी शिक्षा के लिये कोई प्रबंध नहीं है। इस मामले में भी आपकी सरकार फेल रही है। आप बच्चों की शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सके हैं।

एक तरफ आप प्राहिबिशन की पालिसी चलाते हैं और दूसरी तरफ ब्रिवरीज को नये लाइसेंस देते चले जाते हैं । जिन शराब की भट्टियों की ५ हजार गैलन रोज की कैपेसिटी थी उनको ४० हजार की कैपेसिटी करने की इजाजत देते हैं । इसका पता लगाने के लिये दूर न जाइये । हजरतगंज में ही देख लीजिये कि शराब बन्दी के लिये कितना ऐडवर्टिजमेंट है और शराब के प्रचार के लिये कितना ऐडवर्टिजमेंट है । मैं समझता हूं कि सरकार की आँखों के नीचे यह हालत है तो फिर देहातों के अन्दर, जो आपकी पालिसी है, उसका इम्पलीमेंटेशन क्या होगा। आप तसलीम कर लीजिये कि आप की प्राहिबिशन की पालिसी गलत है और आपकी ईमानदारी इसमें है कि आप इसको मंजूर करिये और इसको बदलिये ।

पंच वर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य है कि हम जनता के विभिन्न वर्गों के आर्थिक फर्क को कम करें । एक तरफ किसान से दो रुपया लगान का डंडे मार कर वसूल किया जाता है, उसकी कुर्की की जाती है, बैल बेचा जाता है, किसान को जेल में भेजा जाता है । दूसरी तरफ पूंजीपतियों और करोड़पतियों के लिये छूट दी जाती है। गन्ना उत्पादकों का रुपया, सेस का रुपया, सेल्स टैक्स का रुपया, एलेक्ट्रिसिटी का रुपया करोड़ों की तादाद में बाकी हैं । कल माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने कानपुर के बिजली के बकायादारों के कनेक्शन काट दिये जिन्होंने रुपया नहीं दिया । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यह व्यापारी वही होंगे जिन्होंने काँग्रेस के फंड में रुपया नहीं दिया होगा । अगर दिया होता तो इन का कनैक्शन कभी नहीं कटता ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । डेमोक्रेसी का मुख्य आधार एलेक्शन है । इस एलेक्शन की पवित्र मशीनरी को भी आप अपनी पार्टी के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं । काउंसिल के जो चुनाव हुए, उसमें बहुत से अफसरों ने वोट दिया । मुझे वह जमाना याद है, देखा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ याद है । इसी बिल्डिंग के अन्दर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और उसके अन्दर नामिनेटेड व सरकारी अफसर मेम्बर्स हुआ करते थे । इस सरकार के मंत्रियों म एक साहब उस समय थे वह मांग किया करते थे कि सरकारी नामिनेटेड मेम्बर्स हटाये जायं, यह डेमोक्रेसी के विरुद्ध है । लेकिन आज एलेक्शन में सरकारी अफसरों को इस्तेमाल करने का सबसे पहले कदम इस मंत्रिमंडल ने उठाया है । शाहजहाँपुर-पीलीभीत लोकल बाडीज क्षेत्र में करीब ३५० वोट थे। उनमें से ७५ अफसरों के वोट हैं । आप की नीति को देखते हुए क्या उनकी उम्मीद है कि सरकारी उम्मीदवार के खिलाफ वोट दे दें जबकि दो-दो चार-चार मिनिस्टर भेजे जाते हैं और झूठा सरकारी काम बनाकर एलेक्शन में वोटरों पर असर डालने के लिये दौरा करते हैं। पंचायतों के चुनाव देखिये। पहले सरकार ने स्थानीय एम० एल० ए०, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष, और कलेक्टर की एक कमेटी बनायी थी। लेकिन चूंकि विरोधी पक्ष के इतने सदस्य कामयाब हो गये तो सरकार को खतरा पैदा हुआ, सरकार ने इसमें एक सरकारी नामिनी और बढ़ा दिया ताकि काँग्रेस का बहुमत हो जाय । न्याय पंचायतों के चुनाव में, सरकार अपने नामिनी बना कर प्रजातंत्र प्रणाली का गला घोंट देना चाहती है । माननीय मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस बात का स्पष्टीकरण करें कि इस सरकारी नामिनी की क्या जरूरत थी ?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । कल ही सदन में प्रश्न हुआ कि इलाहाबाद में चार मंत्रियों का दौरा हुआ । वजह भी बतायी गयी । काम भी बताये गये । टी० ए० का भत्ता भी बताया गया । लेकिन क्या वह बात सही नहीं है कि इसी दिन इलाहाबाद के नगर प्रमुख का भी चुनाव था और मंत्रियों का दौरा इसी वजह से इलाहाबाद का रक्खा गया ? इस तरह से यह सरकार, जो मैंने पहले बातें कहीं हैं और जो विरोधीदल के लोगों ने बातें कही हैं; उनकी ही दोषी नहीं है बल्कि चुनाव, जो डेमोक्रेसी की आधारशिला है, जिसके ऊपर डेमोक्रेसी मजबूत होती है, फूलती और फलती है, उस एलेक्शन में भी सरकार हस्तक्षेप करती है ।

[श्री भगवानसहाय]

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह मंत्रिमंडल जनता का विश्वास खो चुका है, और इस सदन का विश्वास भले ही न खोये, मैं समझता हूं कि इस सरकार के जमाने में इस प्रांत के अन्दर भ्रष्टाचार की इतनी बुद्धि हो गई है कि जिसका ठिकाना नहीं है, प्रांत में जीवन व सम्पत्ति की सेफटी खत्म हो गयी है । जनता से जो वादे किये गये थे उनको ठुकरा दिया गया है । अराजकता फैल गई है । लाइफ और प्रापर्टी सेफ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब आज सुबह अविश्वास का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधीदल ने इस सदन में मूव किया और फिर उसके बाद उन्होंने भाषण दिया, तो मैं उनके भाषण को बड़े गौर से सुनता रहा । उसके बाद माननीय उग्रसेन का भाषण सुना । उसके बाद अब भगवान सहाय जी का भाषण सुना । हमें बड़ी दिक्कत है इस बात में कि अविश्वास के प्रस्ताव का भी विरोध करना चाहते हैं और समय-समय पर आपकी जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार समझ में नहीं आता कि क्या कहें । आप कहेंगे कि अगर समझ में नहीं आता तो खड़े क्यों हो गये ? बात यह है कि वही बातें हम २ साल, ४ साल और ५ साल से बराबर सुनते चले आ रहे हैं । अभी ६ महीने इस विधान सभा को बने हुये नहीं हुआ कि तीन मर्तबा हम इन्हीं बातों को सुन चुके हैं । गवर्नर के एड्रेस पर यह बातें सुनीं, फिर उसके बाद बजट में भी इन बातों को सुना और अब अविश्वास का प्रस्ताव ले आये यही बातें कहने के लिये । जब वही बातें कहीं जायेंगी तो वही उत्तर दिये जायेंगे । आपकी व्यवस्था है कि जो बातें सदन में एक मर्तबा कही जायं उनको दोहराना सदन में मुनासिब नहीं है । जब वही बातें दुबे जी ने कहीं, कोई नई बात ऐसी नहीं कही गई जिसका जवाब नहीं दिया गया हो तो वही जवाब देना पड़ेगा । इस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा क्या नई बात पैदा हो गई जिसका जवाब नहीं दिया गया । यह बात कम से कम जिस वक्त अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया उस वक्त सोचना चाहिये था । आज से ३ दिन ऐसेम्बली इस बात के लिये बिठाई गई कि इस पर बहस हो । कम से कम १५ हजार रुपया इस पर खर्च किया जायगा । फिर तमाम गाली मुख्य मंत्री जी को दी जायेंगी कि आपको बचत करना था और आप बचत करने के लिये कहते थे १ करोड़ और २ करोड़ की । कौन बचत के मूड में हैं । हमारे विरोधीदल के नेता या हमारे विरोधीदल के सदस्य, कौन बचत के मूड में हैं । ४, ५ दिन उन बातों को ही दोहराने के लिये खराब किये जायेंगे । कोई नई बात नहीं हुई । उन्हीं बातों को दोहराया जायगा । तो इससे कौन सी इकानामी होने वाली है ?

माननीय उग्रसेन जी ने साँस नहीं ली जिस वक्त उन्होंने सरकार को गालियाँ देनी शुरू कीं । मुझे ऐसा मालूम होता था कि उनको शायद अभ्यास है प्राणायाम का, पाँच-सात-दस सेंटेंसेज वह एक मर्तबे में ऐसे बोल जाते थे कि इसलिये इस सरकार को हटा दिया जाय कि भुखमरी बढ़ रही है, इसलिये इस सरकार को हटा दिया जाय कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिये हटा दिया जाय कि यह बढ़ रहा है, इसलिये हटा दिया जाय कि वह बढ़ रहा है। मैं पूछता हूं कि जो पाँच-सात-दस दिन पहले भ्रष्टाचार था उसमें क्या वृद्धि हुई जिससे कि अविश्वास का प्रस्ताव लाने की जरूरत हुई ? जिस माननीय मंत्री जी का नाम लेकर उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप किया, जिसके लिये आपकी कुर्सी से यह व्यवस्था की गई कि वह एक्सपंज कर दिया जाय वह मंत्री नये नहीं थे, उनको वह चीजें नयी नहीं थीं । क्या बात थी कि जिसके लिये डेमोक्रेसी में मिले हुये एक अधिकार का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाय जिससे अव्यवस्था फैले और टाइम वेस्ट हो और उसके बाद भी कहा जाय कि हमारे टाइम का ध्यान रखा जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक बात कही माननीय उग्रसेन जी ने कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह ३ हजार से बढ़ाकर ३,५०० कर दी । यह माननीय मुख्य मंत्री जी को अधिकार भी है उसकी तनख्वाह बढ़ाने या घटाने का, यह उन्होंने नहीं सोचा । वह तो अपने ग्रेड की तनख्वाह लेता है, जितनी सीनियारिटी होगी उस हिसाब से तनख्वाह लेगा । एक बात यह भी कही कि हर विभाग में कमिश्नर बना दिये गये, इंडस्ट्रीज के कमिश्नर फूड कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर, तो आप बताइये, आप एक तरफ तो कहते हैं कि प्रशासन ढीला चल रहा है, उसमें सुधार लाना चाहिये । अब हमारे जितने योग्य शासक हैं जिनके अनुभव से हम फायदा उठाना चाहते हैं उन लोगों को तो यहाँ से हटा दिया जाय और नये-नये जिनको अनुभव न हो, वह अफसर लाकर यहाँ रख दिये जायं, तो वह तो कर सकते हैं । नया नया आई० ए० एस० मिल सकता है, उसकी तनख्वाह साढ़े तीन सौ या चार सौ होगी, डेढ़ सौ सेक्रेटरियट एलाउन्स देकर उसे बनाया जा सकता है । लेकिन क्या वह ऐडमिनिस्ट्रेशन चला पायेगा और डिसिप्लिन कायम रख सकेगा और फिर उस वक्त भी यह कहा जायगा कि गुप्ता राज यह चल रहा है इसमें कोई इन्साफ नहीं,जिसको जहाँ चाहा बैठा दिया । मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, कि यह आई० सी एस० लोग यह मैं कई मर्त्तबा कह चुका हूं कि जब तक यह सर्विसेज में हैं उस वक्त तक जो कंडीशन आफ सर्विस आज से तीस साल पहले मान ली गई थी, उसको बदला नहीं जा सकता, चाहे वह गुप्ता जी की गवर्नमेंट हो, चाहे सम्पूर्णानन्द जी की गवर्नमेंट हो और चाहे माननीय उग्रसेन जी की ही गवर्नमेंट क्यों न हो ? उनकी कंडीशन आफ सर्विस को बदल नहीं सकते जब तक कि वह संविधान को बदल न दें और तमाम व्यवस्था को न बदल दें । ऐसी सूरत में या तो उनके अनुभवों से फायदा उठाया जाय या उनको हटाकर किसी बेकार सी जगह पर लगा दिया जाय जहाँ आपकी नजर न पड़े, वह कुछ काम भी न करें, और पेंशन के तरीके से बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते रहें और थोड़ी थोड़ी तनख्वाह के लोगों को कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी बनाकर बैठा दिया जाय ।

मान्यवर, कहा गया कि मंत्रिमंडल ५० आदमियों का बड़ा विशाल बनाया गया । मैं फिर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, गवर्नर्स एड्रेस पर भी यही बात उठाई गई थी और उसका जवाब दिया गया था, बजट पर भी उठाई गई थी और उसका जवाब दिया गया था, और आज फिर वही बात उठाई गई है । यह कोई नयी बात तो थी नहीं कि जिसकी वजह से अविश्वास का प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ती । वही घिसीपिटी बातें फिर कही गईं जबकि उनका एक माकूल जवाब दिया जा चुका है । उसमें से ज्यादातर आदमी तो वह हैं कि जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अवैतनिक हैं और जिनको कि इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है, वह ट्रेनिंग जो कि देनी पड़ती है डेमोक्रसी में, वरना अगर एक सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन बनायी न जाय तो कल डेमोक्रेसी का क्या होगा ? यह प्रश्न जो माननीय उग्रसेन जी ने उठाया था कि महात्मा गाँधी के बाद कौन और नेहरू के बाद कौन होगा । तो यह प्रश्न हमारे बड़े बड़े नेताओं के सामने भी है, उनको यह बात सूझती है और वह सोचते हैं कि सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन नहीं होगी तो क्या होगा ? बहरहाल, यह जवाब पहले भी दिया जा चुका है और आज भी वही बात कहनी पड़ रही है ।

एक बात माननीय भगवान सहाय जी ने कही कि कुछ अफसर ५८ से ऊपर अब भी चल रहे हैं । यह बात भी बार बार दोहरायी गई है कि जो कोई टेक्निकल आदमी हैं या योग्य आदमी हैं जिनका कि रखा जाना आवश्यक है तो यह कोई हार्ड ऐंड फास्ट रूल तो है नहीं, कोई लक्ष्मण की रेखा तो खींची नहीं गई है कि उसके बाद रिटायर कर ही दिये जायेंगे । रिटायर हो जाने के बाद उनको रिइम्पलाय करने में उनकी योग्यता देखी जाती है । मैं एक एमीनेंट इन्जीनियर के बारे में आपको बताऊं जिनका नाम मित्रा साहब है। उनकी सर्विसेज महज इसलिये खो दी कि वह शारीरिक रूप से योग्य होते हुये भी केवल उम्र में ५५ या ५८ साल के हो चुके हैं । यदि ऐसा किया जाता तो वह किसी प्राइवेट फर्म में जा कर ५ हजार रुपये माहवार पर नौकर हो जाते । केवल ऐसे कुछ कारणों से हमें एज रिलैक्स करनी पड़ती है ।

[श्री बृजभूषणशरण]

पर आपकी लाजिक मेरी समझ में नहीं आती है। साधारणतौर पर आप का कहना है कि उम्र सबके लिए बढ़ा दी जाय, जो सुपरिन्टेन्डेन्ट है उनकी और क्लर्क आदि की, तो यह मुनासिब नहीं है क्योंकि इसमें इम्पलायमेन्ट और अनइम्पलायमेन्ट का प्रश्न आ जाता है।

आप डाक्टरों को ही ले लीजिये। आप कहते हैं कि उनको रिटायर कर दिया जाय परन्तु आप यह नहीं सोचते कि डाक्टरों की कितनी कमी है। जो सैकड़ों अस्पताल हैं उनमें डाक्टरों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। हम डाक्टरों को रखना चाहते है पर वे मिलते ही नहीं है।

दूसरी बात आप कहते हैं कि बाहर के सेक्रेटरीज़ मत रखो। इससे प्रशासन की स्ट्रीमलाईनिंग कैसे चलेगी। जो डिप्टी कलेक्टर है, जो डिप्टी सेक्रेटरी है वे पुराने होने के नाते कोई गलत सलत काम करेंगे, यह उनसे आशा नहीं की जाती। यदि नया आदमी सेक्रेटेरियेट की सर्विसेज में भर्ती कर लिया जाय तो वह काम नहीं कर पायेगा। कम या ज्यादा तनख्वाह का प्रश्न नहीं है, उदाहरण के लिये आप एक डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को लाकर यहां डिप्टी सेक्रेटरी बना दीजिये तो नतीजा यह होगा कि वह बैठा रहेगा। वह कोई आर्डर पास करने में असमर्थ होगा। इसीलिये मैं कहता हूं कि सेक्रेटेरियट के आदमी ही रखे जायें और इसकी सर्विसेज को अलग कर दिया जाय।

एक बात कही गई कि किसानों से लगान बड़ी सख्ती से वसूल किया जाता है और उनको छूट नहीं दी जाती है। दूसरी ओर आप यह भी कहते हैं कि वसूली क्यों कम होती है। आप कहते हैं कि आप पूंजीपतियों को अधिक प्रोत्साहन देते हैं। यदि इंडस्ट्रियलिस्ट को आप इनकरेज नहीं करेंगे, उसको सुविधायें नहीं देंगे तो आपके प्रदेश में इंडस्ट्रीज कैसे बढ़ेगी? कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में, यहां की पालिसीज की वजह से, यहां से इंडस्ट्रीज उठ कर दूसरे प्रदेशों में चली जाती है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेन कैसे होगा और यदि नहीं होगा तो वह जो भूमि पर भार दिन-प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है वह कैसे घटेगा?

मान्यवर, आपने लालबत्ती दिखा दी है तो मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अंत में, इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी बात विरोधी पक्ष ने ऐसी नहीं कही कि हमारा जो विश्वास है सरकार में और सरकार की नीति में वह हिल सके। मैं कहता हूं कि हम भी देश भक्त हैं, हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं और इस प्रदेश की उन्नति चाहते हैं तो यदि कोई भी व्याख्यान और कोई भी तर्क उनका ठोस होता और उनकी कोई भी दलील सटीक होती तो हम भी अपनी राय बदलते और आपसे सहमति प्रकट करते।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं। कृपया आप अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष—आप हिन्दी में ही बोले परन्तु आप अंग्रेजी के भी शब्दों का प्रयोग कर सकते है। आप खिचड़ी बोलिए।

*श्री ए० सी० ग्राइस—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आज के भषणों को मैंने सुना और मुझे सुन कर बहुत अफसोस हुआ है। इसीलिये मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरू करना चाहता हूं। सन् १९४७ में १५ अगस्त को जब इंडिपेन्डेन्स मिली हम लोगों को और हमलोग उसको सेलीबरेट करने जा रहे थे तो कितनी खुशी थी सब लोगों में। उन दिनों में कोई ख्याल इस बात का नहीं था कि बंगाल, बिहार और आंध्र में कहीं भी फर्क है। कोई इंटेग्रेशन का सवाल नहीं था। हम लोग सब एक थे चाहे वह बंगाली हो और चाहे वह बिहारी हो और चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो। वह सब एक थे। हम लोग सब खुश थे क्योंकि हम को आजादी मिली थी। आजादी मिले इतने दिन भी हो गये हैं और अब तो तीसरा इलेक्शन भी हो गया है। हम लोग कहां जा रहे हैं? आज शोसल इन्टीग्रेशन, पोलिटिकल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्टीग्रेशन आदि की बात कही जाती है। यह सब क्यों है ? यह सब हमारी बदौलत है। यह इसलिये है कि आज हम अपने ही बारे में सोचते हैं। मैं हूं, मैं भी अपने ही बारे में सोचता हूं, हिन्दुस्तान के बारे में नहीं। यह चीज गलत है। मैं तीसरी बार यहां आया हूं और मैंने बहुत से नो कान्फीडेन्स मोशन देखे हैं, सुने हैं और मैंने भी बहुत से आंसू रोये हैं और आज भी मेरी आंखों में खून के आंसू हैं क्योंकि जब यहां पर हाउस के अन्दर, जहां पर कि जनता के चुने हुये लोग है, मैं डिसइन्टीग्रेशन देखता हूं, यहां जो कुछ होता है उसको देखता हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। आपको सोचना चाहिये कि आप क्या कर रहे है ? कहां जा रहे हैं ? क्वैश्चन मार्क लगाकर आप सोचिये कल हमारा क्या होगा ? इसको सोचिये। अभी ६ महीने नहीं हुये है जब कि जनता ने अपना वर्डिक्ट दिया, कांग्रेस को मेजारिटी में चुन कर यहां भेजा और इस बात का फैसला किया कि कांग्रेस इज दि ओनली पार्टी, तो फिर इतनी जल्दी यह मोशन लाने से क्या फायदा ?

टैक्सों के बारे में कहा गया। टैक्स न बढ़ाओ तो क्या होगा ? किसी ने यह नहीं कहा कि टैक्स न बढ़ाकर पैसा कहां से लाया जाय। उसका रास्ता किसी ने नहीं बताया। फिर कैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी होगी। वेसलेस क्रीटीसिज्म इज नो क्रीटीसिज्म। आप कोई ठोस सुझाव दीजिये। ऐसे सुझाव दीजिये जिससे स्टेट का फायदा हो।

आज हम लोग घर जाने वाले थे। लोगों को रक्षाबन्धन पर घर पहुंचना था। १५ अगस्त के दिन घर पहुंचना है। सोमवार के दिन भी अब बैठक होगी। जिसे गोरखपुर जाना है या और दूर कहीं जाना है वह कैसे पहुंचेगा ? कब पहुंचेगा ? मन्डे को बैठक करके आप २५/३० हजार रुपया हम सब को देंगे, किस लिये ? इसलिये कि हमारे पास काफी पैसा है ? आप गवर्नमेन्ट से तो कहते हैं कि इकोनामी करो, क्या हम लोग इकोनामी कर रहे हैं ? हम लोग सत्यानाश कर रहे हैं। मुझे यह सब देख कर अफसोस होता है। हमको चाहिये कि हम सब लोग एक जगह बैठ जायं और सोचें कि इस तरह से हम लोग कहां जायेंगे। हमको क्या करना चाहिये ? यह बात कि अपोजीशन करेंगे, हिन्दुस्तान की आबादी ज्यादा है, सर फुड़वायेंगे यह बात ठीक नहीं है। हम लोग देखें और सोचें कि हम लोग कहां जा रहे है ? उत्तर प्रदेश में जहां भी मुझे टूर करने का मौका मिला, मैंने देखा है कि कहां क्या-क्या हुआ है। मेरे भाई कहेंगे कि आप देहात नहीं गये होंगे। मैं देहात की हालत भी जानता हूं। ईयर बिफोर मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि मुझे गाड़ियां चाहिये, मैं फ्लड में गल्ला बांट रहा हूं। हम सब विलेज लाइफ देख चुके हैं। इसलिये नहीं कि वोट छीनना या लेना है। वह तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का काम है। उसके लिये मैं ज्यादा समय देता भी नहीं हूं और मुझे ज्यादा बोलने का हक भी नहीं है क्योंकि मैं नामिटेडेड हूं। लेकिन मैंने इसपर सोचा है और यह बहुत जरूरी है कि हम गौर करें कि हम लोग कहां जा रहेहै।

नो कान्फिडेंस मोशन लाना और काम रोको प्रस्ताव लाना, यह तो पार्लियामेंटरी डिमोक्रसी है। यह तो होना चाहिये लेकिन आल्टरनेट रिजल्ट क्या है ? सारी अपोजीशन पार्टी कह रही है कि अगर टैक्सेज लगेंगे तो हम लोग हड़ताल करेंगे। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह रुक कर सोचें और मदद करें थर्ड फाइव ईयर प्लान को सक्सेसफुल बनाने में। उसको आगे बढ़ाये और इसके बाद अगर कुछ न हो तो लोगों को मौका नहीं रहेगा कहने के लिये। थैंक यू।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय, मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं। उधर के बोलने वाले एक सज्जन ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी योजना के खिलाफ हैं और हिन्दुस्तान में और प्रदेश में योजना को सफल होते नहीं देखना चाहते। मैं इस बिषय में दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं उधर के बैठने वाले और उस बात को कहने वाले सज्जन से कि क्या हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जब इस बात को डंके की चोट पर कहती हैं कि ६०० करोड़ ब्रिटिश विदेशी पूंजी जब्त करके उसका पूरा उपयोग हिन्दुस्तान के विकास में कीजिये तो क्या हम विकास के विरोधी है ? जब हम कहते है कि ६०० करोड़ की ब्रिटिश विदेशी पूंजी को अब समय आ गया है कि अब भी जब्त करके इसका इस्तेमाल देश के विकास में किया जाय तो

[श्री झारखंडेराय]

क्या हम विकास के विरोधी हैं ? जब हम कहते हैं कि कम से कम क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं कि डेढ़ सौ करोड़ रुपया हमारे देश से जो सूद मुनाफे के रूप में बाहर जाता है उसका निर्यात रोक कर उसको देश के औद्योगीकरण में लगाया जाय ? तो क्या हम विकास के विरुद्ध हैं ? जब हम कहते हैं कि हिन्दुस्तान के मुट्ठी भर भूतपूर्व साम्राज्यवादी पहरुये राजा लोग, बड़े बड़े प्रिंसेज मुनाफे को, उनके ५ करोड़ १० लाख प्रिवी पर्सेज को, तमाम संपति को जब्त करके देश के विकास में लगाया जाय तो क्या हम देश के विकास के विरुद्ध हैं ? आज भी जब हम कहते हैं कि केवल १७ राजे-रजवाड़ों में प्रत्येक को १० लाख से भी ज्यादा वार्षिक रुपया हिन्दुस्तान की गाढ़ी कमाई का देना बन्द कीजिये खुदा के नाम पर तो क्या देश के विकास के हम विरोधी हैं ? जब हम कहते हैं कि आज भी खुदा के नाम पर हमारे देश की गाढ़ी कमाई का बत्तियों करोड़ रुपया बाहर भेज कर होटलों में मौज करने के लिये अंग्रेजों के देशमें भूतपूर्व सर्विसेज के रूप में पेशनों के रूप में बाहर भेजते हैं उसे बन्द करके अपने देश के विकास में लगाइये तो क्या हम विकास के विरोधी हैं ? जब हम कहते हैं कि संविधान के नाम पर आई०सी० एस० सर्विसेज के नाम पर लाखों रुपया टी० ए०, डी० ए० के रूप में बड़े बड़े आफिसर्स को देना बन्द कीजिये और हिन्दुस्तान में अधिकतम वेतन १००० से ज्यादा नहीं होना चाहिये यही देश के पिछड़ेपन का तकाजा है तो क्या हम विकास के विरोधी हैं ? जब हम बराबर कहते रहे कि बड़े जमींदारों और ताल्लुकेदारों को मुआवजा न दीजिये और उस रुपये को देश के विकास में खर्च कीजिये तो हम क्या विकास के विरोधी हैं ? ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं । और उत्तर चाहता हूं ।

हम इस बात को कहते हैं कि बड़ी बड़ी फिजूलखर्चियों को रोकिये । इस तरह से फुलझड़ी छोड़ने से काम नहीं चलेगा जैसा कि गुप्ता जी ने आते आते छोड़ी थी मितव्ययिता के नाम पर । जब हम डंके की चोट पर कहते हैं बाहर, भीतर, संसद में और हिन्दुस्तान की असेम्बलियों में कि इन फिजूलखर्चियों को रोको तो क्या हम विकास के विरोधी हैं ? हम तो कहते हैं कि इस सरकार को खत्म करना, इस सरकार को देश के कोने कोने से उखाड़ कर फेंक देना, हिन्दुस्तान के सामूहिक चतुर्मुखी एवं प्रगतिशील विकास के लिये जरूरी है, और कोई उपाय नहीं है ।

मान्यवर, समाजवादी देशों की बात मैं नहीं कहता, कम्युनिस्ट मुल्कों की बात नहीं कहता, उतना साहस इस सरकार में हो नहीं सकता है लेकिन क्या इस सरकार में और कांग्रेस सरकार के वजीर आजम पंडित नेहरू के अन्दर मिस्र के कर्नल नासिर की भी हिम्मत नहीं है ? क्या नन्हें क्यूबा के राष्ट्रपति कैस्ट्रो की हिम्मत नहीं है ? पिछड़े घाना के नवकूमा की हिम्मत नहीं है ? अथवा ईराक के कासिम की भी हिम्मत नहीं है ? क्या वे विदेशी पूंजी जब्त नहीं कर दिये ? तो कांग्रेस सरकार क्यों नहीं करती है ? ये हमसे कहते हैं कि हम विकास के विरोधी हैं और वह बड़े प्रतिपादक हैं । इसलिये इस बात की जरूरत है कि इस सरकार को उखाड़ फेंका जाय, इसको रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ३४ फीसदी वोट पाकर सरकार कहती है कि वह बहुमत प्राप्त किये हुये है। आज यह वोट का तरीका ही गलत है जिससे अल्पमत पाने वाली पार्टी बरसरे के एक्तिदार है वरना हाउस का नक्शा ही दूसरा होता। जो विकास का पूंजीवादी तरीका इस सरकार ने अपनाया है यह विकास का तरीका देश और प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमारी सारी योजनायें एक संकट के बीच में फंसी हुई हैं, साधनों के संकट में और उस संकट को हल करने के लिये मुख्य मंत्री जी को उनके सलाहकारों को अलग अलग चलने वालों को, उनकी पार्टी को और सरकार को एक ही तरीका दिखाई पड़ रहा है कि जनता की कर बोझ से झुकी हुई कमर को तोड़कर रख दो। यह विकास नहीं विनाश है।

इस समय करोड़ों की पूंजी जिसके हाथ में है, पूंजी का एकत्रीकरण कहाँ हो रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं से क्या हुआ ? पार्लियामेन्ट में नेहरूजी कहते हैं ५० फीसदी देश की आय बढ़ गई। मैंने माना बढ़ गई। गया कहाँ ? इसके लिये इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है। चोरों को खोजने के लिये चोर निकल पड़े मालूम पड़ते है—आफिसर लोग उसकी

खोज करने में लगे हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय आय और सम्पति बढ़ी लेकिन वह सारी—उसका ७० प्रतिशत पूंजीपतियों की जेब में चली गयी—जिनकी रक्षा कांग्रेस सरकार तथा माननीय मुख्य मंत्री जो स्वयं करते हैं नग्न रूप में, छिपकर भी नहीं इसमें उनको कोई झेंप भी नहीं मालूम पड़ती। उस आय का बहुत थोड़ा सा हिस्सा करोड़ों किसानों मजदूरों तथा गरीबों में बट गया। इसलिये उनको नहीं मालूम पड़ता कि उनकी कोई आय बढ़ी भी है। यही कारण है कि सरकार को भी झक मार कर कहना पड़ा कि हमारे प्रदेश की परकैपिटा इनकम बढ़ी नहीं है। इसमें लोगों का मतभेद है। कोई कहता है नहीं बढ़ी है और कोई कहता थोड़ी बढ़ी है। लेकिन हमारे प्रदेश की इनकम पूरे देश के मुकाबले में घटी है। क्या यही आपकी १० वर्ष की योजनाओं का फल है ?

मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के शासनकाल में खाद्य की समस्या हल हो गयी ? भूमिसुधार के कार्य भी नहीं पूरे हुये। हदबंदी से भी केवल डेढ़ लाख एकड़ जमीन मिलने की आशा है। क्या हमारे प्रदेश में बड़े उद्योग धंधे बढ़े ? नहीं। पब्लिक सेक्टर में ११ बरस से आज तक दो का रोना रोया जाता है—एक प्रेसीजन इन्सट्रूमेन्ट फैक्ट्री का और दूसरा चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री का। लेकिन क्या और कोई बड़े उद्योग धंधे आपने खोले ? क्या उद्योग धंधों के बारे में हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है ? नहीं। पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने का जो लक्ष्य प्लानिंग कमीशन ने घोषित किया था, क्या हम इन दो योजनाओं में उस लक्ष्य में आगे बढ़े हैं ? क्या हमारी परकैपिटा इनकम बढ़ी है ? क्या हमारी राष्ट्रीय आय प्रदेश में बढ़ी है ? क्या बेकारी दूर हुई है ? यह आज भूत की तरह मुंह बाये हमारे सामने खड़ी है और मालूम पड़ता है वह इस सरकार को डस जायगी। आज सारे देश को दो करोड़ बेकारों में से २०–२५ लाख हमारे प्रदेश में है। आपकी इन दो योजनाओं से किस मामले में प्रदेश आगे बढ़ा है ? किस माने में लक्ष्यों की पूर्ति हुई है ? फिर तीसरी योजना में जनता को किस प्रकार से आपके ऊपर भरोसा हो कि जो विकास का कार्य सरकार करेगी और उसके लिये जो रुपया वह लेगी उसका सदुपयोग किया जायगा।

मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हमारे प्रदेश को आगे ले चलने का कोई रास्ता है तो वह है—सामन्तवाद पूंजीवाद को समाप्ति करके विकास का गैरपूंजीवादी पथ पकड़ना और बढने का रास्ता। अगर इस सरकार में हिम्मत है तो वह आगे बढ़े। हम उनका साथ देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि आपका रास्ता सही हो। लेकिन अगर आपका रास्ता गलत है तो हम किसी भी प्रकार से आपका साथ देने को तैयार नहीं होंगे। हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे, जिन्दगी भर लड़ेंगे कदम-कदम पर लड़ेंगे उसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते।

माननीय मुख्य मंत्रीजी जब आये तो उनसे हमें दो बातों की बहुत बड़ी आशा थी किफायतसारी और नौकरशाही का नियंत्रण, लेकिन बड़े दुखः का विषय है कि वह पूरा ढकोसला ही साबित हुआ। विरोधीदलों को आशा थी कि कम से कम ब्यूरोक्रेसी की नाक तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के हाथ में है। लेकिन वह उनकी नाक पकड़े हुए जरूर हैं परन्तु अपनी पार्टी के हित के लिये भी नहीं केवल अपने गुट के हित के लिये वे उनकी नाक को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। यह विशेषता है उनकी। अपने गुट के लिये ब्यूरोक्रेसी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने जिले जिले में छोटे छोटे गुप्ताओं को पैदा कर दिया है उनका एक एक आदमी अपने को गुप्ता ही समझता है। डी० एम०, एस० पी० हो या और कोई आफिसर हो, कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। बस्ती के खलीलाबाद क्षेत्र में एक पुराने विधायक हैं। वह एस० डी० एम०, थानेदार या डी० एम०, एस० पी० बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० आदि से साफ तौर से कह देते हैं कि खबरदार कहीं बोले तो खैर नहीं है। इस हद तक जिलों में हस्तक्षेप हो रहा है। हमने संपूर्णानन्द जी की भी सरकार देखी और पंतजी की भी सरकार देखी लेकिन आजकल के समान शासन में निम्नतम हस्तक्षेप कभी नहीं देखा।

आज पूरी सरकारी योजनाओं का एक ही फल हो रहा है और वह यह कि धनी और धनी होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। मोटे तौर पर कुछ आदमियों का धन

[श्री झारखंडेराय]

बढ़ता जाता है और लाखों करोड़ों आदियों की गरीबी बढ़ती जा रही है। इसलिये आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण ही साधन है संकट से निकलने का और इसके लिये संविधान भी बदला जा सकता है, बदला जा रहा है और उसे बदलना चाहिये। संविधान कोई बाइबिल या कुरान नहीं है जिसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता। संविधान को बदल कर आप विदेशी पूंजी को रोकें, विदेश जाने वाले रुपये को रोकें, उनकी पेशनों को रोकें उनकी पूंजी पर कंट्रोल करें और जो बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं उनका राष्ट्रीकरण करें तब साधनों का संकट दूर हो सकता है और देश की तरक्की हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस पूंजीवादी सरकार को खतम नहीं किया जायगा तब तक हमारे देश में गैर पूंजीवादी तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता।

*कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के प्रायः सभी प्रमुख नेताओं की स्पीच को काफी गौर और शान्ति के साथ सुना और उसको सुनने के बाद मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि अगर इसी प्रकार की बातें आज यहाँ कही जाने को थीं तो उसके लिये नो काँफिडेंस का प्रयोग करना कोई ज्यादा होशियारी की बात नहीं है। नो काँफिडेन्स मोशन अपोजीशन के हाथ में एक आखिरी हथियार होता है और आखिरी हथियार का अगर ठीक उपयोग न किया जाय तो उस हथियार की कीमत भी कम हो जाती है और करने वालों के लिये भी वह कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं रहती है।

जहाँ तक जो बातें कही गयी हैं उनके बारे में मुझे थोड़ी सी शिकायत आज यह जरूर है कि बहुत सी बातें दोहरायी ही नहीं गयीं बल्कि जो बातें दोहरायी जाती भी थीं वे बहुत बेजान तरीके से दोहरायी गयीं सिवा झारखंडे राय जी के जिन्होंने उस कमी को जबरदस्ती अपनी ट्रेनिंग के खिलाफ पूरा करने की कोशिश की। आज किसी भी अपोजिशन की स्पीच में कोई जान नहीं थी और उससे पता चलता है कि वे इस बात को महसूस करते हैं कि आज का दांव उनके उल्टा पड़ गया और मुनासिब मौके पर यह बात नहीं हुई है।

जहां तक भाषणों का ताल्लुक है मैं संक्षेप में अपनी बात न कह कर जो बातें उधर से कही गयी हैं उन्हीं का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। दुबे जी इस सदन में विरोधी दल के नेता हैं, उनकी सारी स्पीच का एक ही सार था कि प्लानिंग में काफी अन्धाधुन्धी हो रही है यानी अंधाधुंधी है, भ्रष्टाचार है, और गरीबी बढ़ रही है। मान लिया जाय कि बेकारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस मर्ज का इलाज क्या है? प्लानिंग तो इसीलिये न की जाती है कि गरीबी दूर हो, बेकारी दूर हो, लेकिन मालूम होता है कि दुबे जी पर इसका यह असर पड़ा कि वे प्लानिंग के मौलिक सिद्धांतों के ही खिलाफ हैं। मोटे तौर पर यह मेरा खयाल है कि देश में जो अपने को ईमानदार व्यक्ति समझते हैं उनकी राय यही है और वे यह महसूस करते हैं कि चूंकि देश में गरीबी, बेकारी, व भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है इसलिये प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। इसके विरुद्ध जिस पार्टी से मैं सम्बद्ध हूं उसका यह विश्वास है कि अगर प्लानिंग न होती तो यह मर्ज और ज्यादा हो सकता था लेकिन प्लानिंग की वजह से ही वह ज्यादा नहीं बढ़ सका है। आपने वह पहलू नहीं देखा। मान लीजिये यह पहलू न होता तो और भी भयंकर बेकारी हो सकती थी, जैसे आज से २२ साल पहले बंगाल में ३५ लाख आदमी भूख से मर गये। तो प्लानिंग में कोई फौरन फायदा नहीं होता। हम नहीं कहते कि कोई प्लान समस्याओं को फौरन दूर कर देता है। लेकिन इतना जरूर है और मानना पड़ेगा कि समस्या को हल करने की एक दागबेल डालती है। हमने प्लानिंग को अपनाया है और वह कोशिश की है कि जैसे गरीबी, बेकारी, अशिक्षा या और बहुत सी जो खामियां हैं वे दूर हों। इसलिये मैं समझता हूं माननीय यादवेन्द्रदत्त जी को दलीलों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से मेरे लिये यकीन दिलाना मुश्किल है। लेकिन उनकी बातों से मुझ पर यह जरूर असर पड़ा कि प्लानिंग और ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों की चर्चा की, कुछ के नाम भी लिये। अब किसने क्या कहा इससे मेरा खयाल है, एक बात की उनको कांग्रेस पार्टी की दाद देनी चाहिये थी कि यह इतनी डेमोक्रेटिक पार्टी है कि इसका हरएक मेम्बर सही बात कहने में हिचकिचाता नहीं है। हमारे यहां भी ऐसे आदमी हैं जो महसूस करते हैं कि हम सब बातों में सफल नहीं हुए, आज भी भ्रष्टाचार, बेकारी, भुखमरी आदि है। मगर इनको दूर करने के लिये यह कदम हमने उठाया है। वह उसके बारे में बता सकते हैं कि सही कदम है या गलत है।

एक दलील और दी जाती है कि फिजूल खर्ची बहुत है और सरकार की साइज बहुत बड़ी हो गई है। मेरा खयाल है अगर फिजूल खर्ची का मसला और आने वाले टैक्स का मसला इसी मसले से बंधा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी में काफी लोग ऐसे निकल सकते हैं आप आपस में तय कर लीजिये कि प्लानिंग को सपोर्ट करते हैं और नेशनलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं तो हम लोग बहुत से अपने आप हट सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में मिसालें बेतरतीब हैं और इनके लिये किसी बड़ी दलील की जरूरत नहीं है।

जहां तक माननीय उग्रसेन जी का ताल्लुक है, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकता, उनसे डर लगता है, बहुत आजाद जबान के आदमी हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह ३० साल पहले की दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि महात्मा गांधी ने यह बताया था कि जब आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शोषण हो तो हमारा हक है उस सरकार को हटा देने का। तो माने यह हैं उग्रसेन जी के खयाल से कि हिन्दुस्तान में कोई तब्दीली नहीं हुई। ३० साल पहले जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण था वही आज भी उन्हें चारों तरफ दिखाई देता है। मुझे आश्चर्य मालूम होता है इस माने में कि आर्थिक शोषण को कम करने के कई ठोस कदम उठाये गये हैं, जैसे जमींदारी का खातमा हुआ, मजदूरों को एक तहफ्फुज देना, उनके घंटे मुकर्रर करना, उन्हें पार्टनर बनाना, यह सब ऐसे कदम हैं जो आर्थिक शोषण के दायरे को कम करते हैं, लेकिन इनको भी वह नहीं मानते और कहते हैं कि आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण अब भी जारी है। वह यह जरूर कह सकते हैं कि मुकम्मिल आर्थिक शोषण खत्म नहीं हुआ, यह मैं मान सकता हूं लेकिन यह कहना कि आर्थिक शोषण हमारी तरफ से हो रहा है, गलत है। यह मैं कह सकता हूं कि आर्थिक शोषण प्रचलित था। उसको कम करने के लिये जो तरीके हम सोच सकते थे एक दो तीन उन्हें हमने अपनाया और चौथा बाकी रह गया हो।

एक दलील दी जाती है कि सरकारी नौकरों की तनख्वाहें ३,५०० पये हैं। कम क्यों नहीं कर देते हैं? झारखंडे राय की कुछ बातों को सुन कर आश्चर्य हुआ। इस मानी में हमारा खयाल यह है कि हर पिछड़ा देश अपनी तरक्की लिये चाहे वह सोशलिस्ट देश हो, चाहे कैपिटलिस्ट देश हो, दो चीजें उसे दुनिया से लेनी होती हैं, एक टेक्नीक और दूसरे कैपिटल सोवियट रूस जैसे देश के, जिसे कोई मदद नहीं देना चाहता था, ट्रांस्फार्मेशन में अमेरिकन टेक्नीक और कैपिटल का बहुत हाथ रहा है। कोई दरवाजा बन्द नहीं कर सकता इस मामले में। हां कैपिटल को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन वह हम कर सकते हैं या नहीं यह सवाल है। यह बात नहीं कि हमारे दिमाग में यह बात नहीं आती। यह हम भी समझते हैं कि विदेश को एक पैसा भी सूद का नहीं जाना चाहिये। लेकिन यह बात मुश्किल है। सवाल यह है कि क्या हिन्दुस्तान के हालात में जिस तरह हमें पोलिटिकल फ्रीडम मिली है ऐसा किया जा सकता है? रूस, चीन, पोलैंड, बलगेरिया, यूगोस्लाविया के लिये यह बात आसान थी क्योंकि इंकलाब के बाद सोशलिस्ट सोसाइटी का वहां निर्माण हुआ है। इसलिये वहां जो ताकतें सोशलिस्ट सोसाइटी की उन्नति में बाधक हो सकती हैं उनको खत्म कर दिया गया है। लेकिन यहां ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म ने पुरअमन तरीके से हमें आजादी दी है। लिहाजा जो व्यवस्थायें हैं, जो कौल हैं, जो इकरारनामे हैं उन सब को हमें मंजूर करना पड़ा है। अगर आप कहें कि फौरन उनको तोड़ दीजिये, तो आप कह सकते हैं। लेकिन पीसफुल रिवोल्यूशन में सब एडवांटेज नहीं होते।

[श्री गोविन्दसहाय]

पुरअमन तरीके से समाजवाद लाने का जो क्रम है जो उसूल हैं वे वायलेंट रिवोल्यूशन के बाद जो हालात बनते हैं क्रम और उसूल बनते हैं, वे यहां लागू नहीं हो सकते। जहां भी सोशलिस्टिक उसूल हैं, मैं समझता हूं आज भी जो मतभेद है वह यही है कि टेक्नीक उन उसूलों के लागू करने की क्या है ? क्या हिन्दुस्तान की वस्तुस्थिति में सोशलिस्टिक उसूलों को उस ढंग से लागू किया जा सकता है जिस ढंग से चीन रूस वगैरह में किया जा सकता है ? यह नहीं किया जा सकता है और मेरा खयाल यह है कि आज इंटरनेशनल कम्युनिज्म भी इस बात को मानने लगा है कि पिछड़े देशों में जहां पुरअमन तरीके से आजादी हासिल की गयी है उन में सोशलिज्म लाने की टेक्नीक दूसरी होगी और उन देशों को कुछ अर्से तक कम्प्रोमाइज करने होंगे। यह बात अपनी जगह बहुत अच्छी लगती है।

मैं अपने मित्र झारखंडे राय को यकीन दिलाता हूं कि हम को भी किसी से कम तकलीफ नहीं होती है जब एक भी पैसा सूद में बाहर जाता है या जब किसी को ३,५०० रुपये तनख्वाह मिलती है और हमारे चपरासी को बहुत कम तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो पीपुल तरीके का ढांचा बना हुआ है उस को यकायक तोड़ा नहीं जा सकता। उसके इकरारनामे हैं। उनको तोड़ कर अगर हम कुछ करेंगे तो वह उलझन पैदा हो सकती है कि सोशलिज्म की ताकतें पनप कर काउन्टररिवोल्यूशन की ताकतें पनप सकती हैं। बहुत से मुल्कों में बहुत से नेताओं ने जल्दी में ऐसे कदम उठाये और उसका नतीजा यह हुआ कि काउन्टर रिवोल्यूशन वहां हुआ। वरन यह तो किसी भी दिन किया जा सकता है कि कैपिटलिज्म को खत्म कर दिया जाय। एक खास तौर पर कैपिटलिज्म पहुंच जाय टैक्नीक तथा पूंजी को ले कर और उसको फिर सोशलाइज करना २४ घंटे की बात है, लेकिन अगर कच्चे हालात में कुछ किया जाता है तो बहुत खतरनाक बात हो सकती है। लिहाजा हिन्दुस्तान के हालात में झारखंडे राय की बात लागू नहीं हो सकती। मेरा कहना है कि यहां की कम्युनिस्ट पार्टी एक ही बात अपनाये होती कि हिन्दुस्तान में सोशलिज्म के उसूलों को कैसे लागू किया जाय तो मेरा खयाल है कि आज वह बहुत आगे होती। उनके खिलाफ चार्ज यह रहा है कि वह हिन्दुस्तान की जमीन, आबहवा, मिट्टी और सोचने के ढंग के अनुकूल नहीं चल पाते हालांकि उनके उसूलों में कोई त्रुटि नहीं है। उनके तरीकों में, उनकी जो आकांक्षा है उसमें, कोई कमी नहीं है। उनमें बेचैनी है, उनमें गरीबों के लिये दर्द है लेकिन दर्द होने से ही काम नहीं होता, उस दर्द को दूर करने के टेक्निक्स हमें हालात के मुताबिक समझने होंगे। इसलिये हिन्दुस्तान में ये बातें हम करना भी चाहें तो व्यावहारिक तरीके से आज कर नहीं सकते।

श्री गेंदासिंह—क्या नहीं कर सकते, यह समझ में नहीं आया ?

श्री गोविन्दसहाय—जो आपने बताया कि यह यह काम करिये उसमें ये ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। फिर आपको मौका होगा कि जो काम रह गये हों उनको आप मेरे भाषण से फायदा उठाकर कह सकते हैं। जब आप एक बात सामने रखते हैं तो दूसरा पक्ष क्या है उसको सामने रखने का हक है। फिर भी अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो आप उसे बता सकते हैं। मेरा खयाल है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं हिन्दुस्तान में सोशलिस्ट ट्रांसफार्मेशन को हमें बहुत धीमे धीमे और स्टेडी ढंग से लाना पड़ेगा और उसके लिये जो कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाये हैं, हो सकता है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी हो, हम में से काफी ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि एग्जीक्यूशन हमारा उतना अच्छा नहीं है।

मेरे मित्र दुबेजी ने एक बात और कही थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पीछे कोई विचार ही नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि शायद दुबेजी ने किताब वगैरह पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। पहली योजना के पीछे विचार था, दूसरी के पीछे विचार था और तीसरी के पीछे भी विचार है। यह कहना कि कोई विचार ही नहीं है कोई इंसाफ की बात नहीं है। अगर दुबेजी कष्ट करें तो मेरा खयाल है कि उन्हें उसमें एक विचारधारा मिलेगी। पहली योजना के पीछे जो विचारधारा थी वह एक ही थी कि हमारे देश में जो आज हर चीज में कमी है, जो स्केयरसिटी

साईकोसिस है उसको हम दूर करें। पहली योजना के पीछे कोई इंकलाब लाने का या गरीबी और बेकारी दूर करने का विचार नहीं था और हमारा आज भी यह दावा नहीं है। पहली योजना ने ऐग्रीकल्चर को सुदृढ़ बुनियादों पर ढालने की कोशिश की और जो हिन्दुस्तान में हर चीज की कमी थी उस कमी पर हावी होने की कोशिश की। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने ऐग्रीकल्चर के साथ उद्योग की बुनियादों को सुदृढ़ करने की कोशिश की और उसके साथ सोशल अपलिफ्ट की कोशिश की। कोई भी जो प्लानिंग के क्रम से वाकिफ है यह दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार, गरीबी और बेकारी, ये सारी समस्यायें पहली या दूसरी योजना से हल हो सकती हैं। प्लानिंग का एक क्रम है और उस क्रम के अन्दर बुनियादी फर्क है। आज नहीं तो कल मेरा यह विश्वास है कि हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिये हमें एक बलिदान की आबहवा, एक कष्ट सहने की आबहवा, एक लगन की आबहवा पैदा करनी होगी। वह हम पैदा नहीं कर पाये इसे मैं मानता हूं और इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी पोलिटिकल मैकेनिज्म पर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोग उस स्टेज पर पहुंच गये हैं जबकि साफ अल्फाज में हमें अपने लोगों से कहना पड़ेगा कि बेकारी और गरीबी के दायरे को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो लाखों और करोड़ों आदमियों को उसके तोड़ने में सहयोग और बलिदान देना होगा और कष्ट भी उठाना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक ढंग से हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा। विचारों की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अगर लीडर्स चाहें तो निराशा का वातावरण पैदा कर दें और अगर वे चाहें तो एक आशा और बलिदान का बातावरण पैदा कर दें।

आखिर यही किसान हैं जिनको हमने तैयार किया था कि तुम्हें लगान बन्दी का आन्दोलन करना पड़ेगा, तुम्हें जमींदारों के जुल्म से बचने के लिये जेलों में जाना पड़ेगा और वे लोग जेल गये और कष्ट उठाया। (व्यवधान) यह जो बात मैं आप से कह रहा हूं, एक लार्जर प्लेन पर मैं कोशिश कर रहा हूं। यह मेरी बदकिस्मती होगी अगर आप पूरे तरीके से वहां न पहुंच पायें। अगर आप यह कहते कि यह आपको करना चाहिये था और यह आपने नहीं किया है और जो कुछ आपने किया है उसमें गलतियां की हैं, इसका अगर आप कैटेलाग पेश करते तो आपका केस बन जाता। लेकिन आज ऐसी कोशिश नहीं की गई है और मेरा खयाल यह है और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता। लेकिन कांग्रेस में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह समझते हैं कि हर बात ठीक नहीं हो रही है। बहुत सी बातें हम आपको बता सकते थे। उतनी बातें भी आपकी तरफ से नहीं कही गई हैं। मैं नहीं समझ सका कि आपने इसे न जाने कैसे पेश कर दिया है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आपने किसी धुन में इसे पेश कर दिया है और इस प्रस्ताव के साथ न तो आपका दिल है और न आपका दिमाग ही है। इसलिये मुझे इस प्रस्ताव से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस प्रस्ताव को पेश करने की किस की जिम्मेदारी है। अगर इस को पेश न किया होता तो ज्यादा ठीक होता। फिर भी कभी कभी यह कोशिश जारी रखेंगे तो हमेशा आप फायदे में रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि निजी तरीके से मुझे आज की डिबेट में बड़ी निराशा हुई। इस माने में कि डेमोक्रेसी का उसूल यह है कि अपोजीशन की बात को सुनना चाहिये। जो बात आप कहते हैं मैं उसका पूरा असर लाने की कोशिश करता हूं और माननीय दुबे जी की बात का तो वैसे भी असर पड़ता है और उनकी वाणी भी मजबूत है और वाणी के साथ साथ वे अपना वजन भी डाल देते हैं तो उनकी बात और भी मजबूत हो जाती है। इसलिये मैं समझ रहा था कि पहली बार है और मैं उनकी बात को बड़े गौर से सुन रहा था और मेरा खयाल यह है कि उन्होंने कुछ बात बड़ी उजलत में कह डाली। मैं समझता हूं कि इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। ५-७ मिनट कहने के बाद वे भ्रष्टाचार के ऊपर आ गये। यह कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी कबूल करते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्यापक है। लेकिन सवाल यह है कि इसको दूर कैसे किया जाय। यह सवाल हमारे सामने आता है। यह केवल कहने से दूर नहीं होगा। एक बेईमान दूसरे बेईमान से रोज कहता है कि बेईमानी नहीं करनी चाहिये लेकिन मौका पड़े तो चूकना नहीं चाहिये। आखिर क्या गवर्नमेन्ट कहती है कि भ्रष्टाचार करो ?

[श्री गोविन्दसहाय]

इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में और सोसायटी के इंटरेस्ट में कांफ्लिक्ट होता है। अभी तक हमारे देश में यह चीज पैदा नहीं हुई है और वह कुरबानी नहीं करना चाहते हैं। हर आदमी अपने लिये सोचता है कि भ्रष्टाचार की उपज है यह सोसायटी जिसमें यह सिखाया जाता है कि हर आदमी को अपना इंतजाम अपने आप करना है। इसके लिये कई क्षेत्रों से कदम उठाना पड़ेगा। ऐडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट, एजुकेशन फ्रंट, कल्चरल फ्रंट, और जुडीशियल फ्रंट यानी सब तरफ आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा तब आप इसको दूर कर पायेंगे। वरना आप इसको दूर नहीं कर सकेंगे। हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है नहीं जितना कि कहा जाता है। जहां भ्रष्टाचार है उसको लोकलाइज करना चाहिये और उसके लिये सुझाव आने चाहिये। महज कहने से यह दूर नहीं होगा। हम आज बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें और सफलता प्राप्त करें। यही सिस्टम जारी रहे। इसमें हम और आप बदला-बदली कर सकते हैं तो उस सिस्टम को सफल बनाने के लिये जो ट्रैडीशंस हैं वह भी बनाने पड़ेंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—खत्म हो रहा है भाषण, फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाइयेगा।

श्री गोविन्दसहाय—मैं सिर्फ इतनी बात आखिर में कह रहा था, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, इतिहास ने हम सबको एक जिम्मेदारी दी है। वह जिम्मेदारी यह है कि देश को समाजवाद की तरफ ले जायं, देश में गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, और बहुत सी अन्य कमियों को खत्म करके देश को सुखी और सम्पन्न बना सकें। उसके लिये जरूरी है कि हम एक दूसरे की नीयतों पर यकीन करें। अगर हम एक दूसरे को यह कहें कि आप भ्रष्टाचार को इंजेक्ट करते हैं, तो इससे ऐटमास्फियर खराब हो जायगा। हमें ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये जिससे हम वातावरण को बदल सकें। वातावरण का बड़ा असर होता है। स्वस्थ वातावरण में अगर एक कमजोर स्वास्थ्य का आदमी सांस लेता है, तो वह भी स्वस्थ हो जाता है और खराब वातावरण में एक स्वस्थ आदमी भी कमजोर हो जाता है। इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक क्लाइमेट हमें ऐसी बनानी चाहिये जिसमें डेमोक्रेटिक तरीके से एक दूसरे को बल दे सकें। उसके साथ इस देश को सुख और समृद्धि की सड़क पर डाल सकें। हमने जो कदम उठाये हैं, मेरा खयाल है कि वह प्रारंभिक और मौलिक भी हैं। अगर उसमें त्रुटियां हैं तो हम जानना चाहेंगे। लेकिन महज यह कहना कि सब कदम गलत ही उठाये हैं और उनके अंजाम गलत ही हुये हैं, बीमारी की खौफनाक शक्ल को देख कर घबड़ा जाना, इससे बीमारी दूर नहीं होती। बहुत सी बीमारियां जब मरती हैं तो बढ़ जाती हैं। बहुत सी बीमारियां अब आखिरी दौर पर हैं, उनका दायरा मुस्तैदी के साथ कम करने की जरूरत है।

श्री लखीसिंह—दो दिन दिये हैं आपने अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस करने के लिये और पचास मंत्री हैं। अगर आपने माननीय मंत्रियों को समय दे दिया तो हम तो रह ही जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, आप बैठिये। माननीय सत्यदेव !

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—एक निवेदन करना है। साढ़े चार बज गये हैं, रिपब्लिकन पार्टी का रिप्रेजेन्टेशन कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री श्यामलाल—हमारी आवाज को दबाइये नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप को आदेश दिया जाता है कि आप बैठ जाइये। आप बैठ जायं। आप बैठ जायं।

श्री श्यामलाल—हम बैठ रहे हैं, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये।

*श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, आज विवश हो कर मुझे इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ रहा है, जिसको विरोधी पक्ष के नेता जनसंघ पार्टी के लीडर राजा साहब जौनपुर ने मूव किया है। मैं चाहता तो यह था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य होने के नाते—हमारी और कांग्रेस की अलहदगी आजादी के बाद हुई है—उससे हम को ज्यादा मोहब्बत होती, मैं उसके गुणों को सुन कर ज्यादा संतुष्ट होता, उसकी जगह जगह तारीफ होती और मुझे संतोष होता, लेकिन अफसोस और यह दुख होता है कि जनसंघ जैसी पार्टी के प्रस्ताव का मुझे समर्थन करना पड़ रहा है कि जिस पार्टी के सिद्धांतों से हमारा मेल नहीं खा सकता। आप यह इत्मीनान रखें कि कभी भी जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं किया उससे या उसके प्रस्ताव के समर्थन में हमारा मेल नहीं खा सकता। जो समर्थन कर रहे हैं वह इस खयाल से कर रहे हैं कि आज ऐसी स्थिति कांग्रेस ने पैदा कर दी है कि जिसमें हमारे लिये कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। जैसे किसी गांव में विभिन्न पार्टीज होती हैं, अलग अलग गुट होते हैं लेकिन जब कोई महामारी आती है तो उस वक्त आपस में वैमनस्य खत्म हो जाता है। उस महामारी के मुकाबले में सब की राय एक हो जाती है। वही स्थिति आज हमारी यहां हो रही है। ये कम्युनिस्ट, स्वतंत्र, प्रजासोशलिस्ट, सोशलिस्ट और जनसंघ जितने आज इस सदन में हैं सब को मृत्यु सामने खड़ी दिखाई पड़ रही है। अगर यह जहाज डूबता है तो जो भी इसके ऊपर सवार है, चाहे वह जनसंघ हो, हिन्दू महासभा हो, सोशलिस्ट हो, किसी का हाथ पकड़ कर बचाने की कोशिश कर सकता है।

आज आप खुश हैं और सोचते हैं कि सुरक्षित स्थान में हैं। आपको यह इत्मिनान है कि आप बहुमत में हैं और विधान के अंदर हमसे जल्दी कोई सीट खाली नहीं करा सकता है। जो भाषण यहां पर हुये हैं उनको सुनकर आप भले ही अपने को सुदृढ़ फील कर लें लेकिन एक दिन आपको सोचना पड़ेगा। इसी सदन में कहा गया था कि टंडन जी, जो कांग्रेस के नुमायन्दे थे, जिस समय यहां पर स्पीकर थे तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि यदि एक भी विरोधी सदस्य हमारा विरोध करने के लिये तैयार होगा तो वह कुर्सी खाली कर देंगे। जो आपका आदर्श था उसको भूल रहे हैं। अब जो आपके कारनामे हैं, भले ही आप बहुत खुश हैं, उनके आधार पर ही विरोधी आपस में मिल रहे हैं, जिनका आपस में कोई मेल नहीं खाता लेकिन वह एक कौमी लक्ष्य के लिये इकट्ठा हो रहे हैं। इस पर आपको खुशी हो रही है। आप यह नहीं समझ रहे हैं कि आखिर कौन सी बात है? क्या कारण है और हमने ऐसी कौन सी खराबी की है कि जो चन्द रोज पहले हमारे साथ थे वे अलग हो रहे हैं और वे भी हमारा विरोध कर रहे हैं। यह ऐसी बातें हैं जिन पर आपको गौर करने की जरूरत है।

अभी हमारे भाइयों ने कुछ छोटे-छोटे आरोप लगाये कि फलां कलेक्टर ने यह किया और फलां से यह कराया। आप इसको बहुत लाइटली फील करते हैं। छोटा मर्ज समझकर इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं लेकिन मैं आपको इत्मिनान दिलाना चाहता हूं कि जो छोटी चीज आज आपके सामने खड़ी है वह कभी विशाल रूप धारण कर सकती है और भयंकर स्थिति आपके लिये पैदा कर सकती है। आप समझते हैं कि हम अमर यहां पर बैठे हैं लेकिन इतना जरूर समझिये कि जो आप प्रीच करते हैं और उपदेश देते हैं कि आप सुरक्षित हैं, कोई पुलिस अफसर आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, किसी कलक्टर का आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है और आपकी पार्टी के ऊपर उनका वरदहस्त है लेकिन यह समझिये कि उस सुरक्षा के हम भी उतने ही अधिकारी हैं जितने कि आप हैं लेकिन आज हमारी क्या दशा हो रही है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यदेव]

विरोधियों की क्या दशा हो रही है। यह आपको मालूम नहीं है, आप कम से कम इतना तो धैर्य रखिये कि दूसरे की बातों को सुनें। आप कम से कम इतना तो ध्यान दें कि विरोधी पार्टी का जो भय है, जो उनकी कठिनाई है, जो उनकी परेशानी है उनको सुनें। अगर वे न्यायसंगत कठिनाई ह तो उनको दूर करने की कोशिश की जाय और यह मौका दिया जाय कि आपको उसका ज्ञान करा सकें लेकिन खामख्वाह के लिये मखौल उड़ाना और एक दूसरे पर छींटाकशी करना या अपने को सुरक्षित समझकर दूसरी बात समझना यह रवैया सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं है।

आज हम यह देख रहे हैं कि अभी पंचायतों का चुनाव हुआ और जनता ने हमको नुमायन्दा बनाकर भेजा लेकिन हमारे मुकाबले में आप अफसरों को लाकर बैठा दें महज इसलिये कि हमारी डिफीट हो जाय तो क्या यह उचित बात है? वे गवर्नमेंट के नामिनी होकर बैठते हैं। हम समझते हैं गवर्नमेंट जीतती है और वे गवर्नमेंट को रिप्रिजेंट करते हैं परन्तु जनता के नुमायन्दों की हार होती है। यह हमारी समझ में नहीं आता है। लेकिन जो लोग जीत गये वह तो जीते ही और जो हारे वे भी उतने ही पावरफुल हैं। इसीलिये उनकी आवाज में ताकत है और हिम्मत है, उनकी बातों के सामने जीता हुआ कहने की कोई कद्र नहीं है और न हो सकेगी और जहां जहां एतराज किया गया वे बिगड़ गये। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने और मंत्री जी ने जो डिफीनिशन दी है वह ठीक है। परन्तु उनको काफी उदाहरण मिलेंगे और वे पता लगगायें तो उन्हेंमालूम हो जायगा कि यह सरकार कितनी खोखली हो गई है और इसके क्या परिणाम होंगे। मैं कहता हूं कि यदि आप यह समझ लें कि आप सुरक्षित हैं और सारी बातें जो कही गई हैं और कही जा रही है वह अनसुनी कर दें तो यह बिलकुल गलत होगा। आज व्यक्ति का आदर नहीं है। आप के ही दल में नहीं है। यह बात कहां तक न्याय पर आधारित है?

एक बात और कहूंगा। माननीय गुप्ता जी को बहुत सारे और भी कामों को देखना पड़ता है, अपने आफिस के अलावा बहुत से उद्घाटन भी करने पड़ते है, उनको निमंत्रण भी ज्यादा मिलते है तो भी कई डिपार्टमेंट्स अपने पास रखते हैं और उनको अच्छी तरह से हैंडिल कर सकते हैं, तो छोटे छोटे कामों के लिये एक एक व्यक्ति लगाना कहांतक उचित होगा? यहां भी आप एक ही व्यक्ति को बहुत से काम सौंप दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो या तो आप को विश्वास नहीं है उन आदमियों पर या वे नाकाबिल हैं। इसलिये उनको कोई भी डिपार्टमेंट देना कठी नहीं होगा। यदि आप उन पर विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास कीजिये। खिलाइये तो पूरा खिलाइये और उनसे पूरा काम ले जिये और उनको उनकी मजदूरी दीजिये। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि ५ मिनट के काम के लिये आप उनको पूरी तनख्वाह दें। यह नीति सरासर गलत है। आप यह न सोचें कि आप ही बुद्धिमान हैं, दुनिया में और भी लोग अक्ल रखते हैं। इसलिये आप मनमानी करके संसार को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आपकी पार्टी के अन्दर स्वयं वैमनस्य विराजमान है। आप में करेज होनी चाहिये कि आप अपनी पार्टी में इसको समाप्त करें और परस्पर सहयोग की भावना पर बल दें। मैं तो कहता हूं कि आप के घर में ही फूट फैली है। उसको सोमेंटेड न करें।

आप समाज की बात करते हैं। पर उसको तो आप जो रूप दिखलाना चाहेंगे वह तो उसे ही देखेगा। वह दखल कैसे दे सकता है।

मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। वहां भी १४ सीटों में से ११ सीटें कांग्रेस को ही मिलीं। कुछ और भी प्रतिनिधि होने वाले थे, बाद में नहीं हुये। परन्तु आपने समझा कि जिले भर में आपकी विजय हो गई। शास्त्री जी दिग्विजय करने आये। हमारे ब्रजबिहारी मिश्र को एक गद्दी दे दी गई। परन्तु मैं कहता हूं कि उस जिले में कांग्रेस नहीं है और जब आजमगढ़ में आज आप हैं ही नहीं तो आप क्या हम को रिप्रेजेंट

कर रहे हैं? यह भी क्या मजाक है? आप की मर्जी क्या है? आप ऐसे आदमी को अपने सर पर टांगे जिससे कोई फायदा हो पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप ने थोड़ा सा काम करके यह समझा कि उस इलाके की गरीबी मिट गई पर यह भी आप का कोरा भ्रम है।

इसलिये मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप कृपा कर के ईश्वर के लिये पिंड छोड़ दीजिये और हमारा जिला हमारे पास रहने दीजिये। आज जो देहातों में हो रहा है मैं उसकी ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जो इतिहास था वही स्थिति यहां हमारे सामने आ रही है। वह स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको जनता बहुत दिन तक बर्दाश्त कर सके। एक भयानक स्थिति की मैं कल्पना कर रहा हूं। वहां कोई अनुशासन नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे कि श्री चरण सिंह जी जितने रोज तक पुलिस के मुहकमे का चार्ज लिये रहे, वे जितने दिन पुलिस मंत्री रहे, उन थोड़े दिनों तक तो वह विभाग रास्ते पर चला लेकिन जब से यह विभाग माननीय गुप्ता जी ने उनसे ले लिया है, मैं यह नहीं कहता हूं कि वे अयोग्य हैं लेकिन काम संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है और बड़ा उलट-फेर हो रहा है। मैं जोर देकर कहता हूं कि समय तो आपके पास निर्धारित है, उतने समय में आप अपना ध्यान सब ओर कैसे दे सकते हैं? आप क्या क्या कर लेंगे? जिस तरह से श्री चरण सिंह जी ने आदेश निकाले थे कि खामख्वाह के लिये जुर्म छिपाना या रिपोर्ट को न लिखने की कोई क्वालीफिकेशन नहीं माना जायगी। इसका प्रभाव क्या पड़ा था। एक सब इन्सपेक्टर की तरक्की इस आधार पर होगी कि उसने कितने जुर्म में कितनी कामयाबी हासिल की। तब से कुछ जुर्म कम हुये। लेकिन आज हालत क्या है? आपका वह सर्कुलर आज भी मौजूद है, पर स्थिति यह है कि आज थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मैं अपने घर पर देखता हूं कि एक नाई के, जो मेरे घर का नौकर है, दो बैल चोरी चले जाते हैं। वह थाने में जब रिपोर्ट लिखाने के लिये जाता है तो उससे थाने का मुन्शी कहता है, यहां क्यों आये हो? क्या हमने बैल चुरा लिये हैं? जाता नहीं है, यहां थाने पर क्या रखा है? यह बात सही है, अगर गलत साबित हो तो मैं असेम्बली से त्यागपत्र तक दे सकता हूं। यही नहीं, एक ब्राह्मण के यहां ४ बैल एक बार चोरी गये। वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया। उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। थाने में उससे कहा गया कि रिपोर्ट लिखने से बैल मिलेंगे नहीं, तुम जाओ, चारों तरफ देखो, अगर बैल मिल जायेंगे तो हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेंगे। उसने चारों तरफ आदमी फिर दौड़ाये। उनकी खोज की। फिर सकलडीहा के मवेशियों के मेले में उसके वह बैल और वे चोर पाये गये। वहां पर सब इन्सपेक्टर पुलिस को सूचना दी गयी। सब-इन्सपेक्टर, पुलिस, ने उस चोर को पकड़ लिया और चारों बैलों को अपने कब्जे में कर लिया। चोर और माल दोनों पुलिस के कब्जे में आ गये, पर थाने में रिपोर्ट नदारद है। रिपोर्ट का कहीं पता नहीं है। तो आपकी यह हालत है। भले आदमियों को थानेदार नित्य गालियां देता है। कत्ल आदि के मुकदमों में पुलिस कितनी ज्यादती करती है, आप जानते हैं। कत्ल के मुकदमें हश अप कर दिये जाते हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं होती। जिन का कोई कसूर नहीं होता है उनको परेशान किया जाता है। तो यह सब रवैया आपका है। इस पर आपको अफसोस होना चाहिये। आपका जो पुराना इतिहास है उसको आप गन्दा मत कीजिये। उसको गन्दा करने का आपको कोई हक नहीं है क्योंकि वह चीज तो आपको अमानत में मिली है। जो कुछ आपके पूर्वजों ने आपको दिया है, ईश्वर के नाम पर, कृपया उसको बनाये रखिये, उसको धूमिल मत कीजिये। अगर हम आपके काम से संतुष्ट हो जायं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम आपको सोट ले लें और आप हमारी सीट ले लें।

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, कुछ क्षेत्रों में मैं महात्मा गांधी जी के चेलों में से रहा हूं। महात्मा गांधी ने एक दफा कहा था—

"This is the age of the common man. The Government that ignores the interest of the common man and the poor, that Government is doomed and cannot last long."

उनका कहना था कि यह साधारण व्यक्तियों का युग है। जो सरकार साधारण व्यक्तियों के स्वार्थ का हनन करती है वह सरकार ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रह सकती।

मैं आपके द्वारा मान्यवर, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आज साधारण व्यक्ति के हितों का हनन दिन दहाड़े हो रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज की सरकार एक वह विषैला सर्प है जिसके दो विषैले दांत हैं, एक तो दांत डेमोक्रेसी है और दूसरा है सोशलिज्म। जहां पर हम, विरोधी दल के नेता, यह प्रस्ताव करते हैं, यह समस्या हम सरकार के सम्मुख रखते हैं कि आपके शासन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की स्टेट में बेकारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सरकार यदि लगन, ईमानदारी और प्रेम से काम करे तो बेकारी की समस्या हल हो सकती है, लेकिन बेकारी की समस्या बनाये रखने में ही सरकार को सफलता है और इसी में उसकी कुर्सी बरकरार रहेगी। जब हम कहते हैं कि मुआवजा दीजिये, बेकारों को बेकारी का भत्ता दीजिये तो सरकार कहती है कि हम डिमोक्रैटिक स्टेट में हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम भूखों को भोजन दें। बहुत बढ़िया तर्क वह सन्मुख रखते हैं। जब हमारी फ्रीडम आफ स्पीच और फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन का हनन होता है उस समय सरकार दावा करती है कि हमारा मुख्य लक्ष्य सोशलिज्म है, हमें अपना एक उद्देश्य पूरा करना है, उसमें किसी भी तरह की कुर्बानी की जा सकती है। ये दो दांत ऐसे विषैले हैं जिसका समन्वय कभी नहीं हो सकता, मान्यवर।

अब मैं ४–६ मिनट में बताऊंगा कि किस तरह से गरीबों और साधारण व्यक्तियों के हित का हनन इस सरकार के शासन के अन्तर्गत हो रहा है। पहले तो गृहमंत्री जी से संबंधित बातें कहूंगा। हम बस्ती जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक ऐसा उदाहरण रख रहा हूं जिसको सुनकर और समझ कर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंखों में आंसू न डबडबा आवें? कणजा गांव, पोस्ट आफिस डलडला, थाना मेंहदावल, जिला बस्ती (हंसी) आप हंसिये नहीं, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं। वहां एक आदमी रहता है जिसका नाम है भिक्खू। आज से ७ वर्ष पूर्व भिक्खू को कणजा के मोहर राय ने उजाड़ दिया। उसकी झोपड़ी थी, वह न रही, वहां प्लांटेशन हो गया है। वह धारी में रहता है, १४ मेम्बर हैं वह लोग। सुपरिंटेंडेंट बस्ती को लिखा गया, कलेक्टर को लिखा गया और गांव के सन्मुख मोहर राय ने उसको एक बार हाथ-पैर और बदन को बांध कर खम्भे में बांध दिया और उसकी ऐसी गति हुई जैसी हनुमान की गति लंका में हुई थी। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान, स्त्रियां जो आते थे, कोई डंडे से मारता था, कोई थप्पड़ से मारता था, कोई पैर से। ६ बजे शाम से १२ बजे रात तक उसको पीटा गया। जब वह बेहोश हो गया तो १२ बजे रात को उसको एक गड्ढे में ढकेल दिया गया और यह सब हमारी सरकार की जानकारी में है, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हो पाया।

दूसरा उदाहरण और है। हमारी यह सरकार कहती है और दावा भरती है कि हमारा समाज कल्याण विभाग, हरिजन विभाग हरिजनों के लिये बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। हजारों रुपये खर्च कर रहे ह लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि जो रुपया देते हैं उसका सदुपयोग भी होता ह? मैं आपके सामने जीता-जागता उदाहरण रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री श्यामलाल---अभी तो पांच मिनट ही हुये हैं, कम से कम १० मिनट तो दें।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये, आपका समय हो गया है।

श्री श्यामलाल---आप मुझे कुछ समय और दें। मैं बैठूंगा नहीं चाहे बाहर ही क्यों न निकलना पड़े।

श्री अध्यक्ष---मैं आदेश देता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता माननीय दुबे जी के भाषण को सुना। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे ६ महीने पहले किसी एलेक्शन मीटिंग में दिये गये भाषण का यहां पर टैप रिकार्ड बज रहा हो, जिस प्रकार से ६ महीना पहले एलेक्शन के मैदान में हम उतरे थे और विभिन्न दलों ने अपने घोषणा-पत्रों द्वारा जनता के सामने अपनी बातें रखी थीं। उसके बाद जनता ने उन्हें वह अधिकार नहीं दिये, जिस मात्रा में जनता ने उनपर विश्वास प्रकट किया उसी मात्रा में वह यहां आ सके। वह संख्या यह बताती है कि इस विधान सभा के अन्दर जो सब से बड़ी विरोधी पार्टी है उसकी सदस्य संख्या करीब ४६ है। वह प्रतिक्रियावादी शक्तियों का एक दर्पण है। इससे पहले इस सूबे के अन्दर जो बड़ी विरोधी पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वह दूसरे दरजे पर आ गई। यह स्वयं इस बात का द्योतक और प्रतीक है कि जनता चुनाव में किस तरह समझदारी से काम ले सकी है। चुनाव के दौरान में घोषणा पत्र में जहां एक ओर जनसंघ की तरफ से यह कहा गया कि वे रिजर्वेशन की बात पर विश्वास नहीं करते, हरिजनों के लिये अलग सीट देने की बात नहीं मानते, अब इस सदन के सामने वह १८ प्रतिशत की बात करते हैं और उस बात को लेकर अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं। दूसरी ओर सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय उग्रसेन जी ने विभिन्न विभागों के आंकड़ों को देते हुये कहा कि हरिजन शून्य, हरिजन शून्य। इस तरह की बातों से जनता सचेत है और वह समझती है कि विरोधी पार्टियों को शासन में लाने से उसका क्या नतीजा होने जा रहा है।

हमने अखिल भारतीय स्तर पर भी देखा है। कम्युनिस्ट सरकार केरल में आई और कुछ ही दिनों के बाद जनता ने अपनी भूलों को समझ लिया और फिर कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास प्रकट किया। उड़ीसा में भी दो चुनावों में सामन्तशाही शक्तियां प्रगतिवादी शक्तियों को दबा रही थीं लेकिन अन्त में जनता ने एक निर्णय लिया और एक सुन्दर चुनाव के बाद वहां कांग्रेस का राज्य है। व्यावहारिक अनुभव से हिन्दुस्तान की जनता और प्रदेशों की जनता इस बात को समझती है कि अगर किसी दल के साथ प्रोग्रेसिव शक्ति है तो वह कांग्रेस पार्टी है।

विरोधी पक्ष की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव लाते हुये जो बातें कही गई हैं उनमें मैं समझती हूं कोई ऐसी तथ्य की बात नहीं है जो अविश्वास के प्रस्ताव को लाने वाली होती। हां, प्लान की बात सभी नेताओं ने कही। दुबेजी ने कहा कि यह प्लान केवल प्रचार का एक जरिया है और इसमें उनका विश्वास नहीं है। स्वतंत्र दल के नेता ने भी प्रायः ऐसे ही विचार प्रकट किये। लेकिन मैं साफ साफ उनसे कहना चाहती हूं कि जिस समय हम चुनाव के दौरान में जनता के पास वोट के लिये गये थे उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार हो चुकी थी और हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जनता के जीवन स्तर को, आर्थिक स्तर को, ऊंचा उठाने के लिये हमारे पास यह योजना है और हम चाहते हैं कि जनता हमें बहुमत में भेजकर हमारी सहायक हो। उस चुनाव के बाद हम यहां बहुमत में आये हैं। इसका साफ मतलब है कि हमारे प्रदेश की जनता को इस प्लान पर विश्वास है। हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना की यह पुस्तिका है। इसके पृष्ठ ४१ के अंतिम पैराग्राफ में साफ लिखा है कि जहां तीसरी योजना में कृषि उत्पादन को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है और इस अवधि में उत्पादन दूसरी योजना से ३५-४० प्रतिशत अधिक बढ़ाया

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

जायगा, इसलिये यद्यपि ग्रामीण आय का स्तर बहुत ही नीचा है, इस क्षेत्र को भी पहले से योजना में अधिक अंशदान करना होगा। तो इसलिये यह गलत बात होगी अगर यह कहा जाय कि योजना पर जनता का विश्वास नहीं है। हमने कोई बात छिपाई नहीं है।

हमने अपनी प्रत्येक सभा में यह कहा था कि टैक्स के बिना कोई सरकार चल नहीं सकती है। तो हम यह वायदा नहीं कर सकते कि हम कोई टैक्स नहीं लगावेंगे। यह बात दूसरी है कि टैक्स किस रूप में हो। यह गौर करने की बात है। इस तृतीय चरण में यह कहना कि भारत की आर्थिक दशा इस योजना से नहीं सुधरेगी उचित नहीं जंचता। यह केवल उत्तर प्रदेश की ही योजना नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर इस योजना को सभी दल के लोगों ने स्वीकार किया है और उसके बाद यह लागू की गई है। आज सदन में यह कहना कि हमारा इस योजना पर विश्वास नहीं है, या यह कि योजना के लिये जो हम आर्थिक साधन जमा करने जा रहे हैं, चाहे वह टैक्स द्वारा हों या मितव्ययिता से हों, यह बात उचित नहीं प्रतीत होती। इस बात का अविश्वास के प्रस्ताव में लाना भी उचित नहीं जान पड़ता है। इस अविश्वास के प्रस्ताव से सिवाय इसके कि अखबारों के कुछ कालम्स भर जावें कि अपोजीशन इस प्रकार का प्रस्ताव लाया, इस में कोई गम्भीरता भी नहीं जान पड़ती है। जितने भी तर्क यहां दिये गये वे सभी असेम्बली के बाहर साधारणतया रोज ही सुनते रहते हैं। न इसके पीछे यह भावना ही है कि हम जनता के हितों का खयाल करके कुछ करने जा रहे हैं, न इसके पीछे यह भावना है कि सचमुच हम सरकार के ऊपर अविश्वास की कोई बात करने के लिये तैयार थे। लेकिन हमारे विरोधी दल वालों ने सोच लिया कि कुछ वातावरण प्रदेश में बनाना चाहिये और इसलिये यह प्रस्ताव लाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्लान के सिलसिले में अखिल भारतीय स्तर पर सभी पार्टियों ने स्वीकृति दी और अब इस प्रश्न को यहां उठाने में बहुत देर हो चुकी है। इसलिये प्लान को लेकर सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाना तर्कसंगत नहीं जान पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त।

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे दिन को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १३ अगस्त, १९६२ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन, मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० अगस्त, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२२ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सत्र १९६२ के ७वें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री रामसुन्दर पाण्डेय द्वारा पछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ से सम्बन्धित सूची

उन जिलों की सूची जिनकी नई तहसीलों में वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के अन्तर्गत चकबन्दी का कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है:

क्रम-संख्या	जिले का नाम
१—बुलन्दशहर	७—रायबरेली
२—फरुखाबाद	८—शाहजहांपुर
३—लखनऊ	९—मनपुरी
४—उन्नाव	१०—आगरा
५—बदायूं	११—बहराइच
६—सीतापुर	१२—सहारनपुर ।

———

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२४ पर)

सूची

तहसील बलिया

१—मुन्डाडाह
२—दुबहड़
३—बैलहरी
४—जमुआं
५—खोड़ी पाकड़
६—कर्चा
७—शिवपुर दियर
८—जनाड़ी
९—चौबेपुर
१०—चर्जपुरा
११—दुबहड़
१२—सागरपाली
१३— वाली
१४—मझौंवा
१५—भरौली
१६—चो खास
१७—सोनाडाबर

तहसील बांसडीह

१—हड़िहाकलां
२—हथोंज
३—कोवई
४—खरौद
५—जिगिड़सड़
६—मुनछपरा
७—गढ़मलपुर
८—सहुलाई
९—खैजुरी

तहसील रसड़ा

१—कोप
२—कोड़ई
३—सबलपुर उर्फ सिलहटा
४—नगरा
५—अठिला
६—बुढ़ऊ
७—कसौडर
८—सुलतानपुर
९—छितौनी
१०—अवराई खुर्द
११—जजौली
१२—इनामीपुर
१३—खरुआंव
१४—मुस्तफाबाद
१५—गोबरिया
१६—मानिकपुर
१७—कुरेम
१८—जगरिया
१९—देवसलपुर
२०—मेउड़ कलां
२१—चांद यर कलां
२२—कोटवारी
२३—सब्दलपुर
२४—रसड़ा
२५—भीमपुरा
२६—रामपुर मु० चरौवा
२७—जमदरा
२८—पलिया
२९—छिब्बी
३०—रूपवार भगवानपुर।

कुल ग्रामों की संख्या—५६।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२५ पर)

गत बाढ़ में पूर्वी जिलों को दी गई सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	अहेतुक सहायता गृह निर्माण आदि के लिये अनुदान	स्कूल व विश्व-विद्यालय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति	खादीहुंडी के लिये दी गई सहायता	टेस्ट वर्कस के लिये	तकावी	मालगुजारी आदि में छूट
१	२	३	४	५	६	७	८
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	वाराणसी ..	१९,२६६	३४,०००	..	..	१,००,०००	१,८१,८२७
२	मिर्जापुर ..	१०,०००	..	..	..	८०,०००	१,५५,०६५.४९ (अनुमानित)
३	जौनपुर ..	४४,६१६.८९	१०,०००	१०,०००	..	१,८५,०००	१,६५,५६३.५९
४	गाजीपुर ..	१९,६९०.४२	..	..	..	४,१८,०००	१,१४,६१७.०१
५	बलिया ..	४७,५००	२०,०००	५०,०००	..	९४,०००	१,३७,०३८.७५
६	गोरखपुर ..	१,५८,६७५	७०,०००	५०,०००	५,९०,३०२	७,१६,०००	३,८९,२३७
७	बस्ती ..	७०,०००	२०,०००	५०,०००	५०,०००	२,५०,०००	५,९०,३४८.०५
८	आजमगढ़ ..	९१,५००	२०,०००	५०,०००	१,२०,०००	४,७०,७१५	१,०८,९९५.३८
९	देवरिया ..	५१,५००	२०,०००	५०,०००	७,०६,६५०	३,२५,०००	२,८९,९४४.३०
१०	फैजाबाद ..	११,५००	..	..	..	९२,६२५	१,४३,५०८.२९ (वसूली स्थगित की गई)
११	गोंडा ..	६९,७५०	२०,०००	१०,०००	१,१०,०००	१,३१,०००	५,०५,३८ .२०
१२	बहराइच ..	४३,१४६.८६	२०,०००	१०,०००	६८,०००	२,००,०००	४,६६,७६७.८५
१३	सुल्तानपुर ..	८३,८८५	१०,०००	१०,०००	..	६२,४२५	५,९१,५४५
१४	प्रतापगढ़ ..	२३,०००	..	..	..	२३,०००	३६,१९७.२७
१५	बाराबंकी ..	४८,७००	४,५३१.८५	..	..	१,२०,०००	६,०९,५१७.६२

नोट—उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयाँ बाँटने, सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने, सस्ते दर पर भूसा पहुंचाने, बाढ़ पीड़ितों को पुनः बसाने की कार्यवाहियाँ भी की गईं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३९ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	वर्ष	क्षतिग्रस्त ग्रामों की संख्या तथा उनमें खरीफ की फसल की हुई क्षति की मात्रा		मालगुजारी व लगान में दी गई छूट की धनराशि	
		(क्षति की मात्रा प्रति रुपया नये पैसे)	क्षतिग्रस्त ग्रामों की संख्या	मालगुजारी	लगान
१	१९५८	७५ न० पै० और उससे अधिक	१२७	५४,९६५·८०	..
		६० न० पै० से ७५ न० पै० तक	१९	१६,६८२·९७	९६२·
		योग ..	१४६	७१,६४८·७७	९६२·
२	१९५९	६० न० पै० से ७५ न० पै० तक	४०	१०,४८३·२३	..
३	१९६०	७५ न० पै० और उससे अधिक ..	११९	६०,७०७·२०	..
		५० न० पै० से ७५ न० पै० तक	३२	७,६८७·३२	..
		३७ न० पै० से ५० न० पै० तक	९	१,९२५·५३	३०५·५६
		योग ..	१६०	७०,३२०·०५	३०५·५६
४	१९६१	७५ न० पै० और उससे अधिक ..	१६२	५२,०७९·२२	..
		६० न० पै० से ७५ न० पै० तक	१	१६७·५७	..
		योग ..	१६३	५२,२४६·७९	..

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५१ का उत्तर पीछे पृष्ट १०५६ पर)

आगरा जिले में तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जायंगे

पक्की सड़कों का सुधार और आधुनीकरण—

	मील	फ०	लाख
१—आगरा शम्साबाद राजखेरा मार्ग	२		०.८०
२—आगरा जगनेर तांतपुर मार्ग	१५	२	३.३८
३—बाह उद्दीमार्ग	५	६	०.५०
४—डरमण्ड मार्ग	५		१.५०
५—सैया इरादत नगर मार्ग	३	५	०.७१
६—आगरा पवइया घाट मार्ग	६		०.५५
७—टुन्डला आवा मार्ग	१		०.४०
८—जैतपुर आतरमार्ग	१		०.५५
९—आगरा बाह कचौरा मार्ग (३२ से ४१ मील तक) ..	१०		२.०४

सड़क का नव निर्माण—

१—आगरा जगनेर तांतपुर सड़क के मील ३ में बाई पास ..	५	०	०.६०

सड़कों की सतह को ऊंचा एवं पक्का करना (पुलिया सहित)—

१—टून्डला आवा	६		०.३०
२—आगरा जगनेर तांतपुर	१	७	०.२०
३—बाह उद्दी	०	४	०.४०

पुल निर्माण—

१—उटंगन का पुल आगरा जगनेर तांतपुर मार्ग पर	६.५०
२—खारी नदी पर आगरा तांतपुर मार्ग के १३वें मील पर	३.००

भवन—

१—वर्कशाप एवं गोदाम का निर्माण बाह में ..	१०,०००	की लागत से
२—आगरा के निरीक्षण भवन का सुधार	२०.०००	की लागत से
३—सहायक अभियन्ता का आवास बाह में	२५,०००	की लागत से
४—ओवरसियर आवाहों का आगरा में निर्माण (१) ..	७,८००	प्रति आवास
५—मिनिस्टिरियल क्वार्टरों का निर्माण आगरा में (२) ..	४,५००	प्रति क्वार्टर
६—निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर का निर्माण (३) ..	२,०००	प्रति क्वार्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिले का नाम	जून सामा वष	माह जुलाई, १९६२ में हुई सामान्य वर्षा और औसत वर्षा का अन्तर	जून और जुलाई की सामान्य वर्षा का योग	जून और जुलाई, १९६२ की वास्तविक औषत वर्षा का योग	जून और जुलाई की सामान्य वर्षा और जून और जुलाई, १९६२ की वास्तविक औसत वर्षा का अन्तर
१	२		१६	१७	१८	१९
मेरठ खण्ड						
१	दहरादून ..	८.	−४.६२	३०.६२	२६.४८	−११.१४
२	सहारनपुर ..	४.	−१.३४	१४.७४	११.२३	−३.५१
३	मुजफ्फरनगर ..	३.	−२.३७	११.६१	७.५३	−४.०८
४	मेरठ ..	३.	−४.२२	१०.६३	७.१५	−३.४८
५	बुलन्दशहर ..	२.	−४.५७	१०.२०	३.९७	−६.३३
आगरा खण्ड						
६	अलीगढ़ ..	३.	−१.०४	१०.७४	६.९४	−३.८०
७	मथुरा ..	२.	†१.०१	९.४१	८.८६	−०.५५
८	आगरा ..	२.	−१.३५	१०.३७	७.६९	−२.६८
९	मैनपुरी ..	२.	−१.४०	११.५२	७.९९	−३.५३
१०	एटा ..	२.	−३.००	११.१३	६.३७	−४.७६
रुहेलखंड						
११	बरेली ..	५	−५.९५	१९.२७	१४.३३	−४.९४
१२	बिजनौर ..	४	−२.२६	१७.४७	१३.४६	−४.०१
१३	बदायूं ..	३.	−२.७१	१३.६६	१०.६५	−३.०१
१४	मुरादाबाद ..	४	−३.६५	१६.१३	१०.३४	−५.७९
१५	शाहजहांपुर ..	४	−५.३७	१६.८९	११.४५	−५.४४
१६	पीलीभीत ..	६	−५.७४	२२.१७	१६.३२	−५.८५
१७	रामपुर ..	(.	(.)	(.)	१०.२९	(.)
इलाहाबाद खन्ड						
१८	फर्रुखाबाद ..	३.	−२.५६	१२.७२	०.२८	−५.४४
१९	इटावा ..	२.				
२०	कानपुर ..	३.	−४.३६	१३.१४	५.८१	−७.३३
२१	फतेहपुर ..	३.	−८.२४	१५.०४	४.४९	−१०.५५
२२	इलाहाबाद ..	४.	−३.१५	१५.८५	१०.०३	−५.८३
झांसी खन्ड						
२३	बांदा ..	३.	−०.७६	१६.२५	१२.५४	−३.७१
२४	हमीरपुर ..	३.	−६.८१	१५.०३	४.४३	−१०.६०
२५	झांसी ..	३.	+४.४४	१५.३०	१६.५९	+१.२९
२६	जालौन ..	३.	−५.०६	१३.४७	६.१४	−७.३३

जुलाई, की सामान्य वर्षा	जुलाई मास की वास्तविक वर्षा — पहला सप्ताह	दूसरा सप्ताह	तीसरा सप्ताह	चौथा सप्ताह	माह जुलाई, १९६२ में वास्तविक औसत वर्षा का योग	माह जुलाई में वास्तविक और सामान्य वर्षा का अन्तर	जून और जुलाई की सामान्य वर्षा का योग	जून और जुलाई, १९६२ की वास्तविक औसत वर्षा का योग	जून और जुलाई की सामान्य और जून और जुलाई, १९६२ की वास्तविक औसत वर्षा का अन्तर
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१.०४	—	०.३३	४.०६	६.६०	१०.९९	−१.०५	१६.३०	१२.३६	−३.९४
२.९१	०.४१	०.९१	४.००	५.३०	१०.६२	−२.२९	१७.६१	१२.६२	−१४.९९
१.८९	०.३४	०.६५	२.५३	७.३१	१०.८३	−१.०६	१६.२२	१३.३५	−२.८७
१.५४	—	०.१६	४.५९	४.७५	९.५०	−२.०४	१६.१७	१२.९७	−३.२२
१.९१	—	—	२.००	५.९७	७.९७	−३.९४	१७.१७	१०.२५	−६.९२
४.१७	५.९१	१.३६	३.७०	३.८३	१४.८०	+०.६३	२१.४९	२२.१४	+०.६५
४.३३	३.७७	०.९१	३.५३	५.४८	१३.६९	−०.६४	२१.०२	२१.६०	+०.५९
१.९९	०.४२	०.७४	२.१५	२.४१	५.७३	−६.२६	१६.६३	७.८२	−८.८२
२.८९	३.५७	०.०५	३.१७	५.७९	१२.५८	−०.३१	१९.८९	२२.३८	+२.४९
९.९७	०.९३	१.७५	२.८०	१२.९९	१८.४७	−१.५०	२८.९८	२८.९४	−०.०४
९.५८	०.१५	७.७२	३.९२	६.२०	१७.९९	+१.४१	२५.१४	२५.१६	+०.०२
(.)	०.५०	३.४५	४.३७	७.५४	१५.८६	(.)	(.)	२०.१०	(.)
.४०	०.३४	६.९७	४.९८	८.२७	२०.५६	+५.१६	२१.७७	२४.९८	+३.२१
१.२१	—	—	१.१२	३.५६	४.६८	−६.५३	१५.३८	७.९८	−७.४०
०.५६	—	०.१२	१.७९	१.०४	२.९५	−७.६१	१४.०१	५.४६	−८.५५
८.९६	—	०.१७	२.१२	३.५४	५.८३	−५.१३	१५.०६	८.४२	−६.६४
१.२७	०.०८	०.५४	३.१०	६.२५	९.९७	−१.३०	१५.९१	१२.४१	−३.५०
०.८५	०.०१	०.१२	०.९७	३.३६	४.४६	−६.३९	१४.८७	११.६२	−३.२५
२.३३	०.६२	०.५०	१.५६	३.६८	६.३६	−५.९७	१८.३५	९.४१	−८.९४
१.९०	०.८८	०.२८	४.३५	५.३६	१०.८८	−१.०३	१६.८३	१५.४९	−१.३४
३.६६	०.९२	०.२८	३.०८	४.९९	९.२७	−४.३७	१९.४७	१४.०५	−५.४२
२.६८	१.३६	०.१६	२.४०	४.५७	८.४९	−४.१९	१८.६१	११.०१	−७.६०
२.०९	०.३६	४.०१	१.४९	४.९२	१०.७८	−१.३१	१६.५८	१४.४९	−२.०९
१.३२	०.५२	१.१४	१.६०	४.००	७.२६	−४.०६	१५.२४	१०.२९	−४.९५
१.५८	०.३४	०.४९	३.०१	४.९१	८.७५	−२.८३	१५.९४	११.७९	−४.१५
(.)	३.५१	६.९२	६.९७	५.५२	२२.९२	(.)	(.)	३२.५१	(.)
(.)	१.६०	३.०६	२.६९	८.१४	१५.४९	(.)	(.)	२५.८५	(.)
(.)	०.९४	३.७५	५.१७	७.५३	१७.३९	(.)	२१.४८	२१.४८	(.)

क्रम संख्या	जिले का नाम	अगस्त १९६२ में प्रथम सप्ताह की वास्तविक औसत वर्षा
१	देहरादून	३.२४
२	सहारनपुर	१.३१
३	मुजफ्फरनगर	०.२०
४	मेरठ	०.०४
५	बुलन्दशहर	—
६	अलीगढ़	०.०६
७	मथुरा	—
८	आगरा	०.२०
९	मैनपुरी	०.१२
१०	एटा	०.३२
११	बरेली	२.१२
१२	बिजनौर	०.५०
१३	बदायूं	०.३१
१४	मुरादाबाद	०.४८
१५	शाहजहांपुर	२.२६
१६	पीलीभीत	+
१७	रामपुर	१.२९
१८	फर्रुखाबाद	०.८२
१९	इटावा	०.५९
२०	कानपुर	७.५८
२१	फतेहपुर	५.३५
२२	इलाहाबाद	२.२१
२३	बांदा	२.१६
२४	हमीरपुर	१.३४
२५	झांसी	+
२६	जालौन	१.२६
२७	वाराणसी	५.५२

नोट:— + सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

— वर्षा शून्य है।

क्रम संख्या	जिले का नाम	अगस्त १९६२ में प्रथम सप्ताह की वास्तविक औसत वर्षा
२८	मिर्जापुर	४.८२
२९	जौनपुर	३·२५
३०	गाजीपुर	६.७६
३१	बलिया	७.२७
३२	गोरखपुर	७.५७
३३	बस्ती	६.३७
३४	आजमगढ़	७.४३
३५	देवरिया	+
३६	नैनीताल	६.६०
३७	अलमोड़ा	१.१९
३८	गढ़वाल	२.२२
३९	टेहरी-गढ़वाल	—
४०	लखनऊ	१.४८
४१	उन्नाव	२.१४
४२	रायबरेली	३.८६
४३	सीतापुर	२.३३
४४	हरदोई	१.४९
४५	खीरी	६.३५
४६	फैजाबाद	३.६८
४७	गोंडा	५.७२
४८	बहराइच	४.६९
४९	सुल्तानपुर	+
५०	प्रतापगढ़	२.२३
५१	बाराबंकी	२.२२
५२	उत्तरकाशी	१.३५
५३	पिथौरागढ़	५.७२
५४	चमोली	३.२३

नोट:— +सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

—वर्षा शून्य है ।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ों की स्थिति तथा क्षति का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	नदियां जिनमें बाढ़ आई	बाढ़ आने की तिथि	बाढ़ की अवधि	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जन-संख्या	जीव हानि		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	अन्य हानि	विशेष विवरण
								मनुष्य	पशु			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	सहारनपुर	गंगा	२८–७–६२	१ दिन	५,०४९	४	२,०००	..	..	..	..	.
२	मुजफ्फरनगर	,,	११–७–६२ २१–७–६२	२ या ३ दिन	..	२७	..	..	..	..	..	.
३	एटा ..	,,	३१–७–६२ से६–८–६२	६ दिन	१५,९००	३८	..	..	..	..	लहरा ग्राम का बांध ४ स्थानों पर टूट गया।	.
४	बिजनौर	रामगंगा	२७/२९–७–६२	..	..	..	..	..	..	६	२,०००	..
५	मुरादाबाद	,,	२७ से ३० ३१–७–६२ व १–८–६२	..	११,५००	२४	६,०००	..	..	५०	..	३३९ रुपये अहेतुक सहायता दी गई
६	पीलीभीत	शारदा	३१–७–६२	३ दिन	१,३४५	३	४००	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	नदियां जिनमें बाढ़ आई	बाढ़ आने की तिथि	बाढ़ की अवधि	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जन-संख्या		जीव हानि		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	अन्य हानि	विशेष विवरण
							मनुष्य	पशु	मनुष्य	पशु			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
७	फर्रुखाबाद	रामगंगा व गंगा	३०-७ से ४-८-६२	५ दिन	..	..	..	..	..	..	..	..	रामगंगा व गंगा से प्रभावित लोगों को बसाने का प्रबन्ध हो रहा है।
८	झांसी	..	..	..	..	..	५०० व्यक्ति व ३७ परिवार		..	..	८०	..	झांसी में अधिक वर्षा से हानि हुई ५०० रुपये अहेतुक सहायता व ४,००० रुपये तकावी दी गई।
९	गोरखपुर	छोटी गंडक, रोहीन, चन्दन, झरही, दुबहानाला,	२९-६-६२ ३-८-६२ से	१४ दिन अभी चल रही है	१,५७,७५०	८२४	२,३६,८००		१	..	५७	२२ एकड़ भूमि दोबाहा नाला से कट गई। विचलोल-सिसवा सड़क टूट गई विचलोल-	

		मलाव, चितरी, खकेरा, विसमानिया, हमी, क्वाने गररा, प्यास।									थथीवाड़ी सड़क कट गई।	
१०	देवरिया	बड़ी गंडक, छोटी गंडक, राप्ती, गररा, घाघरा, भटुआ।	२५–६–६२ ३–८–६२	..	९३,३८२	३५४	१,१६,६४३	३	..	१८६	एक पुलिया बह गई, पी० डब्लयू० डी० की एक सड़क टूट गई।	बड़ी गंडक ने एक गांव काटा है जिससे ५०५ परिवार प्रभावित हुए हैं।
११	बस्ती ..	घाघरा, कुआनो, अमी, मन्नार, रप्ती, कथनईया बड़ी, राप्ती, घोघी, जमुहाड़।	३–८–६२	२४ घंटे	७४,९५२	३५०	६७,७१४	१	..	..	..	..
१२	आजमगढ़	घाघरा	२७–७–६२	..	१४ (वर्गमील)	१८	११,०००	..	..	..	फसलों को ४,००० रुपये की अनुमानित क्षति।	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	नदियां जिन में बाढ़ आई	बाढ़ आने की तिथि	बाढ़ की अवधि	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जन-संख्या	जीव हानि		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	अन्य हानि	विशेष विवरण
								मनुष्य	पशु			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१३	सीतापुर	घाघरा नदी	२८-७-६२	..	७,३००	१८	..	..	..	..	एक सड़क में कुछ दरार पड़ गई	
१४	गोंडा ..	घाघरा	..	..	२,४३५	१८	४,९००	..	..	..	..	१,५०० अहेतुक सहायता दी गई
१५	बाराबंकी	घाघरा, २७-७-६२ चौरारी, से १-८-६२ सोता, ४-८-६२ से सिमली। ८-८-६२		..	५६,७८०	१३७	४१,७००	..	..	..	..	..
	योग ..	..	..	..	४,२६,३९३	१,८१५	४,८७,६७५ और ३७ परिवार	५	..	३७९	..	..

उत्तर प्रदेश में सन् १९६२ में बाढ़ तथा अतिवृष्टि संबंधी सहायता कार्यों के लिये स्वीकृति धनराशि तारीख ९-८-६२ तक

क्रम-संख्या	जिले का नाम	अहेतुक सहायता, गृह निर्माण के लिये अनुदान	अन्य बाढ़ सहायता कार्यों के लिये धनराशि	तकावी तथा अकृषकों को ऋण
१	२	३	४	५
	मेरठ डिवीजन			
१	देहरादून ..	१,०००	१,०००	राजस्व परिषद् को ७५,००,०००रुपये साधारण तथा आपदाकालीन तकावी बाँटने के लिये ५०,००० रुपये अकृषकों को गृह निर्माण तथा आपदाकालीन ऋण देने के लिये दिये जा चुके हैं जो आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधीशों के द्वारा वितरित किये जायेंगे।
२	सहारनपुर ..	५,०००	५,०००	
३	मुजफ्फरनगर ..	५,०००	५,०००	
४	मेरठ ..	५,०००	५,०००	
५	बुलन्दशहर ..	५,०००	५,०००	
	आगरा डिवीजन			
६	अलीगढ़ ..	५,०००	५,०००	
७	मथुरा ..	५,०००	५,०००	
८	आगरा ..	५,०००	५,०००	
९	मैनपुरी ..	५,०००	५,०००	
१०	एटा ..	५,०००	५,०००	
	रूहेलखन्ड डिवीजन			
११	बरेली ..	५,०००	५,०००	..
१२	बिजनौर ..	१,०००	१,०००	..
१३	बदायूं ..	५,०००	५,०००	..
१४	मुरादाबाद ..	५,०००	५,०००	..
१५	शाहजहाँपुर ..	५,०००	५,०००	..
१६	पीलीभीत ..	५,०००	५,०००	..
१७	रामपुर ..	१,०००	१,०००	..
	इलाहाबाद डिवीजन			
१८	फर्रूखाबाद ..	५,०००	५,०००	..
१९	इटावा ..	५,०००	५,०००	..
२०	कानपुर ..	५,०००	५,०००	..
२१	फतेहपुर ..	१,०००	१,०००	..
२२	इलाहाबाद ..	५,०००	५,०००	..
	झांसी डिवीजन			
२३	बाँदा ..	१,०००	१,०००	..
२४	हमीरपुर ..	५,०००	५,०००	..
२५	झांसी ..	५,०००	५,०००	..
२६	जालौन ..	५,०००	५,०००	..

क्रम-संख्या	जिले का नाम		अहेतुक सहायता गृह निर्माण के लिये अनुदान	अन्य बाढ़ सहायता कार्यों के लिये धनराशि	तकावी तथा अकृषकों को ऋण
१	२		३	४	५
	वाराणसी डिवीजन				
२७	वाराणसी	..	५,०००	५,०००	राजस्व परिषद् को ७५,००,००० रुपये साधारण तथा आपदाकालीन तकावी बांटने के लिये ५० ००० रुपये अकृषकों को गृह निर्माण तथा आपदाकालीन ऋण देने के लिये दिये जा चुके हैं जो आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधीशों के द्वारा वितरित किये जायेंगे ।
२८	मिर्जापुर	..	५,०००	५,०००	
२९	जौनपुर	..	५,०००	५,०००	
३०	गाजीपुर	..	५,०००	५,०००	
३१	बलिया	..	५,०००	५,०००	
	गोरखपुर डिवीजन				
३२	गोरखपुर	..	२५,०००	५५,०००	
३३	बस्ती	..	५,०००	५,०००	
३४	आजमगढ़	..	५,०००	५,०००	
३५	देवरिया	..	१०,०००	१०,०००	
	कुमायूं डिवीजन				
३६	नैनीताल	..	१,०००	१,०००	
३७	अल्मोड़ा	..	१,०००	१,०००	..
३८	गढ़वाल	..	१,०००	१,०००	..
३९	टेहरी-गढ़वाल	..	१,०००	१,०००	..
	लखनऊ डिवीजन				
४०	लखनऊ	..	५,०००	५,०००	..
४१	उन्नाव	..	५,०००	५,०००	..
४२	रायबरेली	..	५,०००	५,०००	..
४३	सीतापुर	..	५,०००	५,०००	..
४४	हरदोई	..	५,०००	५,०००	..
४५	खीरी	..	५,०००	५,०००	..
	फैजाबाद डिवीजन				
४६	फैजाबाद	..	५,०००	५,०००	..
४७	गोंडा	..	५,०००	५,०००	..
४८	बहराइच	..	५,०००	५,०००	..
४९	सुल्तानपुर	..	५,०००	५,०००	..
५०	प्रतापगढ़	..	१,०००	१,०००	..
५१	बाराबंकी	..	५,०००	५,०००	..
	उत्तराखन्ड डिवीजन	..			
५२	उत्तरकाशी	..	१,०००	१,०००	..
५३	चमोली	..	१,०००	१,०००	..
५४	पिथौरागढ़	..	१,०००	१,०००	..
	योग	..	२,५३,०००	२,७३,०००	

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०७६)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेन (संशोधन) विधेयक, १९६२

यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का,

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेहरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) वह उस दिनांक सें प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा ४ का संशोधन

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ की उपधारा (१) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाये :

"Provided that the tax payable in respect of the period—

(*a*) prior to the commencement of the U. P. Motor Vehicles Taxation (Sanshodhan) Adhiniyam, 1962, shall be determined in accordance with the appropriate rates specified in the First Schedule as it stood prior to its amendment by the said Adhiniyam ; and

(*b*) after the commencement of the said Adhiniyam, shall be determined in accordance with the rates specified in the First Schedule."

यू०पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा ५ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा में—

१—उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

"Provided that the tax in respect of a transport vehicle may be paid in four equal instalments, payable on or before the fifteenth day of January, April, July and October :

Provided further that the difference between the tax payable under section 4 for any period and the tax already paid for the said period in accordance with the provisions of this Act as it stood prior to its amendment by the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Sanshodhan) Adhiniyam, 1962, shall be paid within four months from the date of commencement of the said Adhiniyam".

(२) उपधारा (२) में शब्द और अंक "not exceeding Rs. 50 in addition to the tax" के स्थान पर शब्द "not exceeding the amount of tax payable in a year in respect of the motor vehicle in addition to the tax due therefor." रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ का प्रथम (अनुसूची) का संशोधन

४—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 'ए' और 'बी' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

PART "A"

	Rs.
Vehicles other than Transport Vehicles	
I. Motor cycles (including motor scooters and cycles with attachment for propelling the same by mechanical power) not exceeding 406 kgms. in weight unladen—	
(*a*) Motor bicycles —	
(i) not exceeding 91 kgms. in weight unladen ..	20
(ii) exceeding 91 kgm. in weight unladen ..	32
(*b*) Tricycles	32
(*c*) Bicycles or tricycles used for drawing a trailer or a side-car—in addition to the rates above ..	4
II. Vehicles constructed and used solely for the conveyance of passengers and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons exclusive of the driver (including cycles and tricycles) weighing more than 406 kgms. unladen—	
(i) (*a*) not exceeding 1,016 kgms. in weight unladen	60
(*b*) exceeding 1,016 kgms. but not exceeding 1,270 kgms. in weight unladen	80
(*c*) exceeding 1,270 kgms. but not exceeding 1,778 kgms. in weight unladen	100
(*d*) exceeding 1,778 kgms. in weightunladen ..	120
(ii) Trailers drawn by vehicles covered by this article ..	20
III. Vehicles including cycles and tricycles weighing more than 406 kgms. unladen, constructed, or adapted for use, for the conveyance of more than six persons (exclusive of driver)—	
(i) if fitted wholly with pneumatic tyres, and—	
(*a*) not exceeding 1,016 kgms. in weight unladen	92
(*b*) exceeding 1,016 kgms. but not exceeding 1,778 kgms. in weight unladen	152
(*c*) exceeding 1,778 kgms. but not exceeding 2,540 kgms. in weight unladen	200
(*d*) exceeding 2,540 kgms. but not exceeding 3,556 kgms. in weight unladen	292
(*e*) exceeding 3,556 kgms. but no exceeding 5,080 kgms. in weight unladen	376
(*f*) exceeding 5,080 kgms. in weight unladen, for every 1,016 kgms. or part thereof in excess of 5,080 kgms.	156

	Rs.
(*g*) trailers drawn by vehicles covered by this article—	
(*a*) to carry load not exceeding 1,016 kgms. ..	104
(*b*) to carry load exceeding 1,016 kgms.	200
(ii) if fitted with resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 33-1/3 per cent thereon;	
(iii) if fitted with non-resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 66-2/3 per cent thereon.	

PART "B"

Transport Vehicles

	Rs.
IV. Vehicles plying for hire for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers—	
(1) with seating capacity for not more than three persons; exclusive of the driver	120
(2) with seating capacity for four persons, exclusive of the driver	196
(3) with seating capacity for more than four but not more than six persons, exclusive of the driver ..	300
(4) with seating capacity for more than six persons but not more than 20 persons, exclusive of the driver—	
for the first six seats	300
addition for every seat in excess of six and up to twenty, of—	
(*a*) if intended for use on an A-class route ..	24
(*b*) if intended for use on a B-class route ..	16
(*c*) if intended for use on a C-class route ..	12
(5) with seating capacity for more than 20 but not more than 32 persons, exclusive of the driver—	
(*a*) if intended for use on an A-class route—	
for the first 20 seats	668
for every additional seat	28
(*b*) if intended for use on a B-class route—	
for the fitst 20 seats	552
for every additional seat	24
(3) if intended for use on a C-class route—	
for the first 20 seats	472
for every additional seat	16

Rs.

(6) with seating capacity for more than 32 persons, exclusive of the driver—the tax payable under the foregoing clause for the first 32 seats with an addition for every seat in excess of 32, of—

(*a*) if intended for use on an A-class route .. 56

(*b*) if intended for use on a B-class route .. 40

(*c*) if intended for use on a C-class route .. 24

V. Vehicles plying for hire for the conveyance of a limited number of passengers and the transport of a limited quantity of goods—

the tax payable under Article IV in respect of the authorised number of passenger seats, together with an additional tax for every 51 kgms. of authorised load of goods—

(*a*) if intended for use on an A-class route 12

(*b*) if intended for use on a B-class route .. 8

(*c*) if intended for use on a C-class route .. 4

VI. Vehicles plying for hire for the transport of goods only—

(A) if fitted entirely with pneumatic tyres, and—

(*a*) if intended for use on an A-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load 280

(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load 10

(*b*) if intended for use on a B-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load 252

(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load 8

(*c*) if intended for use on a C-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load 228

(ii) for every addtional 51 kgms. of authorised load 6

(B) if fitted with resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 33-1/3 per cent thereon;

(C) if fitted with non-resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 66-2/3 per cent thereon.

VII. Vehicles intended for use on a special route—the appropriate tax payable under article IV, V, VI or IX in respect of an A-class route , together

Rs.

with such additional tax not exceeding 50 per cent of such apropriate tax as may be prescribed by the State Government.

VIII. Vehicles plying for hire in respect of which a tax has been paid under any of the Articles IV, V, VI and VII when intended for use in special or temporary circumstances and for a limited period on a route or routes other than those over which they otherwise ply—in addition to any tax paid under any of the foregoing articles, a tax at such daily rate not exceeding Rs. 3 as the State Government may prescribe, for every day or part thereof during which it is intended to use any such vehicle in such special or temporary circumstances :

Provided that nothing in this article shall apply to a motor vehicle which is temporarily the subject of a private hiring agreement for the purpose of a specific journey :

Provided further that no additional tax shall be payable if a motor vehicle does not use the road or roads for which it is permanently licensed during the period it is temporarily allowed to ply on a route or routes other than those in respect of which it is permanently licensed.

IX. Vehicles used for the carriage of goods in connection with a trade or busiess carried on by the owner of the vehicle but not plying for hire or reward :

(A) if fitted entirely with pneumatic tyres, and—

(*a*) if intended for use on an A-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load ..	252
(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load	8

(*b*) if intended for use on a B-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load	228
(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load	8

(*c*) if intended for use on a C-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load	204
(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load	6

(B) if fitted with resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same athorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 33-1/3 per cent thereon ;

(C) if fitted with non-resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 66-2/3 per cent thereon.

	Rs.
X. Tractor drawing a trailer and used for purposes other than agricultural purposes unless its combined unit makes an articulated vehicle—	
A tax at the flat rate of Rs. 100 per annum, in addition to the tax paid in respect of the trailer or trailers drawn by it,"	

उद्देश्य और कारण

वर्तमान यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ द्वारा मोटर गाड़ियों के सभी मालिकों को मार्ग कर (रोड टैक्स) का भुगतान या तो प्रति वर्ष या चार समान तिमाही किस्तों में करने का विकल्प दिया गया है। राज्य में निजी कारों और अन्य हल्की गाड़ियों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। इन सभी गाड़ियों की गतिविधि का ठीक-ठीक पता रखना कठिन प्रतीत हुआ है और इसके परिणामस्वरूप मार्ग-कर का अद्यावधि हिसाब रखने में कठिनाई अनुभव की जा रही है। यह विचार है कि भविष्य में यह विकल्प केवल परिवहन गाड़ियों अर्थात् बसों और ट्रकों के मालिकों को ही दिया जाय और हल्की गाड़ियों, जिनके अन्तर्गत मोटर साइकिलें आदि भी हैं, के मालिक कर का भुगतान प्रतिवर्ष एक किस्त में करें।

२—अन्य पड़ासी राज्यों में प्रचलित मार्ग-करों की तुलना में इस राज्य में हल्की गाड़ियों (बसों और ट्रकों से भिन्न) पर मार्ग-कर अपेक्षाकृत कम है। इन करों को पड़ोसी राज्यों के मार्ग-करों के स्तर तक लाने के उद्देश्य से यह विचार है कि मोटर साइकिलों, निजी कारों तथा अन्य हल्की गाड़ियों के मार्ग-कर को लगभग २० प्रतिशत बढ़ा दिया जाय।

३—बांटों की मीट्रिक प्रणाली चालू होने से यह आवश्यक हो गया है कि यूनाइटेड प्राविंसेज मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३५ के शेड्यूल (अनुसूची) १ में पौंडों और हन्डरवेटों में निर्दिष्ट बाटों के स्थान पर बांटों की मीट्रिक प्रणाली के अनुसार किलोग्राम रखे जायं।

४—इस अवसर का उपयोग समझौता शुल्क (Composition fee) की सीमा को बदलने के लिये भी किया जा रहा है ताकि वह गाड़ियों के लिये देय कर की धनराशि के अनुपात में हो सके।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

मुजफ्फर हसन,
परिवहन मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२७ एल० ए०—१९६२—८४५।